# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK-SABHA DEBATES

[ सातवां सत्र
Seventh Session ]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[ खंड 25 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXV contains Nos. 11 to 20 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK-SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

## विषय-सूची/CONTENTS

**अंक-17, बुधवार, 12 मार्च, 1969/21 फाल्गुन, 1890 (शक)**
No 17—*Wednesday, March 12, 1969/Phalguna 21, 1890 (Saka)*

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :**


| ता. प्र. संख्या./S. Q. Nos. विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 421 युरोपीय साम्यवादी देशों द्वारा कमीशन एजेंटों की नियुक्ति | Commission agents appointed by European Communist Countries ... — | 3 |
| 422 रूस से कच्चे माल का आयात | Import of Raw materials from USSR— — | 12–15 |
| 423 देश के आन्तरिक मामलों में चीन के दूतावास द्वारा हस्तक्षेप | Involvement of Chinese Embassy in Internal Affairs of the Country ... ... | 16–17 |
| 437 भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये रूस द्वारा सहायता | Soviet Assistance to Boost Indian Exports — | 3–12 |
| अ. सू. प्र./S.N.Q. | | |
| 4 अखबारी कागज का समाचार-पत्रों को आवंटन | Allotment of Newsprint to Newspapers ... | 18–22 |


**प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**


| ता.प्र.संख्या/S.Q.Nos | | |
|---|---|---|
| 424 केरल में रबड़ बागान | Rubber Plantation in Kerala ... .. | 22 |
| 425 इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का विस्तार | Expansion of Electronics Industry — ... | 22–23 |
| 426 चाय पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना | Abolition of Export Duty on Tea ... — | 23 |
| 427 कच्चाटीबू के मामले में मद्रास सरकार द्वारा दिया गया साक्ष्य | Evidence of Madras Government on Kacchathivu Issue ... ... | 23-24 |
| 428 एशियाई साझा बाजार | Asian Common Market ... ... | 24 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 429 | सामरिक प्रतिरक्षा सड़कों सम्बन्धी कार्यक्रम | Strategic Defence Roads Programme ... ... | 24-25 |
| 430 | टायरों का आयात | Import of Tyres ... ... | 25-26 |
| 431 | रूस से ट्रैक्टरों का आयात | Import of Tractors from USSR ... ... | 26 |
| 432 | होजरी माल का रूस को निर्यात | Export of Hosiery Goods to USSR ... ... | 27 |
| 433 | जापान में होने वाली एक्सपो–70 प्रदर्शनी | Expo-70 to be held in Japan ... ... | 27 |
| 434 | भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर | Bharat Electronics Ltd., Bangalore ... ... | 28 |
| 435 | चाय के निर्यात में कमी | Decline in Export of Tea ... ... | 28-29 |
| 436 | चाय के सम्बन्ध में भारत श्रीलंका स्थायी समिति | Indo Ceylon Standing Committee on Tea ... | 29 |
| 438 | गुजरात में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें | Sick Textile Mills in Gujarat | 30 |
| 439 | वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले | Corruption cases against the Officers of Foreign Trade and Supply Ministry ... ... | 30-31 |
| 440 | बन्द कपड़ा मिलें | Closed Textile Mills ... ... | 31 |
| 441 | कलकत्ता में माल डिब्बा निर्माण उद्योग | Wagons Manufacturing Industry at Calcutta .. | 31-32 |
| 442 | भारतीय बीजों का निर्यात | Export of Indian Seeds ... .. | 32 |
| 443 | कालेजों में एन० सी० सी० एक वैकल्पिक विषय के रूप में | N. C. C as Optional subject in Colleges ... | 32-33 |
| 444 | चौथी पंचवर्षीय योजना | Fourth Five Year Plan ... ... | 33 |
| 445 | कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग | Art Silk Weaving Industry ... ... | 33-34 |
| 446 | मशीनी औजार निर्माताओं का निर्यात संघ | Export consortium of Machine Tools Manufactures ... | 34 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 447 | नेपाल को निर्यात | Export to Nepal ... | 34-35 |
| 448 | राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against STC Officers ... ... | 35 |
| 449 | उत्तर कोरिया के साथ व्यापार | Trade with North Korea ... ... | 35-36 |
| 450 | भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग | Indo Ceylon Economic Co-operation ... ... | 36-37 |

अ.ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2650 | वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों, अध्ययन दलों आदि के प्रतिवेदन | Reports of Commissions, Study Teams etc. appointed by the Commerce Ministry | 37 |
| 2651 | गुजरात में हस्तशिल्प उद्योग का संवर्धन | Promotion of Handicrafts Industry in Gujarat | 37 |
| 2652 | जंजीबार के भारतीयों की सम्पत्ति का अधिग्रहण | Acquisition of Property of Zanzibar Indians ... | 37-38 |
| 2653 | 'केन्याकरण' नीति से प्रभावित भारतीय व्यापारी | Indian Traders affected by the Policy of Kenya-nisation ... ... | 38-39 |
| 2654 | रबड़ का उत्पादन | Production of Rubber ... ... | 39-41 |
| 2655 | अहमदाबाद में भूमि पर उपग्रह संचार केन्द्र | Satellite Communication Earth Stations at Ahmedabad ... ... | 41-42 |
| 2656 | महाराष्ट्र में सूती कपड़े की मिलें | Textile Mills in Maharashtra ... ... | 42 |
| 2657 | घुड़दौड़ के घोड़ों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange for Importing Race Horses ... ... | 42 |
| 2658 | गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास | Improvement of backward areas of Gujarat ... | 42-43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2659 | विद्रोही नागाओं के पास हथियार | Arms with Naga Rebels ... — | 43 |
| 2660 | निर्बाध व्यापार क्षेत्र में विनियोजन | Investment in Free Trade Zone ... ... | 43 |
| 2661 | कुटीर उद्योग | Cottage Industries ... | 44 |
| 2662 | मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन | Land allotted to ex-servicemen in Madhya Pradesh ... .. | 44 |
| 2663 | मध्य प्रदेश की विकास योजनायें | Madhya Pradesh Development Schemes | 44–45 |
| 2664 | मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल | National Cadet Corps in Madhya Pradesh | 45 |
| 2665 | रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर रोक | Ban on production of coloured sarees | 45 |
| 2666 | प्रतिरक्षा फैक्टरियों में प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती किये गये नये स्नातक इंजीनियर | Fresh Graduate Engineers Recruited as Apprentices in Defence Factories ... | 45–46 |
| 2667 | बर्मा को कपड़े का निर्यात | Export of Textiles to Burma ... — | 46 |
| 2668 | रबड़ और नारियल जटा बोर्डों के अध्यक्ष | Chairman of Rubber and Coir Boards... ... | 46–47 |
| 2669 | राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले | Corruption cases against state Trading Corporation Officers — | 47 |
| 2670 | ग्रामीण क्षेत्रों के लिये शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये उपग्रह | Satellite for broadcasting of Educational Programmes for Villagers | 47–48 |
| 2671 | ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था | Foreign Exchange Provided for Importing spares of Tractors ... | 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2672 | कारों का आयात | Import of Cars ... ... | 48–49 |
| 2673 | थाइलैंड के साथ व्यापार करार | Trade Agreement with Thailand ... ... | 49–50 |
| 2674 | खान अब्दुल गफ्फार खां को निमंत्रण | Invitation to Khan Abdul Gaffar Khan ... | 50 |
| 2675 | अमरीका से वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने के लिये करार | Agreement for duty free import of commodities from USA ... ... | 50-51 |
| 2676 | निर्यात द्वारा आय | Export Earnings ... ... | 51 |
| 2677 | योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यक्रम का निर्धारण | Assessment of the Development programme of Himachal Pradesh by the Planning Commission ... ... | 52 |
| 2678 | विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भारत का दौरा | Foreign Official Dignitaries' visit to India ... | 52 |
| 2679 | गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यातकों को नकद सहायता | Cash Subsidies to Exporters of Non-Traditional Items ... ... | 52 53 |
| 2680 | 'सोना' दुकानें | Sona Shops ... ... | 53 |
| 2681 | रंगने तथा रंग उतारने वाली सामग्री (ब्लीचिंग) की कमी | Scaricity of Dyeing and Bleaching Materials | 53–54 |
| 2682 | कृत्रिम धागे से बने कपड़े तथा अति महीन कपड़े का उत्पादन | Production of Synthetic Fibre and Superfine cloth ... ... | 54 |
| 2683 | विदेशों में भेजे गये भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल | Indian Trade Delegations sent Abroad... .. | 54–55 |
| 2684 | इसराइल के साथ व्यापार सम्बन्ध | Trade Relations with Israel ... ... | 55 |
| 2685 | कृत्रिम रेशे तथा सूत उद्योग के लिये प्रशुल्क आयोग | Tariff Commission on man-made Fibre and Yarn Industry ... | 55 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2686 | घाना से बिना तराशे हुए हीरों का आयात | Import of Rough Diamonds from Ghana ... | 55-56 |
| 2687 | मलयशिया में विनियोजन के अवसर | Investment Opportunities in Malaysia ... | 56 |
| 2688 | अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड सम्बन्धी कुरेशी समिति | Qureshi Committee on All India Handi-carafts Board ... | 57 |
| 2689 | छोटे पैमाने के कारखानों को आयात लाइसेंस | Import Licences to Small Scale Units... ... | 57 |
| 2690 | सूती कपड़े का निर्यात | Export of Cotton Textiles ... ... | 58 |
| 2691 | कपास का रक्षित भंडार | Buffer Stock of Cotton ... .. | 58 |
| 2692 | गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें | Closed Textile Mills in Gujarat ... ... | 58-59 |
| 2693 | राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये व्यापार सम्बन्धी करार | Trade Agreement conculded by state Trading Corporation ... ... | 59-60 |
| 2694 | विदेशों में भारतीय दूतावासों में नियुक्त मंत्रालयों के अधिकारी | Officers Belonging to Ministries posted in Indian Missions Abroad ... ... | 61 |
| 2695 | प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की सेवावधि मे की गई वृद्धि | Extensions given to Class I Officers in the Ministry of Defence ... ... | 61 |
| 2696 | तमिलनाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना | N.C.C. in Tamil Nadu ... ... | 61 |
| 2697 | बर्मा के बैंकों में भारतीय राष्ट्रजनों की जमा राशि | Deposits of Indian Nationals in Burmese Banks ... ... | 62 |
| 2698 | निर्यातकों को दी गई राज सहायता | Subsidies given to Exporters ... ... | 62 |
| 2699 | लोह अयस्क के निर्यात के लिये भारतीय दल की जापान यात्रा | Indian Team to Japan for Export of Iron Ore ... ... | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2700 | मैसर्स विग इंडिया लिमिटेड मद्रास | Wig India Ltd., Madras .. ... | 63-64 |
| 2701 | खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गुजरात से अयस्कों तथा खनिज उत्पादों का निर्यात | Export of Ores and Mineral Products by M. M. T. C. from Gujarat ... ... | 64 |
| 2702 | गुजरात से केलों का निर्यात | Export of Bananas from Gujarat ... ... | 64-65 |
| 2703 | चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति | Barooah Committee on Tea Industry... ... | 65 |
| 2704 | मनुष्य के बालों और विगों का निर्यात | Export of Wigs and Human Hair ... ... | 66 |
| 2705 | भारत के निर्यात की किस्म के बारे में शिकायतें | Complaints regarding quality of India's Exports ... ... | 66-67 |
| 2706 | जापान को मूल वस्तुओं (प्राइमरी प्राडक्ट्स) का निर्यात | Export of Primary Products to Japan ... ... | 67 |
| 2708 | अभ्रक पर निर्यात शुल्क | Export Duty on Mica ... ... | 67-68 |
| 2710 | निर्यात प्रधान कताई मिलें | Exportoriented Spinning Mills .. ... | 68-69 |
| 2711 | पारादीप पत्तन के द्वारा जपान को लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore to Japan through Paradeep Port .. ... | 69 |
| 2712 | निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम | Export credit and Guarantee Corporation | 69-70 |
| 2713 | पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापार करार | Trade agreement with German Democratic Republic ... ... | 70-71 |
| 2714 | वस्त्र उद्योग | Textile Industry ... .. | 71 |
| 2715 | नेपाल से संश्लिष्ट रेशे के वस्त्रों का आयात | Import of Synthetic Fibre Fabrics from Nepal ... ... | 72 |
| 2716 | छोटी कार परियोजना | Small Car Project ... ... | 72-73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2717 | स्कूलों और कालिजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा | Compulsory Military Training in Schools and Colleges ... ... | 73 |
| 2718 | भारतीय वायु सेना के स्थल कर्मचारी | I. A. F. Ground Staff ... ... | 73 |
| 2719 | सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग | Hindi in Government ... ... | 74 |
| 2720 | प्रतिरक्षा मंत्रालय में सरकारी काम काज के लिये हिन्दी का प्रयोग | Official work in Hindi in Defence Ministry ... | 74-75 |
| 2721 | प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल | Delegations sent Abroad by the Ministry of Defence .. ... | 75 |
| 2722 | सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की पदोन्नति | Promotions of Officers of Armed Forces ... | 75 |
| 2723 | सेना में कमान के शब्दों की भाषा | Language of Command words in Army ... | 76 |
| 2724 | राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण | National Sample Survey ... ... | 76 |
| 2725 | डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी का प्रत्यर्पण | Extradition of Dr. Dharma Teja and his wife | 76-77 |
| 2726 | इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड | Indian Rare Earths, Ltd. ... ... | 77 |
| 2727 | निरस्त्रीकरण सम्मेलन | Disarmament Conference ... ... | 77-78 |
| 2728 | चौथी योजना के लिये अतिरिक्त संसाधनों का जुटाना | Mobilisation of Additional Resources for the Fourth Plan ... ... | 78 |
| 2730 | विद्रोही नागाओं द्वारा चीन और पाकिस्तान की यात्रा | Rebe lNaga's Trips to China and Pakistan | 79 |
| 2731 | स्वेज नहर का बन्द होना | Suez Canal Closure ... ... | 79 |
| 2732 | भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड | Bharat Electronics, Ltd. ... .. | 80-81 |

| अता.प्र संख्या/U.S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 273 | पाकिस्तान द्वारा जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति | Indian Properties confiscated by Pakistan ... | 81-82 |
| 2734 | सेना इंजीनियरी सेवा में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करना | Decision to abolish contract System in MES . | 82 |
| 2735 | आयुध कारखानों में निर्मित माल का निर्यात | Export of items manufactured in Ordnance Factories ... .. | 82 |
| 2736 | 19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल में प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना | Defence Employees' Participation in Token Strike on 19th Sept. 1968 ... ... | 82-83 |
| 2737 | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एच० एफ० 24 विमान का निर्माण | Manufacture of H. F. 24 Aircraft by HAL ... | 83 |
| 2738 | प्रधान मंत्री सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या | Staff strength of P. M's Secretaria ... ... | 83-84 |
| 2739 | राष्ट्रीय छात्र सेना दल योजना | N C. C. Scheme ... ... | 84-85 |
| 2740 | भारतीय तकनीशनों द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करना | Indian Technicians Acquiring Foreign Citizenship ... ... | 85 |
| 2741 | भारतीय मिशनों पर होने वाले खर्च में बचत | Economy in Expendi ure of Indian Missions... | 85 86 |
| 2742 | सैनिक स्कूलों में स्थानों का आरक्षण | Reservation of Seats in Sainik Schools ... | 86-87 |
| 2743 | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमानों का निर्यात | Exports of aircrafts Manufactured at Hindustan Aeronauticals Ltd. ... ... | 87 |
| 2744 | केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो मे बेकार पड़ी गाड़ियां | Vehicles lying in Central Vehicle Depots ... | 87-88 |
| 2745 | पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच विमान सेवा सम्पर्क | Air Link between East and West Pakistan ... | 88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2746 | विदेशों में नियुक्त अधिकारियों को दिये जाने वाले विदेशी भत्ते में संशोधन | Revision of Foreign Allowance to officers posted abroad .... — | 88 |
| 2747 | पूर्व जर्मनी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध | Trade Relations with East Germany ... — | 88 89 |
| 2748 | भारतीय वायु सेना द्वारा वर्ष 1968 में किये गये राहत कार्य | Relief Operations undertaken by IAF during 1968 — ... | 89 |
| 2749 | गैर-सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरी कारखानों में प्रतिरक्षा उत्पादन | Defence production in Private Sector Engineering Units ... — | 89-90 |
| 2750 | काश्मीर के बारे में ईरान के साथ बातचीत | Talks with Iran in regard to Kashmir .. ... | 90 |
| 2751 | भारतीय युरोनियम निगम | Uranium Corporation of India ... | 90 |
| 2752 | यूरोप के लिये ईरान होकर नया व्यापार मार्ग | New Trade Route to Europe through Iran ... | 90-91 |
| 2753 | इंग्लैण्ड में भारत मूलक सिखों के सामने कठिनाइयां | Hardships faced by Sikhs of Indian origin in U. K. ... | 91 |
| 2754 | दिल्ली में प्रतिरक्षा संस्थानों के अधिकारियों के लिये निवास स्थान | Residential accommodation for Officers of Defence Establishment in Delhi ... .. | 91-92 |
| 2755 | अमरीका द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाना | Nuclear Tests by USA ... ... | 92 |
| 2756 | उर्वरकों की खरीद के लिये विदेशी फर्मों से बातचीत | Negotiation with foreign firms for purchase of fertilizers ... ... | 92-93 |
| 2757 | भारती मिल्स, पांडिचेरी | Bharathi Mills Pondicherry ... ... | 93 |
| 2758 | न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर | New Victoria Mills, Kanpur — — | 94 |
| 2759 | ऊर्जा सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें | Recommendations of the Energy Survery Committee ... ... | 94-95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2760 | वीरगति प्राप्त सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और जवानों के बच्चों को छात्रवृत्तियां | Scholarships for children of dead soldiers ex-servicemen and Jawans ... ... | 95 |
| 2761 | कोयले का निर्यात | Export of coal ... ... | 95–96 |
| 2762 | भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का निर्यात | Export of India's national bird ... ... | 96 |
| 2763 | नागाओं द्वारा अपहरण | Kidnapping of Nagas ... ... | 96 |
| 2764 | रेल के डिब्बों के लिये इस्पात का आयात | Import of steel for Rail wagons ... ... | 96–97 |
| 2765 | थुम्बा विषुवत राकेट छोड़ने वाला स्टेशन | Thumba Equatorial Rocket Landing Station | 97 |
| 2766 | पाकिस्तान में मन्दिरों और गुरुद्वारों का मस्जिदों में बदला जाना | Conversion of Temples and Gurdwars into Mosques in Pakistan ... ... | 97–98 |
| 2767 | भारत नेपाल सीमा विवाद | Indo Nepal Border Disqute ... ... | 98 |
| 2768 | पाकिस्तान के साथ सम्पत्ति का आदान प्रदान | Exchange of Property with Pakistan ... ... | 98–99 |
| 2769 | निर्यात के लिये प्रोत्साहन | Incentives for Export ... ... | 99 |
| 2770 | मैसर्स कामानी एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा ईरान को वस्तुओं का निर्यात | Export of Goods by M/s. Kamani and Company, Bombay to Iran ... ... | 99–100 |
| 2771 | चोलावरम (मद्रास) में हवाई अड्डा | Airport at Cholavaram (Madras) ... | 100 |
| 2772 | क्यूबा से निकल का आयात | Import of Nickel from Cuba ... ... | 100 |
| 2773 | समुद्र तल का अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग | International Exploitation of Sea bed ... ... | 101 |
| 2774 | राज्य व्यापार निगम के बारे में पुनर्विलोकन समिति | Review committee on STC ... ... | 102 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2775 | मैसर्स ब्रेडवरी मिल्स लिमिटेड, बम्बई | M/s. Bradbury Mills Ltd , Bombay ... .. | 102–103 |
| 2776 | मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी | M/s Century Spinning and Manufacturing Co. | 103 |
| 2777 | सेन्ट्रल इंडिया मिल्स लिमिटेड, नागपुर | Central India Mills Ltd., Nagpur ... ... | 103–104 |
| 2778 | न्यू केसरे हिन्द मिल्स लिमिटेड, बम्बई | New Kesar-e-Hind Mills Limited, Bombay .. | 104 |
| 2779 | लद्दाख में सब्जियां तथा फल उगाने के प्रयोग | Experiments for growing vegetables and fruit in Ladakh ... | 105 |
| 2780 | इथोपिया में सेवा रत भारतीय अध्यापक | Indian teachers working in Ethiopia .. ... | 105–106 |
| 2782 | डरबन में रोके गये भारतीय नाविकों की वापसी | Repatriation of Indian Seamen detained at Durban ... ... | 106–107 |
| 2783 | कलकत्ता में फोर्ट विलियम में स्वागत समारोह | Reception in Fort William at Calcutta ... | 107 |
| 2785 | निर्यात विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता | UNDP's help for Export promotion ... .. | 107–109 |
| 2786 | वाराणसी में आसाम राइफल्स के सैनिकों द्वारा मारपीट | Assam Rifles Peroennel's Clash in Varanasi... | 109 |
| 2787 | कपड़े का निर्यात | Export of Cloth ... ... | 109–110 |
| 2788 | रूस के साथ व्यापार | Trade with USSR ... .. | 110 |
| 2789 | पश्चिम जर्मनी में एक भारतीय विद्यार्थी की गिरफ्तारी | Arrest of an Indian student in West Germany | 110-111 |
| 2790 | भारत तथा ब्रिटेन के बीच राष्ट्रमण्डलीय संधि | Commonwealth Treaty between India and UK ... .. | 111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2791 | प्रतिरक्षा सेवाओं में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की भर्ती | Recruitment of Minorities in Defence Services ... ... | 111 |
| 2793 | प्रादेशिक सेना | Territorial Army ... ... | 112 |
| 2794 | पहाड़ी क्षेत्रों की प्रगति | Progress of Hill Areas ... ... | 112 |
| 2795 | चौथी पंचवर्षीय योजना में कटौती के बारे में मंत्रालयों द्वारा असन्तोष प्रदर्शन | Resentment by Ministries over cuts in Fourth Plan ... ... | 113 |
| 2796 | ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये निर्धारित धन राशि | Allocation for Development of Rural and Urban Areas ... .. | 113 |
| 2797 | इलायची का निर्यात | Export of Cardamom ... ... | 113-114 |
| 2798 | भूतपूर्व सैनिकों का पेंशन बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन | Representations by Ex-servicemen for enhancing pensions ... ... | 114 |
| 2799 | भारत में भूतपूर्व सैनिकों के संगठन | Ex-servicemen's Associations in India ... ... | 114-115 |
| 2800 | भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये निधियां | Funds instituted for welfare of Ex-servicemen | 115-116 |
| 2801 | भारत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या | Number of Ex-servicemen in India ... ... | 116 |
| 2802 | सेनाध्यक्षों की नियुक्ति | Appointment of Chiefs of Staffs ... ... | 116 |
| 2803 | उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करना | Identification of Backward Areas in Orissa ... | 116-117 |
| 2804 | रूस को रेल के डिब्बों का निर्यात | Export of Rail Wagons to USSR ... ... | 117 |
| 2806 | निर्यातकर्ता फर्में | Exporting Firms ... ... | 117-118 |
| 2807 | भारत जापान विचार विमर्श बैठक | India Japan Consultative Meeting ... ... | 118 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2808 | अफ्रीकी देशों से निकाले गये भारतीय लोगों को स्वीकार करने के इच्छुक देश | Countries Willing to Accept Indians evicted from African Countries ... ... | 118-119 |
| 2809 | पाकिस्तान के साथ चलचित्रों का आदान-प्रदान | Exchange of Films with Pakistan ... ... | 119 |
| 2810 | मैंगनीज अयस्क का निर्यात | Export of Manganese Ore .. ... | 119-120 |
| 2811 | मैंगनीज अयस्क का निर्यात | Export of Manganese Ore ... ... | 120-121 |
| 2812 | मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड | M/s Tata Engineering and Locomotives Co. Ltd. ... ... | 121 |
| 2813 | पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति | Indian Properties in Pakistan ... ... | 121-122 |
| 2814 | पोलैंड से यूरिया और गंधक के आयात के बारे में करार | Contract for Import of Urea and Sulphur from Poland ... ... | 122 |
| 2815 | राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात | Imports by STC ... ... | 122-123 |
| 2816 | ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग | Indian High Commission, London ... ... | 123 |
| 2817 | प्रतिरक्षा सेवाओं में कार्यकारी दल | Working Parties in Defence Services ... | 123 |
| 2818 | प्रादेशिक सेना के लिये केन्द्रीय मंत्रणा संस्था | Central Advisory Body for Territorial Army... | 124-125 |
| 2819 | बिना पास वाले लोगों का गणतन्त्र दिवस परेड के आरक्षित कक्षों में दाखिल होना | Entry of non-pass holders in Rupublic day Parade Enclosures ... ... | 125 |
| 2820 | प्रशासनिक कर्मचारी कालेज हैदराबाद द्वारा भारतीय पटसन वस्तु बाजार का सर्वेक्षण | Survey of Indian jute Goods by the Administrative Staff College, Hyderabad ... ... | 126 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2821 | भारतीय निर्यात तथा आयात के सम्बन्ध में भारतीय मिशनों के अध्ययन प्रतिवेदन | Mission's study Report about Indian Exports and Imports ... | 126 |
| 2822 | ईरान में इस्पात मिल स्थापित करना | Setting up of Steel Mill in Iran ... ... | 127 |
| 2823 | नागाओं के पास चीन के हथियार | Chinese Arms with Nagas ... .. | 127 |
| 2824 | हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोर पुट डिवीजन में प्रदर्शन | Demonstration in Koraput Division of Hindustan Aeronautics, Ltd. ... ... | 127–128 |
| 2825 | गणतन्त्र दिवस परेड 1969 | Republic Day Prade, 1969 .. | 128 |
| 2826 | 29 जनवरी, 1969 को प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारियों का संसद् सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार | M. Ps ill treated by P. M.s Staff on 29.1.69 .. | 128–129 |
| 2827 | गणतन्त्र दिवस परेड के लिये पास | Republic Day passes ... ... | 129–130 |
| 2828 | परमाणु बिजली घरों की स्थापना | Setting up of atomic power plants ... ... | 131 |
| 2829 | पाकिस्तान द्वारा मुजारी बाड़ी और लोताह माड़ी पर कब्जा | Occupation of Mujari Vari and Lotahmari by Pakistan ... ... | 131 |
| 2831 | पुर्तगाल में कारवास भुगत रहे श्री मसकरेंटीस की रिहाई | Release of Shri Mascarenhas imprisoned in Portugal ... ... | 131–132 |
| 2832 | रेल के डिब्बों का निर्यात | Export of Rail Wagons .. ... | 132 |
| 2833 | मनीपुर में कताई मिल | Spinning Mill in Manipur ... ... | 132 |
| 2834 | मोटर परिवहन कर और सड़कों पर परिव्यय | Motor Transport Taxes and Outlays on Roads | 133 |
| 2835 | शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा पाकर निकलने वाले विद्यार्थी | Out put of Educational Institutions ... ... | 133 |

| | | |
|---|---|---|
| 2836 अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार | Trade with African countries ... ... | 133-134 |
| 2837 कपड़ा मिलों में अप्रयुक्त क्षमता | Idle capacity in Textile Mills ... ... | 134-135 |
| 2838 गणतन्त्र दिवस की परेड देखने के लिये टिकट | Tickets for witnessing Republic day Parade... | 135 |
| 2839 भूमिगत नागा हरे की गिरफ्तारी | Arrest of Underground Naga Messanger ... | 135 |
| 2840 हीरों का निर्यात | Export of Diamonds ... ... | 135-136 |
| 2841 दिल्ली में सिक्किम भवन | Sikkim House in Delhi ... ... | 136 |
| 2842 कपड़ा पुनर्गठन समिति | Textile Reorganisation Committee ... ... | 136 |
| 2843 मनीपुर में हवाई अड्डा | Aerodrome in Manipur .. ... | 137 |
| 2844 प्रतिरक्षा कर्मचारियों को ग्रैच्यूटी की अदायगी | Payment of Gratuity to Defence Personnel ... | 137 |
| 2845 भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि | Increase in Pension of Ex-servicemen... ... | 137-138 |
| 2846 भारत श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन | Implementation of Indo Ceylon Agreement .. | 138 |
| 2847 सूती कपड़ा मिलों का सरकार द्वारा प्रबन्ध | Textile mills to be managed by Government .. | 138 |
| 2848 कालीकट में भारत इलैक्ट्रानिक फैक्ट्री | Bharat Electronic Factory at Calicut .. ... | 139 |
| 2849 वार्प निटिंग यूनिट में पूंजी विनियोजन | Capital investment for a Warp in Knitting unit | 139 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table ... ... | 140-142 |
| राज्य सभा से सन्देश | Message from Rajya Sabha ... ... | 142 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति | Committee on Private Members Bills and Resolutions .. ... | 143 |
| 45 वां प्रतिवेदन | Forty fifth Report ... ... | 143 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings ... ... | 143 |
| 26 वां प्रतिवेदन | Twenty-sixth Report ... ... | 143 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| संविधान (22 वां संशोधन) विधेयक | Constitution (Twenty-second Amendment) Bill ... ... | 143 |
| संयुक्त समिती का प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा ज्ञापन | Report of Joint Committee, Evidence and Momoranda ... .. | 143 |
| नियम 377 के अन्तर्गत मामला | Matter under Rule 377 ... | 143-146 |
| मंत्रिमंडल बनाने के बारे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्य | Madhya Pradesh Governor's action with regard to formation of Ministry ... ... | 143 |
| मंत्रिमंडल बनाने के बारे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्य के बारे में प्रस्ताव | Motion re: Madhya Pradesh Governor's action with regard to formation of Ministry ... | 146 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye .. ... | 146 |
| श्री रंगा | Shri Ranga ... ... | 149 |
| श्री पें० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah ... .. | 151 |
| श्री जगन्नाथ राव जोशी | Shri Jagannath Rao Joshi ... ... | 152 |
| श्रीमती शारदा मुकर्जी | Shrimati Sharda Mukerjee ... ... | 153 |
| श्री सेझियान | Shri Sezhiyan ... ... | 154 |
| श्री शशि भूषण | Shri Shashi Bhushan ... ... | 156 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H. N Mukerjee ... ... | 156 |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohatgi ... ... | 157 |
| श्री नाथ पाई | Shri Nath Pai | 157 |
| श्री कृष्ण कुमार चटर्जी | Shri Krishna Kumar Chatterji ... ... | 159 |
| श्री नम्बियार | Shri Nambiar ... | 160 |
| श्री रा० ढो० भंडारे | Shri R. D. Bhandare ... ... | 161 |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम | Shri Tenneti Viswanatham ... | 162 |
| श्री यशवन्त राव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan ... ... | 162 |
| सामान्य आय-व्ययक, 1969-70 सामान्य चर्चा (जारी) | General Budget, 1959-70 - General Discussion (Contd) | 166 |
| श्री नवल किशोर शर्मा | Shri Naval Kishore Sharma ... ... | 166 |

| विषय | Subject | | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|---|
| श्री द० ब० राजू | Shri D. B. Raju | ... | ... | 167 |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri | — | — | 169 |
| श्रीमती जयाबेन शाह | Shrimati Jayaben Shah | .. | ... | 170 |
| श्री क० लक्प्पा | Shri K. Lakkappa | .. | ... | 171 |
| श्री राजशेखरन | Shri Rajasekharan | — | ... | 172 |
| श्री म. सुदर्शनम | Shri M. Sudarsanam | | | 174 |
| ग्राधे घंटे की चर्चा | Half-an-hour Ciscussion | .. | | 174 |
| ग्रमरीका की जनरल मोटर्स कार-पोरेशन | General Motors Dorporation of US | | — | 174 |
| श्री सुं कु तापडिया | Shri S. K. Tapuriah | ... | | 174 |
| श्री भानु प्रकाश सिंह | Shri Bhanu Prakash Singh | ... | ... | 176 |

# लोक-सभा
# LOK-SABHA

**बुधवार, 12 मार्च, 1969/ 21 फाल्गुन, 1890 (शक)**
*Wednesday, March* 12, 1969/ *Phalguna* 21, 1890 (*Saka*)

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
***The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock***

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** ***in the Chair***

## निधन सम्बन्धी उल्लेख
## Obituary References

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदन को श्री एन० आर० घोष की दुखद मृत्यु का समाचार देता हूं। आज नई दिल्ली में प्रातः काल उनका देहावसान हो गया। वह 76 वर्ष के थे।

श्री घोष 1958 से 1967 तक दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे। वह 1958-1959 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे थे और 1958-1962 में उन्होंने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अन्य संसदीय समितियों में भी सेवा की थी। सदन और समितियों की कार्यवाही में उनकी अच्छी देन थी।

हम अपने इस मित्र के निधन पर अपना हार्दिक दु:ख व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ मिल कर उनके असहाय परिवार, विशेषकर हमारे साथी श्री परिमल घोष के प्रति समवेदना प्रकट करेगा।

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** मैं आपके साथ श्री एन० आर० घोष के दुखद निधन पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करती हूँ। इस सदन को उनकी देन के अतिरिक्त वह बहुत से महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। उन्होंने आश्रय हीनों के लिए मकान बनाए तथा साहित्यिक संस्थाएं बनाई। वह समाज कल्याण निकायों के सदस्य थे तथा बहुत से शिक्षा संस्थानों से भी सम्बन्ध रखते थे। उनके हृदय में

दलित वर्ग के व्यक्तियों को बड़ा स्थान था और उन्होंने सदा ही जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। वह सुसंस्कृत व्यक्ति थे तथा उनका अध्ययन और उनका पर्यटन बहुत व्यापक था।

मैं अपनी वेदना व्यक्त करती हूं तथा उनके असहाय परिवार और अपने साथी श्री परमिल घोष के प्रति अपनी गहन समवेदना प्रकट करती हूं।

**श्री रंगा (श्री काकुलम)** : आपके द्वारा व्यक्त समवेदना में मैं भी शामिल होता हूं। श्री एन० आर० घोष हम सभी के मित्र थे। वह स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। वह भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और विकास पर बहुत बल देते थे। उनके सुपुत्र श्री परमिल घोष के प्रति जो उन्नति करके मन्त्रिपरिषद के सदस्य बन गए हैं हम अपनी समवेदना प्रकट करते हैं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur)** : Mr. Speaker, Sir, on behalf of my party I express my sorrow on the sad demise of Shri N. R. Ghosh. I got an opportunity to see him closely and I performed certain task in his association. He belonged to the old generation of the people who always treated politics as a means of public service and for him politics was neither a Professon nor a fashion. In the beginning he took active part in the National Regeneration movement. As Shri Ranga has correctly mentioned, he was a colleague of the late Shri Shyama Prasad Mukherjee. He used the plateform of the Hindu maha sabha for awakening the masses and afterwards he joined the Congress party. He had always been conscious of his duties in the House as well as outside the House. Even after retiring himself from the member ship of the House he took active part in the social activities. His death has caused a great loss to the country., especially to the people of west Bengal. I express my condolence and deep sympathy to the members of the bereaved family.

**Shri Rabi Ray (Puri)** : On behalf of the SSP I associate myself with the feelings expressed by you and by the Leader of the House. I express my sorrow on the sad demise of Shri N. R. Ghosh. I request you to convey our condolence to his bereaved family.

**श्री एस० कन्डप्पन (मेत्तुर)** : संसद में डी० एम० के० की ओर से मैं आपकी, सदन के नेता की तथा विपक्षी दल के नेता की भावनाओं में भागी बनता हूं। मुझे एक बार श्री घोष से मिलने का अवसर मिला था तथा उन्होंने मुझे अपने सेवा भाव से बड़ा प्रभावित किया था। हमें उनके निधन से गहन पीड़ा है और आप से अनुरोध है कि कृपया आप हमारी समवेदना उनके असहाय परिवार, विशेषकर श्री परिमल घोष तक पहुँचा दें।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)** : श्री एन० आर० घोष दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के विशिष्ट सदस्य थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। उनसे मेरा सम्बन्ध राजनीतिक रूप से ही नहीं था अपितु, सामाजिक रूप से भी उन से मेरा कई प्रकार का सम्बन्ध था। वह एक महान देश भक्त थे और इसका श्रेय केवल उन्हीं को जाता है कि उनके सुपुत्र उसी चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसका उन्होंने दो बार किया था। श्री परिमल घोष के साथ हमारी समवेदनाएं हैं। आशा है आप हमारी समवेदनाओं को उन तक तथा उन के परिवार तक पहुंचा देंगे।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : On behalf my party I associate myself with the sentiments expressed by the House. We also convey our condolences to the bereaved family of Shri Ghosh, especially to Shri Parimal Ghosh.

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं अपने दल की ओर से व्यक्त समवेदना में साथ देता हूं। हमारे हृदय में श्री घोष के संतप्त परिवार के प्रति पूरी समवेदना है। वह इस सदन के सदस्य थे। मैं उनको जानता था। वह पश्चिमी बंगाल के माने हुए व्यक्ति थे। अपने दल की ओर से मैं श्री घोष के संतप्त परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब थोड़ी देर शांति से खड़े रह कर सभा अपनी वेदना व्यक्त करेगी।

इसके बाद सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन रहे

The Members then Stood in Silence for a Short While

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 421 और 437 इकट्ठे किये जायें।

---

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर

# ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Commission Agents appointed by European Communist Countries**

+

***421. Shri Onkar Singh :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. S. R. and other European Communist countries have appointed some commission agents to purchase goods from India ;

(b) if so, the names and addresses of these commission agents ;

(c) the quantity of goods purchased by them for those countries during the last three years ; and

(d) whether Government propose to abolish this system of commission agency

The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (d) : Importing organisations and enterprises in U. S. S. R., and other East European countries generally operate directly for making purchases of goods from India. It is however possible that in the course of some such normal commercial operations they may be utilising the services of commission agents.

**भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये रूस द्वारा सहायता**

*437. श्री वा० रा० परमार : क्या विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय वस्तुओं के लिये मण्डियां ढूंढने में रूस ने सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सहायता रूस द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं तक सीमित रहेगी अथवा यह सामान्य रूप से लागू होगी ;

(ग) क्या पश्चिमी देशों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री बलि राम भगत)** : (क) तथा (ख) : सोवियत सरकार, भारत में सोवियत संघ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात करने में सहायता करने के लिये सिद्धान्ततः सहमत हो गई है ।

(ग) तथा (घ) : हमारे निर्यात प्रयासों में सहायता करने के बारे में पश्चिमी देशों से प्राप्त प्रस्ताव सर्वथा उसी प्रकार के नहीं हैं, परन्तु उनका उद्देश्य सामान्यतः हमारे निर्यातों में सुधार करने में हमारी सहायता करना है ।

**Shri Onkar Singh** : Mr. Speaker, I want to know from Government why permission has been given to have Private Agents when there is State Trading Corporation of India ?

**Shri Kanwar Lal Gupta** : The Hon. Minister has no given complete reply to the question, which reads as :-

"क्या यह सच है कि रूस तथा अन्य यूरोपीय साम्यवादी देशों ने भारत से माल खरीदने के लिए कुछ कमीशन एजेन्टों की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उन कमीशन एजेन्टों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इन्होंने उन देशों के लिए कितनी मात्रा में माल खरीदा ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कमीशन एजेन्सी की प्रणाली को समाप्त करने का है ?

He has now replied only this that this may be possible. He has not stated that he has not clarified the position as to whether it is a fact, and whether there is a proposal to abolish this system.

**Shri B. R. Bhagat** : If you ask supplementary I shall given you a reply.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : It is written in it.

**Shri B. R. Bhagat** : Mr. Speaker, I mean to say that the question they have asked should be asked in supplementary then I shall reply it.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : This question has been submitted for the last one and a half months.. ......(interruptions).

श्री ब० रा० भगत : मैं उत्तर को पुनः पढ़ कर सुनाता हूं। सोवियत संघ तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के आयात संगठन तथा उद्यम सामान्यतः भारत से माल खरीदने के लिये सीधे कार्यवाही करते हैं। फिर भी यह सम्भव है कि इस प्रकार के कतिपय सामान्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों में वे कमीशन एजेन्टों की सेवाओं से लाभ उठाते हों।

Shri Kanwar Lal Gupta : Why do not you give a definite answer ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे जानकारी नहीं है कि वे रखते हैं। फिर भी यह सम्भव है कि इस प्रकार के कतिपय सामान्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों में वे कमीशन एजेन्टों की सेवाओं से लाभ उठाते हों। स्थिति ऐसी है कि ये वाणिज्यिक समझौते हैं। हमारे विधान के अन्तर्गत वे हमें यह बताने के लिए बाध्य नहीं हैं यदि वे कोई एजेन्ट रखते हैं। सामान्यतः भारत में माल खरीदने के लिए उनके रूसी क्रय-संगठन के प्रतिनिधि यहां है, अतः उनके किसी अन्य एजेन्टों की नियुक्ति के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यह वाणिज्यिक लेन देन से सम्बन्ध रखते हैं अतः वे हमें उनके नाम तथा पते बताने के लिए बाध्य नहीं है और इसीलिये हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसलिए हम बता चुके हैं कि कुछ एक मामलों में वे रखते हों, किन्तु हमें जानकारी नहीं।

Shri Onkar Singh ; Mr. Speaker, he has not given names.

Mr Speaker : He says that he does not know any names.

Shri Onkar Singh : Why opportunity is given to them to appoint Agents when there is already State Trading Corporation of India.

श्री ब० रा० भगत : इसका सम्बन्ध तो उनका भारत में माल खरीदने से है, ना कि हमारा रूस से आयात करने से। वे भारत में माल खरीदते हैं। अतः इसे भारत के द्वारा रूस से माल खरीदने के लिए राजकीय व्यापार निगम की सेवाओं का उपयोग करने में नहीं जोड़ना चाहिये। हम बाहर से माल का आयात करने के लिये राजकीय व्यापार निगम का उपयोग करते हैं। किन्तु मुख्य प्रश्न तो उनके द्वारा भारत में माल खरीदने से सम्बन्धित है।

Shri Onkar Singh : It can be taken for granted that they can utilise the services of these agents for participating in politics.

Shri B. R Bhagat : I have replied that they make most of the purchases directly. It is however possible that they may have agents and that I do not know.

श्री फ० गो० सेन : क्या यह सच है कि यहां आयात किये जा रहे अपने परिष्कृत माल के लिये भी रूस अपने निजी वितरक एजेन्ट रखने चाहता है ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ मामलों में रूस से आयात किये हुए माल की बिक्री के पश्चात् टूट फूट आदि की मरम्मत और देखरेख के लिए यहां पर उसके एजेन्ट है।

श्री सु० कु० तापड़िया : यह एक उदाहरण है जहां मैं अपनी इस दलील से प्रस्थान करना चाहता हूं कि राजकीय व्यापार निगम के अधिकार को विस्तृत नहीं करना चाहिए।

किन्तु यहां एक मामला है जिसमें राजकीय व्यापार निगम को अपने अधिकारों का अधिक प्रयोग करना चाहिये। जब एक स्वायत्त उद्यम वाला देश एक ऐसे देश के साथ व्यवहार करता है जो उद्यम के क्षेत्र में सर्वाधिकारवादी है और जहां क्रय और विक्रय के लिए एक ही एजेन्सी नियत है तो स्वतन्त्र उद्यम वाले देश को कुछ हानि ही होती है। क्योंकि जब वे यहां इतने अधिक एजेन्टों और संभारकों के द्वारा क्रय करते हैं तो खरीदारी करने वाले देशों को कीमतों के मामलों अधिकतम लाभ होता है और विक्रय करने वाले देशों को हानि होती है। इसी प्रकार जब स्वतन्त्र उपक्रम वाले देश सर्वसत्तावादी देश से क्रय करता है तो चूंकि खरीदारी करने वाले देश का बहुत से सामानों में प्रतियोगिता होती है, अतएव उसको हानि होती है, अतएव मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे देशों के साथ व्यापार करते समय जहां कि सरकार द्वारा नियन्त्रित एक ही खरीदने अथवा विक्रय करने वाली एजेन्सी होती है वहां सरकार राज्य व्यापार निगम को व्यापार करने की अनुमति देगी और ऐसे मामलों में प्रतिस्पर्द्धा नहीं होने देगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** मैं सुझाव का स्वागत करता हूं। हम इसकी जांच करेंगे।

**श्री लोबो प्रभु :** क्या वे उस पर कार्यवाही करेंगे ?

**श्री चेंगलराया नायडू :** जब रूसी लोग हमारे देश से तम्बाकू आयात करते हैं तो वे यहां आकर हमारे देश में तम्बाकू का चयन करते हैं और जब तम्बाकू निर्यात होकर रूस पहुंचता है तो तम्बाकू भेजने वाले व्यक्ति को कहते है कि इसकी किस्म खराब है और जब यह व्यक्ति वहां जाता है अथवा वे इस व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो वे कहते है कि अगर वह इतना प्रतिशत भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को देगा तो वे पूरा मूल्य चुका देंगे और अन्यथा वे पूरा मूल्य नहीं देंगे।

**श्री योगेन्द्र शर्मा :** मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध लगाये गए इस आरोप का विरोध करता हूँ।

**श्री चेंगलराया नायडू :** अगर तम्बाकू का निर्यात करने वाले व्यक्ति कम्यूनिस्ट पार्टी को कुछ प्रतिशत देना स्वीकार करते हैं तो वे पूरा मूल्य देने के लिए सहमत हो जाते हैं।

**श्री योगेन्द्र शर्मा :** मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध लगाये गये इस आरोप का विरोध करता हूँ।

**श्री चेंगलराया नायडू :** यह सत्य है। (विशाल आंध्र) के भूतपूर्व सम्पादक श्री कटरागडा राजगोपाल राव ने, जो कि पहले कम्यूनिस्ट था, जनता को इसके बारे में बताया था। उसे खुले रूप में यह कहा था। मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है और सरकार के नाक के नीचे यह सब बातें होती थी ?

**अध्यक्ष महोदय :** इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ?

**श्री वेंगलराया नायडू** : अगर वे उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिये। मैं उत्तर चाहता हूं।

**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य जानकारी नहीं मांग रहे हैं अपितु दे रहे हैं। मुझे इससे लाभ हुआ है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : उनका प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय को इसके बारे में मालूम हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : This is a fact that Communist countries buy a large number of goods from our country and those persons who buy goods and the commission they get, is spent by the Communist Party for her propaganda purposes and with that money······

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : मैं इस आरोप का विरोध करता हूं। इस प्रश्न का उपयोग भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विरुद्ध प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही यह वक्तव्य दिया था कि कम्यूनिस्ट पार्टी का इस व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु बार-बार इसे उठाया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : उनके विरोध को लिबिद्ध कर दिया गया है। जब वे कांग्रेस पार्टी के बारे में बिरला या टाटा से धन लेने के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो उसका भी लिपिवद्ध होता है। इस कुर्सी में बैठे हुए मैं क्या कर सकता हूं ? न मैं एक को अनुमति दे सकता हूं और न दूसरे को मना कर सकता हूं।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या आप मुझे प्रत्यारोप करने की अनुमति देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, अगर वे चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know from the Hon. Minister whether the huge amount of money earned as commission is spent in propaganda and also the weapons are purchased from it and whether the Government will inform the House after investigating the matter.

**श्री ब० रा० भगत** : यह प्रश्न कि क्या और कैसे व्यापारिक माध्यम अथवा अन्य साधनों से धन राजनैतिक दलों को जाता है, गृह मन्त्रालय की सीमा में आता है जो कि इस की जांच कर रहा है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I want to know whether the Government have information about it or not, if not, whether they will make investigation and lay the report on the table of the House.

**श्री ब० रा० भगत** : मुझे किसी दलों को दी जाने वाली कोई कमीशन के बारे में जानकारी नहीं है।

**Shri Hukam Chand Kachwai** : You get the matter investigated.

श्री ब० रा० भगत : मैंने कह दिया है कि यह गृह मन्त्रालय का उत्तरदायित्व है।

Shri K. N. Tiwary : The Central Government wanted that the Russian tractors should be sold in India through S. T. C. but the Russian Government to sell them through Private agencies. This created a hitch. May I know whether the matter has been decided and if so, how in what manner ?

Shri B. R. Bhagat : This is a question about the tractors and it has no link with the main question. Anyhow I will give a reply to his supplementary. It is true that they were distributed through four Private agencies but now they are distributed through Agro-Industries corporation.

Shri Yogendra Sharma : May I know whether it is a fact that the non-communist countries, which with our country or purchase goods form us, utilise the services of commission agents or whether the communists countries only do this ? Will the Government make this a policy that purchasing of all foreign goods should be made through S. T. C. ?

Shri B. R. Bhagat : It is our endeavour that import trades should be conducted mostly through S. T. C.

Shri Yogendra Sharma : I asked if the non-communists countries carry on trade through agency.

Shri B. R. Bhagat : If the Hon. Member puts a separate question, I can give him information.

Shri Yogendra Sharma : The question is whether the Non-Communist Countries purchase through agency or not ?

Shri B. R. Bhagat : I said that they purchased it. If he wants details he should put a separate question ·······(Interruption).

श्री पें० वेंकटासुब्बया : कतिपय कम्युनिस्ट और पश्चिमी योरूप के देशों ने जो कमीशन एजेन्ट की नियुक्ति की है उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने तम्बाकू के व्यापार के सम्बन्ध में आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस देश में पश्चिमी देशों का व्यापार में साझा है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। यह एक अलग ही मामला है। प्रश्न यह है कि कितना विदेशी धन विभिन्न राजनैतिक दलों के पास चुनाव लड़ने के लिए आया है। कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्ट देशों द्वारा किए गए व्यापार की जांच कराने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई है और यह मामला मन्त्री महोदय के सामने रखा गया है। प्रश्न यह है कि क्या वे मामले की आगे जांच करेंगे और सत्य का पता लगायेंगे !

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस विशेष तम्बाकू के व्यापार के मामले का सम्बन्ध है, मैंने कहा था कि माननीय सदस्य ने सूचना दी थी और हम इसकी जांच करेंगे। जहां तक अन्य सामान्य मामलों का सम्बन्ध है उनकी जांच की जा रही है।

**श्री रंगा :** उनको इस मामले की जांच करनी चाहिए। श्री नायडू ने सूचना दी थी और श्री वेंकटासुब्बया ने तम्बाकू व्यापार का विशेष वर्णन किया था। वे और अधिक सूचना क्या चाहते हैं ?

**श्री ब० रा० भगत :** मैंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री रंगा :** हम केवल यह चाहते हैं कि इसको राजनीतिक कट्टरता से अलग किया जाये और देश के हित की दृष्टि में रखते हुए इसकी जांच की जाये। क्या यह देश के हित में होगा कि इस प्रकार की बातों को उन देशों के सम्बन्ध में चलने दिया जाये जो सर्वसत्तावादी देश है जिनको हम सामान बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** पूर्वी योरोपीय देशों और रूस के साथ समस्त विदेशी व्यापार की जांच की गई है और हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यह लेन-देन व्यापारिक रूप तक ही सीमित रहे और जब कभी भी यह राजनैतिक प्रश्न बनता है तो हम इसका ध्यान रखते हैं। जबकि कोई विशिष्ट प्रश्न हमारे ध्यान में नहीं लाया जाता और इसकी जांच नहीं की जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इस तम्बाकू के प्रश्न की जांच करूंगा।

**Shri Maharaj Singh Bharati :** If Russia is adopting Capitalists methods regarding business, then it is a matter of pleasure and not that of sorrow. So far as the rupee payment is concerned the Western countries conduct business in it and they also conduct business in rupee payment There are many methods of bungling. But I want to know plainly from the Hon. Minister that since we are a non-aligned country and we have nothing to take from capitalism and communism, whether we discriminate in the matter of rules and regulations of trade with capitalist and communist countries, and if not, then will you state that our rules are equally applicable to all and on that basis the capitalist and socialist countries can carry on trade ?

**Shri B. R. Bhagat :** There is no question of discrimination in it. Since different countries have their own trade policy and rules therefore we have to act accordingly. But our sole aim is to see where our trade and national interests rest. Whatever we do, we take this into consideration.

**Shri Prem Chand Verma :** I will not touch the political aspect of this question. Whatever information I have got I want to say on its basis that their State Trading Corporation purchase goods from East European Countries through agencies and the agencies take commission in it of which the hon minister says that he has no knowledge. Atleast the hon. minister should know that their S T. C. purchase goods through agencies and why he is not aware of this. My question is this that at present the export and import with East European countries are all conducted through agencies. Whatever the S. T. C. export, it all go through agencies and these agencies are getting commission from 25 per cent to 35 per cent. Then whether the hon. minister will look into this matter and direct the S. T. C. that no agency should be recognised and no goods of Public Sector may be sent through any agency.

**Shri B. R. Bhagat :** I will request the hon. member that the question was related to export and not to import. (Interruption).

**Shri Prem Chand Verma :** With the permission of the hon. minister I can quote the name of agencies......(Interruption).

**Shri B. R. Bhagat :** I have stated that the import is done by S. T. C. and they make purchase directly from here. Generally there is no agent in it and if there are such, I have no knowledge about it ·······(Interruption)

**Shri Bhogendra Jha :** Today it is a matter of great pleasure that those members have spoken in favour of State Trading Corporation and this might have happened by chance. I want to know from the hon. minister that in view of the trade wiht capitalist and socialist countries, will the Government is prepared to consider the question of ending atleast the validity of agency in that connection when particularly the question is being raised in this House from every quarters. (Interruption). It is not a matter of thinking. And if not, then what are the reasons. I want to know this.

**Shri B. R. Bhagat :** It is a question of feasibility and not of ideological matter.

**Shri Bhogendra Jha :** You have not answered. Are you prepared or not.

**Shri B. R. Bhagat :** If there is any difficulty in changing the pattern of the whole trade, then it can only be a parctical difficult. But it will take time to go into details.

**Shri Bhogendra Jha :** I have only stated in respect of the commission Agency arrangements and have not said anything regarding trade. The Government is considering to abolish the system of trade through commission agents.

**Shri Shashi Bhushan :** Mr. Speaker. May I know something regarding our trade with capitalist countries and with communist countries, a charge has just been levyed that the organisation dealing with trade with communist countries has been asked to give money to the communist party and this matter should be enquired into. It has also been complainted that the countries like Issraiel and West Germany trade through an agent. The remedy is that the entire foreign trade may be nationalised or else the matter may be fully enquired into. here is no other way out. The trade with communist countries is conducted through these persons. I possess a list for that. This entire business of liberty shirt etc. is conducted through these people. So I request you to consider nationalisation of entire foreign trade

**Shri B. R. Bhagat :** It is a suggestion from the Hon. member.

**श्री क० लकप्पा :** यह शोचनीय है कि लेखा परीक्षा द्वारा सरकार की अदक्षता प्रकट हुई है कि वह भारत और साम्यवादी देशों के मध्य व्यापार में कमीशन एजेन्टों का कार्य करने वाले लोगों के नाम एवं पते खोज नहीं पाई । मंत्री महोदय ने कमीशन प्रथा को समाप्त करने के बारे में सरकारी नीति की ठीक सूचना नहीं दी । क्या मैं जान सकता हूं कि कोई विदेशी एजेंसी इस मंत्रालय में इस उद्देश्य से कार्य कर रही है कि कमीशन एजेंसी पद्धति का उन्मूल्लन न हो । यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र इस मामले को हाथ में लेकर इस पद्धति को तुरन्त समाप्त करेगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** मैं पुनः दोहराता हूं । रूस का भारत से माल खरीदने के बारे में यदि कोई एजेंट नहीं है तो मैं उनके नाम कैसे दे सकता हूं ?

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :** भले ही सदन का आधा घंटा लग गया है परन्तु मंत्री की हिचकिचाहट कम होने के स्थान पर बढ़ी ही है । प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात क्या उन्हें यह

नहीं सूझा कि जांच कराई जाये केवल यह कहने की अपेक्षा कि यह सम्भव हो सकता है। प्रश्नों के लिए दस दिन का समय हम केवल सूचना पाने के लिए ही देते हैं। वह विदेश मंत्रालय में रहे हैं और अब व्यापार मंत्रालय में हैं। निश्चय ही वह यह नहीं कह सकते कि उनके पास सूचना नहीं है। इस हिचकिचाहट से यह प्रकट होता है कि उनके पास सूचना है, परन्तु वह हमें बताना नहीं चाहते। क्या वह अब भी विशेष जांच कराएंगे और सत्र समाप्ति के पूर्व सूचना देने का यत्न करेंगे।

**श्री ब० रा० भगत** : हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है। परन्तु मैं पुनः दुहराता हूं भारत में खरीद करने के लिए रूस को कोई कमीशन एजेंट रखने की, वाणिज्य कारणों से, आवश्यकता नहीं है। उनका यहां वाणिज्य-दूतावास है और उसमें अनेक वाणिज्य से सम्बद्ध व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त यदि वे किसी को रखना चाहते हैं तो वे अपना व्यय बढ़ाते हैं। हमारी सूचना यह है कि रूस के पास खरीद करने के लिए कोई एजेंट नहीं है। क्योंकि यह व्यवहार वाणिज्य सम्बन्धी है और उन्हें हमें अपने एजेंटों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उनके कुछ व्यक्ति हों। उनका एक एजेंट भी हो सकता है, मैं इस पर प्रकाश नहीं डाल सकता।

**Shri Atal Behari Vajpayee :** In his previous reply the hon. Minister admitted the probability of there being Agents of the type and expressed his ignorance about them. But what he has now stated is just the reverse, that there cannot be Agents of the type. The Minister can say that he will enquire into the matter and inform the house the result of his findings.

**श्री ब० रा० भगत** : मैं इस पर ध्यान दूंगा, परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि रूस के कोई एजेंट हैं।

**Shri Atal Behari Vajpayee :** When he has no information, how can he say that there are no Agents. The hon. Minister may say that he would enquire into the matter and collect the information.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Mr. Speaker. Please accept a privillege motion against the Minister. We shall oppose him.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : इस स्पष्ट प्रश्न के बारे में, कि क्या वह जांच कराएंगे और सदन में सूचना प्रस्तुत करेंगे, उनका क्या उत्तर है?

**श्री ब० रा० भगत** : मुझे उनके समस्त प्रतिनिधियों से सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी। मैं इसके लिए चेष्टा करूंगा।

**श्री मनुभाई पटेल** : इस व्यापार के दोष-पूर्ण ढंग से भारत में यह तीव्र भावना घर कर गई है कि यहां राम-राम को मरा-मरा समझा जा रहा है और स्टालन-लेनन भारत में राम-राम का स्थान ले रहा है। इस तथ्य की सिद्धि इस बात से हो जाती है कि हमारे अधिकांश व्यापार पूर्व योरुपीय देशों के साथ हो रहा है जबकि अन्य योरुपीय देशों की अवहेलना हो रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि पूर्व योरुपीय देशों के साथ हमारा व्यापार हमारे कुल व्यापार का 70% है?

श्री ब० रा० भगत : कुल व्यापार का 70% किसके साथ ?

श्री मनुभाई पटेल : सम्पूर्ण संसार के साथ ।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास इस समय तुलनात्मक आंकड़े नहीं हैं ।

रूस से कच्चे माल का आयात

+
*422. श्री सीताराम केसरी :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को अधिक कच्चा माल निर्यात करने के लिये सहमत हो गया है और यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) गत वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष रूस सरकार द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले कच्चे माल की मात्रा में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(ग) मुख्यतया क्या-क्या कच्चा माल आयात किया जायेगा और इस करार के परिणाम-स्वरूप प्रत्येक कच्चे माल के आयात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1969 में वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सोवियत संघ से किये जाने वाले आयातों के कुल परिमाण में कच्चे माल के अनुपात में वर्ष 1968 में आयातित कच्चे माल के अनुपात में की अपेक्षा वृद्धि हुई है । यह स्थिति भारत की बदलती हुई आयात आवश्यकताओं के अनुरूप ही है ।

(ग) आयात की जाने वाली कच्चे माल की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं : (क) प्लाटिनम (ख) एसबेस्टोस (ग) अखबारी कागज (घ) लकड़ी की लुगदी (ङ) मध्यवर्ती रंजक और (च) औषधों के लिए कच्चा माल ।

**Shri Sitaram Kesri :** Would like to know from the hon. Minister as to whether the prices at which we import raw materials from Soviet Union against our trade balances are compititive with those of other countries or whether these are on the higher side ? In case the prices are higher, do we pay them more to adjust our trade balance or whether we have to realize money in lieu of the goods we expected and due to that pressure we pay higher prices than prevailing in other countries or whether do we purchase at the same prices ?

**Shri B. R. Bhagat :** We do not purchase at rates compititive with those of other countries and procure the raw materials on negotiated basis and there are various commodities like zinc and lead which are rarely available elsewhere. We effect purchases on negotiated basis and the rates are in some cases higher and in others lower.

**Shri Sitaram Kesri :** I wanted to know whether we purchase goods from Soviet Union at rates comparatively higher or lower with these prevailing in the markets of other countries ?

**Shri B. R. Bhagat :** What I told is that the prices are both higher and lower. I order to give details it is necessary to furnish separate rates of various commodities but as I said the rates are higher as well as lower. It all depends on particular commodities and if the hon. Member so desires, I shall collect and produce rates of each commodity on receipt of notice for it.

**Shri Sitaram Kesri :** I want to know if there is an agency for the import of raw materials from other countries. We compensate foreign exchange quota of the private sector on the basis of their trade. I want to know if we do it through S. T. C. on some other Government agency.

**Shri B. R. Bhagat :** We purchase spare raw materials, that are urgently needed, through the S.T.C. Apart from that the commodities needed by certain enterprises are given to them but largely the policy is that the raw material is to a great extent imported through S.T.C

**श्री लोबो प्रभु :** भारत पर 5000 करोड़ रुपए का भयावह विदेशी ऋण है और हिसाब लगाया गया है कि हर जन्म लेने वाले शिषु पर 100 रुपए का ऋण है। ऐसी स्थिति में रूस के साथ हमारे विगत तीन वर्ष के व्यापार में उस देश पर हमारा 61 करोड़ रुपए का ऋण हो गया है। मैं सरकार से दो बातें जानना चाहता हूं।

प्रथम; रूस पर हमारे 61 करोड़ रुपये के शेष को सरकार किस तरह वसूल करना चाहती है जबकि जिन वस्तुओं का मंत्रीजी ने उल्लेख किया है उनसे किसी प्रकार भी प्राप्तव्य धन उगाहा नहीं जा सकता। क्या हम सरकार से यह आश्वासन पा सकते हैं कि जब तक यह घाटे की स्थिति बनी हुई है तब तक हमें अपने व्यापार को नई दिशा देते हुए उस देश को अपने निर्यात कम करने चाहिए क्योंकि जब हम उस देश को ऋण देते हैं तब उन देशों के विरोध का कारण बनते जो कि हमें ऋण देते हैं। ऐसे देशों का मत है कि जब हम स्वयं रूस को ऋण देते हैं तो वे हमें ऋण क्यों दें।

**श्री ब० रा० भगत :** इस प्रतिकूल शेष का प्रतिशोधन करने का एक ढंग यह भी है कि आगामी वर्ष में हम रूस को और अधिक निर्यात की योजना बनाएं।

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या मैं जान सकता हूं कि रूस के साथ हमारा अधिकतर व्यापार वस्तु-विनिमय पर आधारित है ? दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि जो कच्चा माल हम रूस से आयात करते हैं उनके मूल्यों का अन्य देशों के मूल्यों के साथ क्या मिलान किया जाता है जिससे कि यह जाना जा सके कि कौन से मूल्य सस्ते हैं।

**श्री ब० रा० भगत :** हम अवश्य मूल्यों का मिलान करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति हर वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न है। कभी तो मूल्य अधिक होते हैं और कभी न्यून।

**Shri Shiv Chandra Jha :** The Minister, in his reply, has said that our needs are somewhat such that it becomes necessary for us to import certain raw materials from the

Soviet Union as these are not available elsewhere. I want to know as to what shall be the mode of payment in respect of the raw materials we import from Soviet Union; whether it shall be on rupee payment basis or there shall be some barter arrangement under which we shall export certain raw materials to Soviet Russia. If we shall give raw materials in exchange what kind of that material shall be ?

**Shri B R. Bhagat :** The payment arrangement with that country is rupee payment basis and the trade pact we are concluding for the next year provides that they shall pay for what we expert to that country. In this we will arrive at a balance. Whatever payment is left thereafter shall be cleared in rupee payment basis.

**Shri Shiv Chandra Jha :** Which raw material shall you export ? Does your bargining provides for that this raw material you shall export and that raw material you shall import ? Please tell us all least the main items.

**Shri B. R. Bhagat :** This requires a prior notice.

**Shri M. A. Khan:** The hon. Minister has just stated, in his reply, that sometimes higher and sometimes lower prices are paid for the raw material which is imported from U.S.S.R May I know whether there are certain raw materials for which we pay more to Soviet Union while these can be had at lower prices from elsewhere. If it is so what are the items that we purchase at a higher price from there.

**Shri B R. Bhagat :** The fact is that the articles that can be procured at lower rates against free foreign exchange available with us, we do not purchase from Soviet Union. We purchase them from there when the articles are rarely available and we do not possess free foreign exchange.

**Shri M. A. Khan :** My question is that what are the reasons that we purchase an article at a higher rate from Soviet Union while the same is available at a lower price elsewhere ?

**श्री रंगा :** क्योंकि प्रश्न कांग्रेसी सदस्य ने किया है इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेसी मंत्री को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न सर्वथा विषयानुकूल है तथा सारे सदन की उसमें रुचि है।

**श्री ब० रा० भगत :** मैंने उसका उत्तर दे दिया है। यदि आप चाहें तो उसे दुहरा देता हूँ।

**श्री रंगा :** मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उत्तर देने को उद्यत हैं। परन्तु आपने उन पर उत्तर देने के लिए आग्रह नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है, "यदि आप चाहें तो मैं उत्तर दोहरा सकता हूं।

**श्री रंगा :** मुझे खेद है कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

**श्री ब० रा० भगत :** प्रश्न यह था कि यदि हमें कोई विशेष कच्चा माल अन्यत्र से सस्ते दामों उपलब्ध किया जा सकता है तो हम उसका विक्रय रूस से क्यों करें। मैंने इसका यह उत्तर दिया कि यदि हमें कोई आवश्यक कच्चा माल कम मूल्य पर मिल जाता है और

हमारे पास फ्री फोरन एक्सचेन्ज उपलब्ध है तो हम प्रायः उसे ही खरीदते हैं। इसका हम ध्यान रखते हैं। परन्तु जब हमारे पास न तो फ्री फोरन एक्सचेन्ज और न कच्चा माल अन्य देशों से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होता है तब हम रूस से खरीदते हैं।

**Shri Om Prakash Tyagi :** The hon. Minister has stated just now that we have to purchase certain commodities from the Soviet Union at a higher price. May I know whether a situation ever arises when we are able to sell our raw materials to Soviet Union at a price higher than that prevailing in other countries.

Whether it is a fact that Russia sends goods to other countries after purchasing them from India

**Shri B. R. Bhagat :** Russia does not send our goods to other countries. Under the trade agreement between India and Russia there is a clause that it will not export our goods to any other country. So far as the first part of the question is concerned, it depends upon the type of goods. We have to deal in. If we have scare goods like copper, lead, zinc of which they are in very bad need, naturally our bargaining power will increase. Usual business policy is followed in this regard.

**श्री बी० शंकरानन्द :** माननीय मंत्री ने यह मत व्यक्त किया है कि वैदेशिक व्यापार और वाणिज्यिक सम्बन्धों के लिये कमीशन एजेंसी प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया है कि जब रूस से हमारे देश को महत्त्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है तो उनकी वस्तुओं की कीमत अधिक या कम हो सकती हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये कीमतें किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कमीशन एजेंसी प्रणाली के पीछे राजनीतिक दलों का हाथ है। कमीशन एजेंसी प्रणाली और उन वस्तुओं के कम मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनका अन्य देशों से आयात किया जा सकता है; मूल्यों को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?

**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक कमीशन एजेंसी प्रणाली को समाप्त न किये जाने का प्रश्न है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने यह कहा था कि हम राजकीय व्यापार निगम तथा सामूहिक सगठनों द्वारा व्यापार किये जाने को बढ़ावे देने का प्रयास कर रहे हैं। यह कहना कि एजेंसियों को या गैर-सरकारी व्यापार को एक दिन में समाप्त कर दिया जाय, व्यवहार में बहुत कठिन होगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इस प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता।

जहां तक मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है जब भी हमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना होता है चाहे वह रूस सरकार से ही क्यों न करना हो, हम विश्व के मूल्य को ध्यान में रखते हैं। व्यापार करते समय हम इस तर्क को ध्यान में रखते हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि कुछ मामलों में जब कच्चे माल की कमी होती है और जहां सप्लाई का केवल एक ही साधन होता है और जब विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमें अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते, तो हमें ऐसे मूल्य पर सहमत होना पड़ता है जो कुछ मामलों में अधिक होते हैं।

## देश के आन्तरिक मामलों में चीन के दूतावास द्वारा हस्तक्षेप

*423. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आन्तरिक मामलों में भारत स्थित चीनी दूतावास द्वारा दखल देना इस बारे में राजनयिक प्रथा के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास को कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि वह अपने सदस्यों को इस बात के लिए आगाह कर दे कि वे भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि चीन ने भारत सरकार से "चीन–विरोधी अत्याचार" के बारे में विरोध किया है और भारतीय पत्रकार श्री फ्रैंक मोरेस सहित तीन पत्रकारों के साथ 26 दिसम्बर, 1968 को चीनी तकनीशियनों द्वारा खटमंडू सड़क पर किये गये अपमान के बारे में शान्तिपूर्ण प्रदर्शकारियों को उकसाने का भारत सरकार पर आरोप लगाया है। यदि हां, तो क्या सरकार ने नागा विद्रोहियों तथा मिजो विद्रोहियों को चीन द्वारा शस्त्रों की सहायता तथा भारत में नक्सलबाड़ी वादियों को प्रोत्साहन देने के बारे में स्पष्ट बताया है। क्या यह भी सच है कि यह प्रश्न आज की प्रश्न सूची में रखे जाने के बाद वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कुछ अधिकारी इस विरोध पत्र का विरोध करने के लिये नई दिल्ली में चीनी राजनयिकों से मिले थे।

**श्री दिनेश सिंह :** जैसा कि सभा को जानकारी है, चीन समय-समय पर जो आरोप लगाता रहा है और हम अपने आन्तरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप के बारे में जो कड़ा विरोध करते रहे हैं, उसकी सूचना समय-समय पर सभा को दी जाती रही है। हमने चीनी दूतावास को स्पष्ट कह दिया है कि वे उन कार्यों से बाज आयें तो हमारे आन्तरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप का प्रभाव देते हों। चीनी दूतावास के समक्ष प्रदर्शन के मामले के कुछ पहलू न्यायालयों के विचाराधीन हैं और हमने चीनी दूतावास को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इस मामले में सरकार का कोई हाथ नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** चीनी दूतावास ने इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर बताया है। एक महिला प्रदर्शनकारी चिल्ला रही थी, "लद्दाख में तुमने जो मेरे बच्चे मारे हैं, उन्हें वापिस दो।" चीनी दूतावास के अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों का उपहास किया। इसी से अशान्ति शुरु हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कुछ अधिकारी कल ही चीनी राजनयिकों से मिले थे और उन्हें इस बारे में बताया था। आपने चीन को इस सम्बन्ध में पहले क्यों नहीं बताया।

**श्री दिनेश सिंह :** यह दोनों बिल्कुल पृथक-पृथक मामले हैं। जब हमारे राष्ट्रियों को चीनी पत्रों का मामला पहली बार सदन के समक्ष आया था तो राज्य मंत्री ने कहा था कि वह

इस मामले की जांच कर रहे हैं। चीनी दूतावास के साथ मामला उठाने से पहले हमें उसकी जांच करनी होती है। तथ्यों का पता लगते ही हमने यह प्रश्न उठाना है। प्रदर्शन सम्बन्धी चीनी विरोध कल की नहीं बल्कि बहुत पहले की बात है। चीनियों ने पहले विरोध किया था और हमने उसे अस्वीकार कर दिया था।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में चीनी दूतावास भारत विरोधी गतिविधियों तथा जासूसी का अखाड़ा बन गया है। केरल के मुख्य मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जब तक चीन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध रहेंगे देश के कुछ तत्वों से धन आता रहेगा। इस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि दिल्ली में चीनी दूतावास ने इन राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को जारी रखा तो सरकार इस देश से चीनी दूतावास को बन्द करने के लिये बाध्य हो जायेगी।

**श्री दिनेश सिंह :** जहां तक राजनयिक सम्बन्ध तोड़ने का सम्बन्ध है, जब आवश्यकता होगी, इस मामले पर विचार कर लिया जायेगा। अब हमने उन्हें बलपूर्वक बता दिया है कि वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव में चुनाव की लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये पेंकिंग की प्रचार व्यवस्था का पूरा उपयोग किया गया था? क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि चीनी दूतावास भी इस बात के लिये सक्रिय रहा है कि पश्चिमी बंगाल में मध्यकालीन चुनाव के परिणाम इस देश के हितों के विरुद्ध हों?

**श्री दिनेश सिंह :** मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकते।

**श्री स्वेल :** क्या यह सच है कि चीनी–सोवियत संघर्ष के बाद चीन रेडियों से रूस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह जापान, थाइलैंड, मलयेशिया, फिलिपीन, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया तथा दक्षिण वियतनाम के साथ गठजोड़ कर रहा है। उसमें भारत का नाम नहीं जोड़ा गया है। क्या उसका कोई महत्व है। प्रधान मंत्री ने नव वर्ष के अवसर पर जो नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार चीन के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनः विचार करने की नीति को ठीक समझती है।

**श्री दिनेश सिंह** मैं नहीं जानता की चीनी प्रसारणों में भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया है। कई बार उन्होंने भारत तथा रूस को एक जैसा माना है।

हम चीनी नीति में किसी भी परिवर्तन का स्वागत करते हैं।

---

# अल्प सूचना प्रश्न

## SHORT NOTICE QUESTION

### Allotment of Newsprint to Newspapers

+
4. **Shri Madhu Limaye :**
**Shri A. Sreedharan :**

Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the policy of Government regarding the allotment of newsprint to daily newspapers ;

(b) whether in deciding upon the newsprint quota for newspapers for the current year the quantity left un-utilised during the period of lock out has been taken into account ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) :** (a) The policy for allocation of newsprint to newspapers, including dailies, during 1968-69 is contained in the Public Notice, No. 55-ITC (PN)/68, dated 5th April 1968, a copy of which was laid on the Table of the Lok Sabha on 6th April, 1968.

(b) and (c): The entitlement of newsprint of newspapers for the year 1968-69 has been fixed in accordance with the aforesaid Public Notice. The Policy provides for adjustment of periodicity, page-area, number of pages and circulation within the authorised quota of newsprint to meet the individual requirements of newspapers. According to the existing practice, the consumption of a newspaper for the year 1968-69 would be worked out in 1969-70, on the basis of its actual performance in 1968-69 and any quantity found unutilised would, as a matter of course, be adjusted against its entitlement for 1969-70.

**Shri Madhu Limaye :** Is it a fact that the newspapers which were closed due to lock ups, either sold their surplus newsprint quota, which is the knowledge of the Government in the blackmarket on utilised it in new supplements ? Has the hon. Minister thought over the matter that these supplements contained a very large number of advetisements from which the newspaper owners earned a lot He may please give information in regard to that income. Was that surplus newsprint sold in the black market with the consent on knowledge of the Government ?

**Shri Satya Narayan Sinha :** We do not have any information as to whether that newsprint was sold in the blackmarket. It is difficult to know about it.

**Shri Surendranath Dwivedy :** The hon. Minister has asked as to whether that was done with the consent of the Government or the hon. Minister.

**Shri Satya Narayan Sinha :** Will we give them the consent to sell the newsprint in the black market ? It appears from the question as if we have given our consent to sell the newsprint in the blackmarket.

**Shri Madhu Limaye :** I have said, "with the consent or knowledge of ".

**Shri Satya Narayan Sinha** : If some newspapers have issued supplements utilising their surplus newsprint the question of our approval for that does not arise. So far as the policy is concerned they have a right to readjust their quota in the periodicity and the number of pages etc. There is no question of our preventing them in doing so.

**Shri Madhu Limaye** : Has the hon. Minister thought over this matter that these newspapers have earned a lot of money through advertisements ?

**Shri Satya Narayan Sinha** : The supplements contain advertisements and money is earned of the advertisements.

**Shri Madhu Limaye** : The hon. Minister has admitted that these newspaper owners would have sold the newsprint in the blackmarket. But it has not been sold with their consent. He also admits that newspapers have utilised these surplus newsprint in the supplements and have earned out of them. The newspaper owners refused to implement the recommendations of the wage boards and as such there were backouts. The report which had the approval of the Government was not implemented but the owners from their side declared black outs. During the period of black outs the labour did not get their wages and the newsprint issued for the period of black outs was utilised in the supplements and the owners are making money through new advertisements in these supplements. Will the hon. Minister act strongly in the matter, that the employees get reasonable wages and other aminities and for that the newspapers utilize the money they have earned through advertisements in the supplements ?

**Shri Satya Narayan Sinha** : Our Ministry is concerned merely with newsprint. The newspapers can utilize their newsprint quota in accordance with the policy laid down for the year 1968-69. But what should be done in that matter is under our consideration and we have not arrived at a decision as yet.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : The hon. Minister is aware that daily and some other newspapers which have become monopolys of certain business houses, who central it. Will the hon. Minister arrange to give news print to other small newspapers with a view to end that monopolly ?

**Shri Satya Narayan Sinha** : The hon. Member is aware that we have given many types of facilities to small newspapers also. We are giving weightage to them in the matter of newsprint on the basis of their circulation and we want that assistance should be provided to these papers in future also. As regards the removal of monopoly, this is not the only solution for it. Everybody wants that monopoly should be abolished. It has been told in the House that this matter is before the Press Council also. A Committee has been formed there. We want cooperation of members in this matter, We realise that monopoly instead of being controlled has increased as a result of the steps taken by us in this regard.

**श्री नम्बियार** : यह सरकार की असफलता का प्रतीक है क्योंकि एकाधिकार के बढ़ रहा है ।

**Shri Tulshidas Jadhav** : The small newspapers in districts get advertisement from Government rarely. They do not get sufficient quantity of news print also. Is Government considering to give them more facilities in the matter of newsprint and advertisement ; if not, the reasons therefor ?

**Shri Satya Narayan Sinha :** Government is considering the matter. We have much reliance on small newspapers and language newspapers because they are very much helpful in bringing about national integration. We have been devising measure to help them.

**श्री स० मो० बनर्जी :** हमारी जानकारी यह है कि इस अखबारी कागज को चोर बाजार में बेचने से अथवा अनुपूरक अंक निकालने से उन्हें कोई हानि नहीं हुई है। श्री मधु-लिमये के प्रश्न और हमारी जानकारी उसे हमने बताई है क्यों ध्यान में रखते हुए क्या किसी आयोग अथवा वरिष्ठ अधिकारी अथवा केन्द्रीय जांच विभाग अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अभि-करण द्वारा इस बात का पता लगाने के लिये जांच का आदेश दिया जायेगा कि क्या उन्हें हानि हुई है। यदि उन्हें कोई हानि नहीं हुई है, तो क्या उन कर्मचारियों को मजूरी दी जायेगी जिन्हें तालाबन्दी के कारण हानि उठानी पड़ी है ?

**Shri Satya Narain Sinha :** Strikes have taken place previously also. It is true that this time the strike continued for 80 days. Their quota was never reduced and the news-papers, which were being published, were not given any additional quota. This time we have given additional quota to those newspapers, which were being published. We have not yet decided about making a cut in the quota for this period. It is not possible for me to make any commitment.

**Shri S. M. Banerj e:** My point is that the newspapers have essential that on account of loss sustained by them, they are not paying the pay and allowances. Would the hon. Minister in consultation with the Ministry of Labour see that the labourers get their wages.

**Shri Satya Narayan Sinha :** The whole question is before us and we are trying to solve it. No. final decision has been taken so far. Please do not compel us to commit anything at this stage.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :** Have Goverment's attention been drawn to the fact that 3 per cent quota allotted to newspapers for which permit have been issued by Ministry of External Trade is sold in black market against trade practices, law and policy in this regard ? His Ministry is helpless in preventing this black-marketing and the Minis-try of External Trade says that the agreement is of individual nature although the case is different. No small newspaper can go to court to prevent this black-marketing under Foreign Import Legislation. Is it under the consideration of Government to help the small newspapers, ?

**Shri Satya Narayan Sinha :** The hon. Member has himself said that it is a very difficult task. How can we suggest any solution so early.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :** Black-marketing to the tune of several crore of rupees is being done.

**श्री जे० एच० पटेल :** मैं मन्त्री महोदय का ध्यान, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के बारहवें वार्षिक प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अनुच्छेद 8 में स्पष्टतः बताया गया है :

"छोटे समाचार पत्रों ने, जिनकी संख्या 1135 है और जो 83.2% आवदकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अखबारी कागज के केवल 8.7% भाग का उपयोग किया है, बड़े समाचार पत्र (73) ने 66.1% तथा मध्यम पत्रों (156) ने 25% का उपयोग किया"

इससे स्पस्ट हो जाता है कि सरकार छोटे समाचार पत्रों की तुलना में बड़े समाचार पत्रों के साथ पक्षपात करती हैं। यह एक प्रकार का पक्षपात है। इस प्रकार का पक्षपात सरकार भारतीय भाषाओं के पत्रों की तुलना में अंग्रेजी पत्रों के साथ भी करती है। इस पुस्तक के पृष्ठ 70, तालिका चार में दिया गया है कि अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रों की संख्या केवल 1843 है जबकि भारतीय भाषाओं में पत्रों की सख्या 8640 है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की तुलना में भारतीय भाषाओं का लगभग भाग दसवां है। प्रतिवेदन के अनुसार कुल अखबारी कागज का 30% कोटा अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिये नियत किया जाता है। सम्भवतया उसका परिचालन अधिक हो। परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार ने भारतीय भाषाओं के पत्रों की अपेक्षा, चाहे वे दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक हो कोई भी पत्र क्यों न हो; अंग्रेजी पत्रों को ही विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है। सरकार ऐसा पक्षपात क्यों करती है? छोटे पत्रों की अपेक्षा बड़े पत्रों के साथ पक्षपात क्यों बरता जाता है?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मेरे विचार में कोई पक्षपात नहीं बरता जा रहा है। आगामी वर्ष की नीति निर्धारित करते समय हम माननीय सदस्य द्वारा किए गए सुझावों की जांच करेंगे। परन्तु मेरा विचार है कि अब तक कोई पक्षपात नहीं बरता गया है। यदि कुछ पत्रों को अधिक कोटा मिला है तो उसका कारण उनकी परिचालन संख्या का अधिक होना ही है।

**Shri Sheo Narain :** Mr. Speaker, Sir we are very happy that our new Information Minister is the senior most member of this House. We want that he should give an assurance to the poor workers that the existing monopoly in this regard will be checked and they could get their wages. Will he give an assurance to that effect.

**Shri Satya Narayan Sinha :** I have already said in that regard that we shall do whatever we can. What more should I say now ? I have repeatedly stated that as yet we are not in a position to say something in this regard.

**श्री नाथपाई :** मन्त्री महोदय के अनेक विरोधों के बावजूद हम निश्चित रूप से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि सरकार छोटे पत्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है भले ही यह भेदभाव अखबारी कोटे के बारे में हो अथवा उनके वरिष्ठ सहयोगी की कर-निर्धारण नीति के बारे में हो। वे देख रहे हैं कि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्र धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और इसके कारणों को वह भली भांति जानते हैं। वह मेरी बात का विरोध अवश्य करेंगे और इसलिए मैं उनसे उत्तर की आशा नहीं रखता। बड़े समाचार पत्रों में गत वर्ष की 59 दिन की हड़ताल के कारण अखबारी कागज 16% प्रतिशत कागज शेष रहा। क्या सरकार इस वर्ष कागज वितरित करते समय उस बचे हुए कागज का ध्यान रखेगी?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** हम उस पर विचार करेंगे मैं पहले ही ऐसा कह चुका हूँ। वर्ष 1969-70 का कोटा वितरित करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा।

Shri S. K. Tapuriah: Mr. Speaker, Sir having heard to the questions and the replies given by the hon, .Minister on this subject, some doubts have arisen in my mind and I would like to know from the Hon. Minister as to whether there is some law governing the issue of supplements by newspapers whereby they get more advertisements and consequently more profits. Please letus know if there is any law in this regard to restrict the issue of supplements in the papers.

Shri Satya Narayan Sinha : There is no provision in the law in this connection.

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

### केरल में रबड़ बागान

*424. श्री स० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल के रबड़ बागानों के विकास के लिए यदि कोई कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है, कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक योजना का कितना परिव्यय होगा और उसके अधीन प्राकृतिक रबड़ के कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उस कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है;

(ग) देश में रबड़ के अत्यधिक अभाव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने रबड़ बागानों के विकास अथवा विस्तार के लिए विशेष सहायता या प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रबड़ बागान के विकास के लिये अखिल भारतीय आधार पर, जिसमें केरल भी शामिल है कार्यक्रम बनाये गये हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में, 1973–74 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य 1,25,000 मी० टन है। रबड़ बोर्ड ने इस सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रम तथा रूपरेखायें तैयार की हैं। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

### इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का विस्तार

* 425. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माण के लिये नये कारखाने स्थापित करने तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की क्षमता के विस्तार के लिए उद्योगपतियों को कुछ सुविधायें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख) : जी हां ; उद्योगकर्ताओं को इलेक्ट्रानिकी उद्योग में अपनी क्षमता बढ़ाने तथा इलेक्ट्रानिकी संघटकों के निर्माण के लिए नए संयंत्र लगाने के लिये कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं । हाल ही में इलेक्ट्रानिकी संघटकों के उद्योग को "मुख्य उद्योग" घोषित किया गया है और टेलिवीजन उद्योग को "प्राथमिकता उद्योग" इससे कैपिटल साजसामान के लिए विदेशी मुद्रा की विमुक्ति के वह अधिकारी हो जाएंगे ।

**चाय पर निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना**

*** 426. श्री रा० बरुग्रा :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने चाय पर निर्यात शुल्क समाप्त करने की प्रार्थना की है क्योंकि उनके विचारानुसार इससे यह उद्योग अपने उस निर्यात बाजार को फिर से अपने हाथ में कर सकेगा जो इस समय वह खो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 3 जनवरी, 1969 को वहां के मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री तथा उप-प्रधान मन्त्री से मिले थे और आसाम के चाय उद्योग के बढ़ते हुए संकट की स्थिति स्पष्ट की थी जिस पर राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) आसाम के मुख्य मंत्री ने उप-प्रधान मन्त्री को संबोधित दिनांक 3 जनवरी, 1969 के अपने पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ चाय पर निर्यात शुल्क कम करने अथवा समाप्त करने का सुझाव दिया है ।

(ख) जी हां । आसाम के मुख्य मन्त्री 2 जनवरी, 1969 को प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री से मिले ।

(ग) 1969–70 के केन्द्रीय बजट में थोक चाय पर निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है । पहले निर्यात शुल्क मूल्यानुसार 20 प्रतिशत में से 35 पैसे प्रति किग्रा कम अथवा 2.65 रु० किग्रा, जो भी कम हो, था और अब उसे घटा कर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत में 55 पैसे प्रति किग्रा कम अथवा 1.70 रु० प्रति किग्रा, जो भी कम हो, कर दिया गया है ।

**कच्चाटीवू के मामले में मद्रास सरकार द्वारा दिया गया साक्ष्य**

***427 श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चाटीवू द्वीप पर भारतीय प्रभुसत्ता के बारे में मद्रास सरकार द्वारा दिये गये साक्ष्य को सरकार द्वारा लोक-सभा के समक्ष रखा जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख): कच्चाटीबू द्वीप पर भारत की संप्रभुता के मामले में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए प्रमाण का मूल्यांकन किया जा रहा है। अनेक स्रोतों से जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, अभी और साक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। श्री लंका सरकार के साथ जब तक विचार-विमर्श चल रहा है तब तक इसे और अन्य सामग्री को पेश करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

### एशियाई साझा बाजार

*428. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एशियाई साझा बाजार की स्थापना के लिये कोई उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सरकार एशियाई साझा बाज़ार के सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। किन्तु एशियाई देशों के मध्य घनिष्ट आर्थिक सम्बन्धों का स्वागत किया जायेगा।

### सामरिक प्रतिरक्षा सड़कों सम्बन्धी कार्यक्रम

*429. श्री रा० को० अमीन : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री कृ० मा० कौशिक : श्री एन० शिवप्पा :
श्री मीठालाल मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सामरिक प्रतिरक्षा सड़कों सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था योजना के लिये निर्धारित धन के अतिरिक्त की जायेगी;

(ख) क्या दो वर्ष के अन्दर पूरी की जाने वाली खास-खास सामारिक सड़कों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की मांग की गई है जिससे वे यातायात योग्य बनी रहें; और

(ग) यदि हां, तो अगले चार वर्षों में बनने वाली सड़कों के कार्यक्रम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) बोर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल हाईवेज़ द्वारा अपने हाथ में ली गई सड़कों के अलावा अन्य सामरिक महत्व की सड़कों की आवश्यकता के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय को बता दिया गया था। बाद में इस पर योजना आयोग में भी विचार विनिमय किया गया और यह मान लिया गया कि सामरिक महत्व की इन सड़कों के विकास के लिये जो धन चाहिये उसकी व्यवस्था योजना में होनी

चाहिए। चूंकि चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप देना है इसलिए इस मौजूदा स्थिति में सामरिक महत्व की सड़कों पर लगाए जाने वाली धन राशि के ठीक ठीक आंकड़े नहीं दिये जा सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने जो योजनाएं बनाई है उनमें नई सड़कों के बना , वर्तमान सड़कों को और अच्छा और मजबूत बनाने, स्थाई पुलों को बनाने और वर्तमान पुलों आदि को और मजबूत बनाने की व्यवस्था है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर प्राथमिकता वाली परियोजनाएं अधिकतया राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बनाई गई है। जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और उपूसी में भी कुछ परियोजनाएं हाथ में लिये जाने की योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना और उसके अधीन विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित की जाने वाली धन राशि को अन्तिम रूप दिये जाने और प्रस्तापित सड़क निर्माण कार्यों पर लगने वाली लागत के पक्के अनुमान उपलब्ध होने के बाद सड़क निर्माण के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

**टायरों का आयात**

*430. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री भगवान दास :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
**श्री प० गोपालन :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर टायरों का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से टायरों का आयात किया जायेगा और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जायेगी;

(ग) देश में टायरों की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है; और

(घ) देश में निर्मित प्रत्येक प्रकार के टायरों तथा विदेशों से आयातित टायरों की लागत में कितना अन्तर है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :**(क) वास्तविक उपयोक्ताओं को सीमित मात्रा में टायरों का आयात करने की अनुमति दी गयी हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 301/69]

(ग) टायरों की कमी से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए आयातों की अनुमति देने के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:–

(1) स्वदेशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है;

(2) प्राकृतिक रबड़ के सीमित आयातों की अनुमति दी गई है;

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन विभिन्न प्रकार के टायरों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को अपनी आपूर्ति और वितरण को नियन्त्रित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रकार के आयातित टायरों के मूल्य समय-समय पर तथा प्रत्येक देश, जहां से उनका आयात किया जाता है, के मामले में भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः स्वदेशी तथा आयातित टायरों की लागत में अन्तर बताना सम्भव नहीं है।

**रूस से ट्रैक्टरों का आयात**

*431. **श्री क० लकप्पा : श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्रीमती इलापाल चौधरी : डा० सुशीला नैयर :**
**श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों के आयात के लिए दिसम्बर 1968 में रूस सरकार के साथ एक करार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां से कितने और कितनी लागत के ट्रैक्टर मंगाये जायेंगे;

(ग) उनके मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा;

(घ) उनका वितरण किसानों को सीधे रूप से किया जायेगा अथवा किसी अभिकरण के माध्यम से और ग्राहकों को वे किस मूल्य पर दिये जायेंगे; और

(ङ) इन ट्रैक्टरों के मूल्यों की तुलना में हमारे देश में बने उसी प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्य कितने कम या अधिक हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1969 में अनुमानतः कुल 4.25 करोड़ रु० मूल्य के 14 अश्वशक्ति के 6000 तथा 50 अ०श० के 500 ट्रैक्टरों का आयात किया जाना है।

(ग) ट्रैक्टरों का आयात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर किया जा रहा है। भुगतान की किश्तों की अदायगी की अवधि 8 मास है और यह भुगतान भारतीय रुपये में होना हैं।

(घ) कृषकों को ट्रैक्टरों का वितरण राज्य कृषि उद्योग निगमों तथा/अथवा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा मनोनीत अभिकरणों के माध्यम से किया जायेगा। 14 तथा 15 अ०श० के ट्रैक्टरों का अनुमानित बिक्री मूल्य क्रमशः 8000 रु० तथा 16,500 रु० होगा।

(ङ) 25 अ०श० से कम के ट्रैक्टरों का निर्माण देश में नहीं हो रहा है। 50 अ०श० के ट्रैक्टरों का बिक्री मूल्य देश में निर्मित उसी कोटि के ट्रैक्टरों के मूल्य से काफी कम होगा।

**हौजरी माल का रूस को निर्यात**

***432. श्री के० रमानी : श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री ई० के० नायनार श्री उमानाथ :**

**क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत से 2–112 करोड़ रुपये के मूल्य की बनियानें और सिले–सिलाये ऊनी कपड़े खरीदने का क्रयादेश दिया है;

(ख) क्या उनकी सप्लाई के लिए एक गैर–सरकारी भारतीय सार्थ के साथ एक करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस सार्थ का नाम क्या है और उस करार का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग): ज्ञात हुआ है कि सोवियत व्यापार संगठन ने गैर–सरकारी क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों को सिले–सिलाये ऊनी कपड़े खरीदने के लिए कुछ क्रयादेश दिए हैं। सरकार को करार के ब्यौरों तथा विभिन्न क्रयादेशों के मूल्यों की कोई जानकारी नहीं है।

**जापान में होने वाली एक्सपो-70 प्रदर्शनी**

***433 श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**

**क्या वैदेशिक** व्यापार **तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 15 मार्च से 13 सितम्बर, 1970 तक ओसाका में आयोजित की जाने वाली जापान विश्व प्रदर्शनी (एक्सपो-70) में भाग लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने वहां एक राष्ट्रीय मण्डप बनाने का निर्णय किया है जिससे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो एक्सपो–70 में कौनसी वस्तुयें प्रदर्शित की जायेंगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग): जी, हां। एक्सपो–70 की मूल धारणा 'मानवता के लिये प्रगति तथा सामंजस्य', में भारतीय योगदान का प्रचार करने के लिए एक राष्ट्रीय मंडप स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। भारत की कला, संस्कृति तथा परम्पराओं की थाती के आधार पर, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में, भारत की उपलब्धियों पर भी उपयुक्त रूप से प्रकाश डालने का विचार है। प्रदर्शनी से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की सम्भावना पर भी सरकार विचार कर रही है। जिन विशिष्ट मदों को एक्सपो-70 में प्रदर्शित किया जायेगा उन्हें इतनी शीघ्र बताना सम्भव नहीं है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर

*434. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बगलौर द्वारा एक ब्रिटिश फर्म के सहयोग से वर्ष 1969 में भारतीय संगणक तैयार किये जाने की आशा है,

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने पर वर्ष में इस प्रकार के कितने संगणक तैयार किये जा सकेंगे; और

(ग) प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल॰ना॰ मिश्र)** : (क) से (ग): एक ब्रिटिश फर्म की भारतीय सब्सिडी, सर्वश्री इंटर्नेशनल कम्प्यूटर्ज (भारत) प्राइवेट लिमिटेड-आई॰ सी 9 एल॰ को 4 वर्षों की अवधि में 56 कम्प्यूटरों का निर्माण करने के लिए लाईसन्स दिया गया था। उन्हें भारत इलेट्रानिक्स लिमिटेड (बी॰ ई॰ एल॰) बंगलौर से कम्प्युटरसिस्टम के डाटा प्रासेसिंग यूनिट के निर्माण के लिए सहयोग किया है। बी॰ ई॰ एल॰ का 1969-70 में 2 सिस्टमों का उत्पादन करने का कार्यक्रम है, और शेष सिस्टमों का उसके पश्चात। 4 वर्ष के अन्त में वार्षिक उत्पादन 20 सिस्टम होगा। कम्प्यूटरों को विदेशी मुद्राशं पहले वर्ष के 85 प्रतिशत से चौथे वर्ष में प्रगतिशीलता से घटता घटता 46.5 प्रतिशत पहुँच जाएगा। इस अवधि में विदेशी मुद्रा में लगभग बचत लगभग 150 लाख रुपए होगा।

**Decline in Export of Tea**

*435. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the export of tea has gone down during the year 1968 both in quantity and value;

(b) the quantity and value of tea exported and the value received during the years 1967 and 1968, separaely;

(c) whether it is a fact that the decline in exports of tea has created a crisis in the tea industry; and

(d) if so, the steps taken by Government to end the crisis and to increase the export of tea ?

**The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat)** : (a) Yes, Sir.

(b) Total quantity and value of tea exported from India during 1967 and 1968 are given below:—

| Year | Qty. in mn. kg. | Value in Rs. crore |
|---|---|---|
| 1967 | 213.7 | 189.0 |
| 1968 | 209.3 | 174.6 |

(c) and (d) : There is no crisis in the Tea Industry but it has been facing difficulties, for which possible and necessary remedial action has been taken from time to time. Although the price of tea was lower in the international market during 1968 compared

to the previous year, the loss on account of lower price has been partly offset by higher production in 1968. With a view to offsetting the decline in prices, the following concessions were granted: (i) the rebate on export duty was increased from 24 p. per kg. to 35 p. per kg. with effect from 1.10.68, (ii) the special excise duty of 20% of the basic excise duty was withdrawn with effect from 1.10.68 (iii) a replanting subsidy scheme at the rate of Rs. 3500/- per hectare for plain gardens and Rs 4500/- per hectare for hill gardens was also announced for helping the industry in carrying out replantation of old tea areas in addition to loan facilities and the facility of procuring machinery for tea processing through the Tea Board, on hire purchase, which had been there already. A further reduction in export duty on bulk tea from 20% ad valorem reduced by 35 paise per kilograms or Rs. 2.65 per kg. whichever is less to 15% ad valorem reduced by 55 paise per kilogram or Rs. 1.70 per kg. whichever is less, has been given in the budget.

### चाय के सम्बन्ध में भारत-श्रीलंका स्थायी समिति

*436. श्री चेंगलराया नायडू : श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री बलराज मधोक : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिह : श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय के सम्बन्ध में भारत-श्रीलंका संयुक्त स्थायी समिति बनाने का विचार है जिससे दोनों देशों के बीच किये गये समझौते की क्रियान्विति सुविधापूर्वक हो सके;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब तक स्थापित की जायेगी;

(ग) उपर्युक्त स्थायी समिति के मुख्य उद्देश्य, कृत्य तथा शक्तियां क्या-क्या होंगी; और

(घ) उससे भारत को क्या क्या लाभ होने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :(क) से (ग) : नई दिल्ली में 31 मई तथा 6 जून, 1968 के बीच हुई बैठक के बाद की प्रगति की समीक्षा करने के लिये 18 तथा 19 दिसम्बर, 1968 को नई दिल्ली में मंत्रीय स्तर पर हुई बातचीत में भारत तथा श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल, चाय पर एक स्थायी समिति बनाने के लिये सहमत हो गये थे, ताकि प्रत्येक देश में चाय सम्बन्धी संवर्धन, गवेषणा तथा अन्य मामलों पर संयुक्त तथा समन्वित कार्यवाही के बारे में दोनों देशों के बीच हुए करार की क्रियान्विति सुकर हो सके । यद्यपि भारतीय पक्ष के सदस्यों के नाम श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल को बता दिये गये थे, तथापि श्रीलंका की सरकार ने अपने सदस्यों के नाम फरवरी 1969 में ही भेजे । स्थायी समिति का कार्य, दोनों देशों के बीच करारों की क्रियान्विति का समन्वयन करना तथा संवर्धन और गवेषणा के सम्बन्ध में परस्पर सम्मत संयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम की प्रगति पर ध्यान रखना होगा ।

(घ) उससे भारत को जो लाभ होंगे, उनका इतना शीघ्र मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

## गुजरात में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

*438. **श्री नरेन्द्र सिंह महिडा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की ओर से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इन संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार एक कानून बनाये ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का आशय गुजरात राज्य में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों से है। यदि हां, तो मानिकचौक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है और गुजरात राज्य कपड़ा निगम को उस का अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है। अन्य मिलों की स्थिति, जो बन्द पड़े हैं, इस प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| (1) | वे मिलें जिनकी पहले ही उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जा चुकी है और जिन के मामलों की राष्ट्रीय कपड़ा निगम, राज्य सरकार तथा कपड़ा आयुक्त की सलाह से जांच की जा रही है। | 3 |
| (2) | वे मिलें जिनकी उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जा चुकी है, परन्तु जिन के मामले उच्चन्यायालयों में विचाराधीन हैं अथवा जिन्हें परिसमापित किया जा रहा है। | 4 |
| (3) | वे मिलें जिनकी उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जांच की जा रही। | 2 |
| (4) | वे मिल जिन की राज्य सरकार की सलाह स जांच की जा रही है। | 4 |
| (5) | वह मिल जिसके परिसमापन सम्बन्धी याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। | 1 |

गुजरात सरकार से कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लेने के लिये कानून बनाने के बारे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी कमजोर मिलों का, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ मिलों के साथ विलय करने के बारे में कानून बनाने का सरकार का प्रस्ताव है जो कि विचाराधीन है।

## Corruption Cases against the Officers of Foreign Trade and Supply Ministry

*439. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state:

(a) the names of all those Officers of the rank of Deputy Secretary and above in his Ministry against whom complaints of corruption, favourtism etc. we e received during the last three years;

(b) the details of such complaints and the details of the complaints out of them which were entrusted to the Central Bureau of Investigation and the vigilance Commission for investigation; and

(c) the details of reports received from these agencies and the action taken by Government thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak):** (a) Since the original notice of the Question referred to the Ministry of Commerce, it is presumed that Hon'ble Member desires information in respect of the officers of erstwhile Ministry of Commerce. No complaint was received during the last 3 years against any officer of the rank of Deputy Secretary and above in that Ministry.

(b) and (c): Do not arise.

### Closed Textile Mills

***440. Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the number of textile mills which have started working out of the 59 closed textile mills;

(b) whether Government tried to know the reasons for their closure;

(c) the number of workers rendered unemployed due to the closure of these mills;

(d) whether Government have prepared any scheme to see that these mills work to their full capacity; and

(e) whether the closure of these mills has affected our foreign exchange earnings ?

**The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat)** : (a) The Hon'ble members are presumably referring to the 59 textile mills which were lying closed at the end of October, 1968. If so, 12 out of these mills have since reopened.

(b) Yes, Sir.

(c) The number of workers rendered unemployed by the closure of these 59 mills was about 68400.

(d) No, Sir. However, the case of each mill is examined in consultation with the State Government concerned and suitable action is taken wherever considered necessary.

(e) No, Sir.

### कलकत्ता में माल डिब्बा निर्माण उद्योग

***441. श्री म० ला० सौंधी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत रूस व्यापार समझौते से कलकत्ता के माल डिब्बा निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन नहीं मिला; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### भारतीय बीजों का निर्यात

*442. श्री प० मू० सईद : वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 में तथा वर्ष 1968-69 में अब तक देशवार, विदेशों को कितनी मात्रा में भारतीय बीजों का निर्यात किया गया और वर्ष 1969-70 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) देश-वार उनके निर्यात का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय बीजों के निर्यात के लिये पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के देशों की मंडियों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या बीजों का निर्यात बढाने की दृष्टि से सरकार का विचार उपरोक्त देशों की मंडियों का अध्ययन करने का है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख): एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में बुआई के प्रयोजनार्थ बीजों का निर्यात दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 302/69]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) मामला विचाराधीन है ।

### N. C. C. as Optional Subject in Colleges

*443. Shri Yashpal Singh Kushwah : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the decrease in the number of N. C. C. cadets as a result of Government's decision to make N. C. C. an optional subject for students in Colleges in India instead of its being a compulsory subject; and

(b) whether Government propose to reconsider their policy under the above circumstances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b) : The policy of Government is that all male University students in the first two years of their course should participate in one of the three approved programmes of youth activity viz., National Cadet Corps, National Services Corps and the National Sports Organisation. For girl students, participation in any one of the schemes is to be on a voluntary

basis. It has, however, not been possible to implement this policy during the current year for a variety of reasons. All except 9 Universities have made NCC training in their colleges voluntary. There has been decline in the actual strength of the NCC cadets in the Senior division by approximately one lakh during the current financial year. The question of modifying the policy has not been taken up so far.

**Fourth Five Year Plan**

***444. Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government propose to seek advice and co-operation of the leaders of all sections of Society in the country with a view to making the Fourth Five year Plan a success;

(b) if so, in what manner;

(c) whether the new American Administration will in any way affect the Fourth Five Year Plan; and

(d) if so, the nature thereof ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) and (b): In formulating the Fourth Five Year Plan, the Planning Commission had a series of wide-ranging discussions so as to have the advice and cooperation of leaders of all sections of the community. It is proposed to continue such consultations and discussions during the course of the implementation of the Plan.

(c) Government would not like to speculate on the foreign aid policies which the new Administration in the United States is likely to adopt. However, the Fourth Five Year Plan is based on a realistic appraisal of external and internal resources likely to be available for financing the Plan.

(d) Does not arise.

**कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग**

***445. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रा० वें० नायक :**
**श्री प्र० न० सोलंकी : श्री चं० चु० देसाई :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त वस्त्र आयुक्त की बम्बई में भारतीय कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में शामिल होने वाले अधिकांश उद्योगपति पूर्णतया असंतुष्ट लौटे थे;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी 1969 के 'इकनामिक टाइम्स' में इस बारे में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) जी हां।

(ख) बुनकरों के कतिपय प्रतिनिधि असन्तुष्ट प्रतीत हुए क्योंकि रेयन धागे के मूल्यों में 4 रुपये प्रति किग्रा की कमी करने की उनकी मांग को मंज़ूर नहीं किया गया।

(ग) और (घ): 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार में बुनकरों ने रेयन धागे के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण की मांग की थी। टैरिफ आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात उपचारात्मक उपायों पर, यदि कोई आवश्यक हुए तो, सरकार विचार कर सकती है। इस प्रतिवेदन के मार्च, 1969 के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है।

### मशीनी औजार निर्माताओं का निर्यात संघ

***446. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मशीनी औजार निर्माता संस्था ने मशीनी औजार निर्माताओं का निर्यात संघ बनाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है तथा प्रस्तावित संघ क्या क्या कार्य करेगा;

(ग) इस संघ के माध्यम से मशीनी औजारों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का क्या सहायता देने का विचार है; और

(घ) इस संघ की स्थापना की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक)** : (क) और (ख) : भारतीय मशीनी औजार निर्माता संस्था ने बताया है कि मशीनी औजार निर्माताओं का एक सार्थ संघ स्थापित करने का उनका विचार है। ऐसा समझा जाता है कि इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस लिये प्रस्तावित सार्थ संघ के ठीक-ठीक कार्यों तथा उद्देश्यों को बताना संभव नहीं है।

(ग) निर्यातकों को प्राप्य साधारण सहायता के अतिरिक्त इस सार्थ संघ के लिये सहायता के कोई विशेष अथवा अधिमानयुक्त उपबंध नहीं है।

(घ) सार्थ संघ की स्थापना के लिये भारतीय मशीनी औजार निर्माता संस्था द्वारा सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

### नेपाल को निर्यात

***447. श्री नि० रं० लास्कर** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने नेपाल की ऐसी भारतीय वस्तुओं की जिनकी उस देश को आवश्यकता नहीं है एक सूची देने के लिये कहा है ताकि नेपाल को ऐसी वस्तुओं का निर्यात रोकने के लिये कार्यवाही की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सूची दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क)** जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।

**Complaints against S. T. C. Officers**

***448. Shri Shri Gopal Saboo**
**Shri C. Janardhanan**
**Shri Ramavatar Shastri**
**Dr. Ranen Sen**
**Shri Direshwar Kalita**
**Shri Sarjoo Pandey**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details of the complaints received by Government against the former Chairman and high officers of the State Trading Corporation and the action taken thereon ;

(b) the details of the complaints which have been looked into and the findings of the inquiry ;

(c) the details of the complaints which are pending for the last two years and have not been looked into finally ; and

(d whether it is a fact that the said Officers are trying to delay the inquiry in collusion with some people ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) :** (a) to (c) : Complaints in regard to certain commercial transactions handled by some of the officers of the S. T. C. including the former Chairman were received and are under examination.

Complaints alleging corrupt practices in respect of certain other matters dealt with by some of the officers of S. T. C. were taken up by the C. B. I. for investigation during 1966-68. C. B. I. have so far completed investigation in respect of four cases of which they have decided to drop one. In one more case it has been decided that no action is called for against the concerned S. T. C. officers. In the remaining two cases, action if any, to be taken against the concerned officers is under consideration. Four cases are still under investigation by the C. B. I.

(d) : No, Sir.

**उत्तर कोरिया के साथ व्यापार**

***449. श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री बृजभूषण लाल :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत ने उत्तर कोरिया को कितने मूल्य का माल निर्यात किया और कितने मूल्य के माल का वहां से आयात किया ;

(ख) उत्तर कोरिया को निर्यात की जाने वाली तथा वहां से भारत को आयात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम तथा उनकी मात्रा और मूल्य कितना-कितना है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर कोरिया भारत से आयातित अनेक वस्तुओं का साम्यवादी चीन को,निर्यात करता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस विषय में उत्तर कोरिया से बातचीत की गयी है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 303/69]

(ग) प्रजातंत्रीय जनवादी गणराज्य कोरिया द्वारा चीन को किसी भारतीय वस्तु के पुर्ननिर्यात के किसी मामले की भारत सरकार को सूचना नहीं मिली है । 19 दिसम्बर, 1968 को हुए व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान की वस्तुएं पुर्ननिर्यात के लिये नहीं होतीं अपितु अपने-अपने देश में खपत के लिये होती हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

### भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग

***450. श्री पी० सी० अदिचन :** | **श्री देवेन सेन :**
**श्री शिवचन्द्र झा :** | **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** | **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
**श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में संयुक्त आर्थिक सहयोग समिति की कोलम्बो में हुई बैठक में भारत और श्रीलंका का एक साझा बाजार बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) प्रस्ताव में उल्लिखित साझा बाजार का यथार्थ रूप क्या है ;

(घ) इस बैठक में और किन-किन विषयों पर विचार किया गया था ; और

(ङ) क्या-क्या निर्णय किये गये ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** ( क ) जनवरी, 1969 में कोलम्बो में हुई आर्थिक सहयोग सम्बन्धी संयुक्त समिति की पहली बैठक में भारत तथा श्रीलंका के बीच साझा-बाजार की स्थापना करने के प्रश्न पर बातचीत नहीं हुई।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) : संयुक्त समिति की बैठक में बातचीत के विषय तथा किये गये विनिश्चय वार्ता के पश्चात जारी की गयी विज्ञप्ति में दिये गये हैं । विज्ञप्ति की एक प्रति

(अंग्रेजी में)) सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 304/69]

**Reports of Commissions, Study Teams etc. appointed by the Commerce Ministry**

2650. **Shri Bharat Singh Chavan :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state the names,dates of publication, language, price and the position regarding the availability of the reports (recommendations etc.) submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and the Committees relating to his Ministry and subordinate institutions and organisation during the last three years ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak)** Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**गुजरात में हस्तशिल्प उद्योग का संवर्धन**

2651. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में गुजरात में हस्तशिल्प उद्योग का संवर्धन करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कुल परिव्यय, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मंजूर की गई सहायता, गुजरात में हस्तशिल्प के वस्तुवार वार्षिक उत्पादन का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात में हस्तशिल्प उद्योग का संवर्धन करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) :** ( क ) : जी हां।

(ख) गुजरात में हस्तशिल्प उद्योग के संवर्धन की योजनाओं का ब्योरा देने वाला एक अनुबन्ध 1 ( अंग्रेजी में ) संलग्न है जिसमें उसकी रूपरेखा तथा सरकार द्वारा दी गई सहायता का भी उल्लेख है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 305/69] गुजरात में हस्तशिल्प के मदवार वार्षिक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) योजना का मोटा-मोटा ब्योरा अनुबन्ध 2 (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 305/69]

**जंजीबार के भारतीयों की सम्पत्ति का अधिग्रहण**

2652 **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से अब तक तंजानिया सरकार ने जंजीबार में रहने वाले भारतीयों की अचल सम्पत्ति के रूप में कितने मूल्य की आस्तियां अर्जित की हैं ;

(ख) क्या उनकी सम्पत्ति अधिग्रहीत करने के लिये उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गयी है।

(ग) क्या पिछले दो वर्षों में अधिक भूमि अधिग्रहीत की गई हैं ; और

(घ) सरकार ने उन भारतीयों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है जिनकी सम्पत्ति अधिग्रहीत कर ली गई है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जंजीबार में रहने वाले भारतीयों की उस अचल सम्पति के निश्चित मूल्य का पता चलाना कठिन है, जिसे वहां के अधिकारियों ने 1964 के बाद जब्त कर लिया है। किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में कुछ दिन पहले इन लोगों को लगभग 10 करोड़ रुपए की क्षति उठानी पड़ी। इस प्रकार के लगभग सभी लोग ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं।

(ख) जंजीबार सरकार ने मार्च 1964 में राष्ट्रपति आज्ञप्ति जारी की, जिसके आधार पर उनकी ये सम्पत्तियां जब्त की गई हैं। उन सम्पत्तियों के मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने जंजीबार सरकार के साथ इस मामले को कई बार उठाया है।

इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जंजीबार से भारत लौटने वाले लोग वे सब रियायतें पा सकते हैं जिन्हें भारत सरकार निवास स्थानांतरण सम्बन्धी उदार नियमों के अन्तर्गत प्रदान करती है जिससे कि वे फिर से भारत में बस सकें और अपनी जीविका चला सकें।

### 'केन्याकरण' नीति से प्रभावित भारतीय व्यापारी

2653. **श्री बाबू राव पटेल**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के 'केन्याकरण' नीति के अंतर्गत केन्या में भारतीयों के व्यापार-लाइसेंसों के रद्द करने से कितने भारतीय व्यापारियों को आघात पहुंचा है तथा उनकी कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ख) पहली जनवरी 1960 को लागू होने वाले केन्या के व्यापार लाइसेंस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं तथा आधारभूत वस्तुओं की किन श्रेणियों के संबंध में भारतीय द्वारा व्यापार पर रोक लगाई गई है और रोक लगाए गये क्षेत्रों के नाम क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन में केन्या सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भारतीयों को कार्य तथा व्यापार और निवास परमिट न देने की नीति को वापिस लेने का केन्या सरकार का कोई इरादा नहीं है ; और

(घ) विदेशों के सभी भारतीयों को 'वापिस स्वदेश जाओ' की नीति को खुले तौर पर घोषित करने के क्या कारण हैं जबकि उनकी सीमित संख्या से 50 करोड़ भारतीयों तथा उनकी लाखों समस्याओं पर कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पड़ेगा।

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) : कीनिया में भारतीय व्यापारियों की संख्या और उनके पूंजीनिवेश के बारे में ठीक-ठीक सूचना सुलभ नहीं है।

(ख) कीनिया में 1 अप्रैल, 1968 से जो व्यापार लाइसेंस बिल लागू हुआ है उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) कि सभी तरह के व्यवसाय पर लाइसेंस होना चाहिए :

(2) कि जहां तक संभव हो, शहरी क्षेत्रों के बाहर सिर्फ कीनिया के नागरिकों को ही व्यवसाय करने की इजाजत दी जाए ; और यह

(3) कि जहांतक व्यवहार्य हो कुछ खास-खास चीजों का व्यापार सिर्फ कीनिया के नागरिकों के हाथ में रहे।

कीनिया की सरकार ने 12-8-68 की एक अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा की कि 31-12-68 के बाद विदेशी व्यापारियों को मक्का और मक्के से बनी चीजें, चीनी, लकड़ी का कोयला, चावल, हर तरह की ताजी सब्जियां, बिस्कुट, घी और घी से निकाली गई चीजें, खाकी जीन, पुराने कपड़े, साबुन, दियासलाई मिठाईयां, नमक, सिगरेट और मिट्टी का तेल आदि जैसी कुछ विशिष्ट चीजों का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) बताया जाता है कि राष्ट्र मंडल सम्मेलन में कीनियां सरकार के प्रतिनिधि ने कहा है कि कीनिया का विदेशी निवासियों से काम और निवास के परमिटों को शीघ्रता से वापिस ले लेने की अपनी नीति से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है।

(घ) कीनिया में भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों पर असर हुआ है वे प्रायः सभी ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी प्रमुखतः यूनाइटेड किंगडम की सरकार पर है। बहरहाल उन व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक प्रबन्ध को अंतिम रूप दिया गया है जिन्हें मजबूरन कीनिया छोड़ना पड़े और जो भारत वापस आना चाहते हों।

## रबड़ का उत्पादन

2654. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर रबड़ का उत्पादन होता है और पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रबड़ का उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में दस सब से बड़े रबड़ उत्पादकों के नाम क्या है और उनमें विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं और वे प्रति वर्ष कितनी राशि विदेशों को भेजती हैं ; और

(ग) देश की रबड़ आवश्यकताओं में प्रति वर्ष कितनी कमी होती है और इसे कैसे पूरा किया जाता है और आयात किये जाने वाले प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट रबड़ का किन-किन देशों से प्रतिवर्ष कितने मूल्य का आयात किया जाता है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) भारत में, प्राकृतिक रबड़ का वाणिज्यिक उत्पादन मुख्यतः केरल, मद्रास, तथा मैसूर राज्यों में होता है। अंडमान में भी थोड़ी सी मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। गत तीन वर्षों में उत्पादित कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये गये हैं ;

| वर्ष | प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन (मे० टन) | उस अवधि में विद्यमान ओसत कीमत पर अनुमानित मूल्य (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| 1965–66 | 50530 | 20.21 |
| 1966–67 | 54818 | 29.60 |
| 1967–68 | 64468 | 24.18 |

(ख) दस बड़े रबड़ उत्पादकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :

(1) मैसर्स मलयालम प्लांटेशन्स लि०, क्विलोन केरल राज्य।

(2) मैसर्स कोचीन मालाबार एस्टेट्स लि०, रैस कोर्स रोड, कोयम्बतूर–18, तामिलनाडू।

(3) मैसर्स राजगिरी रबड़ एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि०, बीच रोड, अलेप्पी, केरल राज्य।

(4) मैसर्स ट्रावनकोर रबड़ एण्ड टी कम्पनी लि० त्रिवेन्द्रम।

(5) मैसर्स मिडलैण्ड रबड़ एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि० अलेप्पी, केरल राज्य।

(6) मैसर्स मलंकरा रबड़ एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि०, कोट्टायम, केरल राज्य।

(7) मैसर्स न्यू अम्बाड़ी एस्टेट्स (प्राइवेट) लि०, कन्याकुमारी, तामिलनाडू।

(8) मैसर्स कैलाश रबड़ कम्पनी लि०, कोट्टायम, केरल राज्य।

(9) पुलांगोडे रबड़ एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि०, कोचीन-1

(10) मैसर्स ट्रापिकल प्लांटेशन्स, मोट्टायम, केरल।

इनमें से, मैसर्स मलयालम प्लांटेशन्स लि०, मैसर्स कोचीन मालाबार एस्टेट्स लि० तथा मैसर्स पुलांगोडे रबड़ एण्ड प्रोड्यूस कम्पनी लि० विदेशी स्वामित्व वाली रबड़ बागान कम्पनियां हैं।

उपर्युक्त 3 विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा भारत से बाहर स्वदेश को भेजी हुई राशियां नीचे दी गई हैं :-

| वर्ष | राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1965–66 | 30.7 |
| 1966–67 | 85.3 |
| 1967–68 | 86.2 |

(ग) उत्पादन तथा खपत के अन्तर को आयातों से पूरा किया जाता है। वर्ष 1968-69 में लगभग 22000 मे० टन की कमी होने का अनुमान है। वर्ष 1968-69 में 19000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ तथा 3000 मे० टन विशेष प्रयोजनार्थ संश्लिष्ट रबड़ के आयात करने की अनुमति दी गई है। आयातित रबड़ की लागत 8 करोड रु० है (6.5 करोड़ रु० प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिये तथा 1.5 करोड रु० विशिष्ट प्रयोजनात्मक संश्लिष्ट रबड़ के लिये)। प्राकृतिक रबड़ का अधिकांश आयात मलयेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अमेरिका और संश्लिष्ट रबड़ अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा कनाडा से किया जाता है।

**अहमदाबाद में भूमि उपग्रह संचार केन्द्र**

2655. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में भूमि पर प्रयोगात्मक उपग्रह संचार केन्द्र बनाने पर कितनी लागत आयेगी और उस के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ख) अमरीका की राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (एन० ए० एस० ए०) द्वारा उपग्रह न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस केन्द्र में अब तक कितने तजुर्बे किये गये हैं; उनका स्वरूप क्या है और उन पर कितनी लागत आई है; और

(घ) अन्तरिक्ष केन्द्र के कब तक भूमि पर बने रहने की सम्भावना है और इसके फलस्वरूप सरकार को कितनी हानि होगी ?

**प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) इस केन्द्र की स्थापना पर 1 करोड़ 8 लाख 47 हजार रुपये व्यय हुये जिसमें 48 लाख 78 हजार रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा थी। विदेशी मुद्रा के रूप में होने वाले व्यय में से 30 लाख 56 हजार रुपये केन्द्र के मुख्य उपकरणों की खरीद के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से प्राप्त हुए।

(ख) और (ग): नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ए टी एस श्रृंखला में छोड़े गये उपग्रहों में से एक उपग्रह की सहायता से कुछ परीक्षण करने का कार्यक्रम इस केन्द्र ने बनाया था। यद्यपि उपग्रह निश्चित कार्यक्रम के अनुसार छोड़ा गया था तथापि इसके द्वारा आशानुकूल कार्य न करने के कारण ये परीक्षण नहीं किये जा सके। फिर भी केन्द्र ने नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा छोड़े गये अन्य उपग्रहों की सहायता से पांच परीक्षण किये। इन परीक्षणों पर कोई विशेष व्यय नहीं हुआ।

(घ) इस केन्द्र का मुख्य कार्य उपग्रह संचार तकनीक का विकास करने तथा इस में प्रशिक्षण देने और अनुसंधान करने की सुविधाएं प्रदान करना है। क्योंकि यह केन्द्र पैसा कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया, अतः सरकार को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

### Textile Mills in Maharashtra

2656. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government have sought permission of the Central Government for taking over the textile Mills in Maharashtra and for managing them; and

(b) if so, whether the Central Government have considered the matter and if so, the decision taken thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### घुड़दौड़ के घोड़ों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा

2657. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956-57 से 1967-68 की अवधि में घुड़दौड़ के घोड़ों का आयात करने के लिये वर्षवार रुपयों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी; और

(ख) उक्त अवधि में वर्षवार घुड़दौड़ के कुल कितने घोड़ों का आयात किया गया था ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) 1956-57 से 1967-68 की अवधि में घुड़दौड़ के घोडों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया था।

(ख) 1956-57 से 1967-68 की अवधि में आयातित सभी प्रकार के घोड़ों की संख्या तथा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 306/69**]

### गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

2658. **श्री सोमचन्द सोलंकी** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कच्छ तथा बनसकंठा के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है और कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने 1969-70 के दौरान बजट में विशिष्ट जिला स्तर स्कीमों के लिए 225 लाख रुपये की तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े तालुकों के लिए 26 लाख रुपये की व्यवस्था की है। कच्छ तथा बनसकंठा जिलों के बारे में प्रावधानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

### विद्रोही नागाओं के पास हथियार

2659. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में विद्रोही नागाओं से चीन में बनी बन्दूकें तथा अन्य हथियार पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नागालैंड के मोकोक्चुंग जिले में, 14 जनवरी, 1969 को, सुरक्षा सैनिकों और छिपे नागाओं के बीच हुई मुठभेड़ में कुछ हथियार और गोलाबारूद बरामद किए गए, किन्तु उनसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि वे चीन के बने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### निर्बाध व्यापार क्षेत्र में विनियोजन

2660. श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार केन्या से वापस आये भारतीयों को भारत के निर्बाध व्यापार क्षेत्र में धन लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को अब भी कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में धन लगाने की अनुमति है बशर्ते वे विद्यमान विनियमों का पालन करें। इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

### Cottage Industries

2661. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the inadequacy of cottage industries in certain backward areas of Madhya Pradesh, such as Bastar, Mandla, Surguja, East Nimad and West Nimad;

(b) if so, whether Government propose to set up some more cottage industries in the aforesaid backward areas so that those areas could be developed industrially;

(c) if so, the number of cottage industries proposed to be set up during the Fourth Plan period and the nature of each one of them and the amount of money allocated for this purpose; and

(d) if not the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak):** (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

### मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

2662. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित की जा रही है और यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई तथा कितने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित की गई;

(ख) किस-किस स्थान पर तथा किस आधार पर भूमि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों की भूमि का एक जिले से दूसरे जिले में हस्तांतरण भी करती है और यदि हां, तो विभिन्न जिलों में भूमि के वितरण का व्यौरा क्या है तथा वे जिले कौन-कौन से हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) से (ग) : सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

### मध्य प्रदेश की विकास योजनाएं

2663. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या प्रधान मन्त्री 21 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं के बारे में इस बीच जानकारी मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 307/69]

### मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल

2664. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर कितनी-कितनी धन राशि खर्च करने का प्रस्ताव है और कितनी धनराशि अब तक खर्च की जा चुकी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** एन० सी० सी० के समस्त खर्च का हिसाब अलग अलग नहीं रखा जाता। 1968-69 के दौरान मध्य प्रदेश में एन० सी० सी० की आयोजित छात्र शक्ति की प्रति व्यक्ति पर खर्च के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य द्वारा इस वर्ष खर्च का अनुमान है क्रमश: 64.36 लाख रुपये और 47.47 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा 1968-69 में लगभग खर्च है क्रमश: 58.97 लाख रुपये और 43.51 लाख रुपये।

### Ban on Production of Coloured Sarees

2665. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a firm decision to impose restriction on the weaving of coloured sarees on Powerlooms;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government propose to impose any restriction on the Mills also about the weaving of white dhoties or sarees;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if so, the time by which the said restriction is proposed to be imposed ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak)** (a) Yes, Sir.

(b) In order to afford protection to the handloom Industry, the Powerloom Enquiry Committee recommended reservation of production of coloured sarees to the handloom Industry exclusively. This recommendation has been accepted by the Government of India. The production of dhoties and sarees by mills has also been pegged at 1963 level.

(c) Does not arise.

(d) The restriction pegging the production of dhoties and sarees by mills to their 1963 level was imposed on 19th May, 1967.

### प्रतिरक्षा फैक्टरियों में प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती किये गये नये स्नातक इंजीनियर

2666. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता, मंजगावं डाक्स लिमिटेड, बम्बई, प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्द्राबाद, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर,

आयुध कारखानों तथा रांची (दतिया) स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के संयंत्रों में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षुओं के रूप में प्रति वर्ष कितने नये स्नातक इंजीनियर (मैकेनीकल) भर्ती किये जाते हैं;

(ख) इन प्रशिक्षुओं के लिये अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं तथा उनके प्रशिक्षण की अवधि कितनी है;

(ग) उन्हें कितनी राशि की वृतिकाएं दी जाती हैं;

(घ) चयन की प्रक्रिया क्या है परीक्षा द्वारा अथवा साक्षात्कार (ईन्टरव्यू द्वारा);

(ङ०) 1969 में ली जाने वाली परीक्षाओं-किये जाने वाले चयन की आगामी तिथि क्या है तथा इन परीक्षाओं-चयनों के बारे में विज्ञापन करने के लिए क्या प्रक्रिया है; और

(च) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रतिरक्षा संस्थाओं में इन प्रशिक्षुओं को नौकरी देने की क्या कोई गुंजायश है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

### बर्मा को कपड़े का निर्यात

2667. **श्री अदिचन :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपड़े के निर्यात के लिए हाल ही में बर्मा से बहुत बड़ा क्रयादेश मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश कितने मूल्य का है और निर्यात किया जाने वाला कपड़ा कैसा और कितना है; और

(ग) क्रयादेश के लिए कपड़ा बनाने का काम किस कारखाने को सौंपा गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : पता चला है कि सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् ने बर्मा को सूती वस्त्र (धागा और कपड़ा) के निर्यात के लिये 3.98 करोड़ रु० के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये हैं। अपनी नामिका के सदस्यों में इस क्रयादेश का आवंटन परिषद् ही करेगी।

### रबड़ और नारियल जटा बोर्डों के अध्यक्ष

2668. **श्री मंगला थुमाडोम :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ और नारियल जटा बोर्डों के अध्यक्षों की कार्यावधि कब समाप्त होती है;

(ख) केरल में इन दोनों सर्वोच्च पदों पर कितनी बार और किन-किन वर्षों में गैर-सरकारी व्यक्तियों को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था; और

(ग) ऐसे पदों पर नियुक्ति की प्रणाली क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) रबड़ तथा नारियल जटा बोर्डों के अध्यक्षों की कार्यावधियां क्रमश: 14 जुलाई, 1969 तथा 1 अगस्त, 1969 को समाप्त हो जायेगी।

(ख) 1947 से अगस्त, 1955 के वर्षों के बीच रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चार अवसरों पर गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी।

नारियल जटा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को कभी भी नियुक्त नहीं किया गया।

(ग) रबड़ तथा नारियल जटा बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमश: रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4(3)(क) तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 4(3) के अनुसरण में की जाती है। 1947 से अगस्त, 1955 के वर्षों के बीच रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति बोर्ड के सदस्यों में से चुनाव द्वारा की गई थी।

### राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

**2669. डा० सुशीला नैयर :**
**श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री क० लकप्पा :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968 में लेखा परीक्षा के दौरान भारत के राजकीय व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों की संख्या क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उपग्रह

**2670. श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में ग्रामीणों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक उपग्रह की स्थापना करने सम्बन्धी अमरीकी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) : भारत सरकार एक ऐसे परीक्षण के बारे में अध्ययन तथा बातचीत कर रही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से किया जायेगा तथा जिसके अन्तर्गत टेलिविज़न संकेतों के सीधे प्रसारण की सम्भावना की जांच की जायेगी। टेलिविज़न कार्यक्रम प्रसारण की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### ट्रैक्टरों के फ़ालतू पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था

2671. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1968-69 में आयातित ट्रैक्टरों के लिए फालतू पुर्जों का आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (अक्तूबर, 68 तक) में ट्रैक्टर के पुर्जों के वास्तविक आयात क्रमशः लगभग 630 लाख रु० तथा 491 लाख रु० के हुए।

### कारों का आयात

2672. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों ने विदेशों से कारों का आयात किया था उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) वे कौन से मामले हैं जिनमें सरकार ने विदेशों से कारों का आयात करने के बारे में प्रारम्भिक आपत्तियां की ; और

(ग) ऐसे कितने मामलों में कारों का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई तथा उन व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) : (क) कारों के आयात के लिये दिये गये सीमाशुल्क निकासी परमिटों का ब्यौरा 'औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन' में प्रकाशित किया जाता है और उस बुलेटिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सन् 1966, 1967 तथा 1968 में क्रमश: 1003, 1158 तथा 1117 कारों के आयात के लिये सीमाशुल्क निकासी परमिट दिये गये थे। इसके अतिरिक्त, विदेशों से लौटने वाले भारतीय मिशनों के प्रमुख, विदेशी राजनयिक अधिकारी और विदेशी विशेषज्ञों के कुछ वर्ग अपनी कारों के आयात के विषय में आयात व्यापार नियंत्रण प्रतिबन्धों से मुक्त हैं।

(ख) और (ग) : 1966-67 तथा 1968 के वर्षों में कारों के लिये सीमाशुल्क निकासी परमिट देने से पहले जिन मामलों में प्रारम्भिक आपत्तियां उठाई गई थी उनकी संख्या और जिन आवेदनों को रद्द कर दिया गया उनकी संख्या निम्नांकित थी।

| वर्ष | उन मामलों की संख्या जिनमें प्रारम्भिक आपत्तियां उठाई गई। | रद्द किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1966 | 456 | 719 |
| 1967 | 570 | 658 |
| 1968 | 389 | 451 |

### थाइलैंड के साथ व्यापार करार

2673. श्री अदिचन : श्री स० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका : श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-थाइलैंड व्यापार करार दिसम्बर, 1968 में किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यापार करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस नये करार के संदर्भ में भारत और थाइलेंड के बीच, विशेषकर भारत द्वारा उस देश को किये जाने वाले निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या उक्त करार के अनुसार थाईलैंड में भारतीय माल के निर्यात के लिए बैंकाक में भारतीय व्यापार प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और भारत का प्रतिनिधित्व किस रूप में बढ़ाया गया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) : (क) जी हां।

(ख) व्यापार करार की प्रतियां संसद-पुस्तकालय में रख दी गयी हैं और सदस्यों की जानकारी हेतु वहां उपलब्ध हैं।

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के परिमाण पर इस करार के प्रभाव का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

(घ) और (ङ) : मामला विचाराधीन है ।

**Invitation to Khan Abdul Gaffar Khan**

2674. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri George Fernandes :
Shri Balraj Madhok :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Gadilingana Gowd :
Shri Yashwant Singh Kushwah :
Shri D. N. Patodia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Samar Guha :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have extended an invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan for visiting India on the occasion of Gandhi Centenary celebrations ;

(b) if so, the nature of the reply received from Khan Abdul Gaffar Khan to this invitation ; and

(c) whether Government propose to give assistance in any way to Khan Abdul Ghaffar Khan in forming Pakhtoonistan ?

**The Minister of External Affairs ( Shri Dinesh Singh )** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government policy is contained in the Statement made by the Deputy Minister in the Lok Sabha on the 13th November, 1968, during the half-an-hour discussion.

**अमरीका से वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए करार**

2675 श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका के बीच कोई करार हुआ है जिसमें अमरीका द्वारा दान दी गई वस्तुओं तथा माल का शुल्क मुक्त आयात जारी रखने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में इस करार के अन्तर्गत भारत को कुल कितनी राशि की सहायता दी जायेगी ; और

(ग) जुलाई में करार होने के पश्चात् अब तक भारत को कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री ( श्री दिनेश सिंह )** : (क) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार ने, 5 दिसम्बर, 1968 को एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसमें यह व्यवस्था

की गई कि संयुक्त राज्य अमरीका में लाभ न कमाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, जिनमें अमरीकी राष्ट्र रेड क्रास भी शामिल है, दान में मिली वस्तुओं का भारत में शुल्कमुक्त आयात हो और उन पर भीतरी परिवहन सम्बन्धी खर्च न लिए जाएं। यह करार जुलाई 1951 के करार की जगह किया गया है। अमरीका द्वारा दान में दी गई वस्तुओं तथा माल के शुल्कमुक्त आयात से इस करार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) इस करार में इन वस्तुओं का परिमाण स्थिर नहीं किया गया है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

## निर्यात द्वारा आय

2676. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात द्वारा भारत की आय में लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इसमें कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या यह वृद्धि वास्तविक और स्थायी अथवा केवल कुछ समय के लिये ही हुई है ; और

(घ) सरकार को वर्ष 1969–70 के दौरान निर्यात द्वारा कितनी आय होने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) जी, हां।

(ख) निर्यात में वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई, जैसे रुपये का अवमूल्यन, विभिन्न निर्यात संवर्धन उपायों द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार के प्रयत्न, कृषिगत उत्पादन में वृद्धि, देश में औद्योगिक पुनरुत्थान, हमारे निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित माल के लिये विकासशील देशों तथा कुछ विकसित देशों में भी बढ़ती हुई मांग आदि। यह कहना कठिन है कि निर्यातों की वृद्धि में रुपये के अवमूल्यन का कितना योग है।

(ग) इस समय की प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियों को देखते हुए सुधार वास्तविक तथा चिरस्थायी है, बशर्ते सतत प्रयत्न किया जाये। यह भी उल्लेखनीय कि निर्यात में अधिकांशतः वृद्धि अपरम्परागत निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित माल, जैसे इंजीनियरी सामान, लोहा तथा इस्पात, हस्तशिल्प की वस्तुओं, रसायनों आदि के निर्यातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे परम्परागत कृषिगत निर्यातों से प्राप्त इकाई मूल्य में गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति के बावजूद भी निर्यातों में वृद्धि हुई।

(घ) यह मानते हुए कि निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहेगी, 1969-70 में अनुमानित निर्यात आय लगभग 1410 करोड़ रु० हो जायेगी।

### योजना आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यक्रम का निर्धारण

2677. श्री हेमराज : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार तथा उसकी टोली ने चौथी पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश का विकास कार्यक्रम निर्धारित करने की दृष्टि से अपना दौरा पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) उनका प्रतिवेदन विचाराधीन है।

### विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भारत का दौरा

2678. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री भगवान दास :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 21 महीनों में कुल कितने विदेशी शासकीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया ; और

(ख) उन पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है।

### गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यातकों को नकद सहायता

2679. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यातकों को 1967-68 तथा 1968-69 के लिये अधिक नकद सहायता देने की पेशकश की थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि की पेशकश की गई है ; और

(ग) इससे गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में, वस्तु-वार, कितनी सहायता मिली है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : जी हां। चुने हुए गैर-परम्परागत निर्यात उत्पादों पर कतिपय शर्तों के अधीन नकद सहायता

की ऊंची दरें दी गई। नकद सहायता की दरों में जहाज तक निर्यात मूल्य के 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।

(ग) निर्यातों को बढ़ी हुई सहायता तथा विभिन्न अन्य उपायों से उत्तम लोहा तथा इस्पात को छोड़ कर इंजीनियरी माल, के निर्यात जो अप्रैल, 67 से जनवरी, 68 तक की अवधि में 27.99 करोड़ रु० के थे बढ़कर अप्रैल, 68 से जनवरी, 69 तक की अवधि में 69.89 करोड़ रु० के हो गये और रसायन तथा सह-उत्पादों के निर्यात जो अप्रैल-नवम्बर, 67 में 14.88 करोड़ रु० के थे अप्रैल-नवम्बर, 68 में बढ़कर 21.69 करोड़ रुपये के हो गये।

## 'सोना' दुकानें

**2680. श्रीमती इलापाल चौधरी : डा० सुशीला नैयर :**
**श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क, बोस्टन, पैरिस, नैरोबी तथा माण्ट्रियाल में स्थापित की गई 'सोना' नामक पांच खुदरा दुकानों की स्थापना के समय से लेकर, पृथक्-पृथक्, कुल वार्षिक विक्रय तथा व्यय कितना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों में ऐसी और दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनकी कब तक स्थापना किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) शुरू में कुल कितना व्यय किये जाने का अनुमान है तथा वस्तुओं, संस्थान आदि के रूप में कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) : (क)** एक विवरण संलग्न है। [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 308/69]

(ख) से (ङ) : ऐसी और दुकानें खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। स्थान, व्यय आदि के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

## रंगने तथा रंग उतारने वाली सामग्री ( क्लोरीन ) की कमी

**2681. श्री नम्बियार : श्री ई० के० नायनार**
**श्री केरमानी : श्री उमानाथ :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बतूर जिले के तिरुपुर नगर के कपड़ा रंगने वालों, छापने वालों और रंग उतारने वालों से रंगने और रंग उतारने वाले पदार्थों की कमी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात लाइसेंस देने का है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सोडियम नाइट्राइट के आयात के लिए ए० यू० व्यवस्था की गयी है।

(2) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 1000 टन हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा तथा 200 टन सोडियम सल्फोक्सीलेट के तदर्थ आयात की अनुमति दी गयी है।

**कृत्रिम धागे से बने कपड़े तथा अति महीन कपड़े का उत्पादन**

**2682. श्री महाराज सिंह भारती :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृत्रिम धागे से बनने वाले कपड़े तथा अति महीन कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के परिणामस्वरूप मोटा तथा मध्यम किस्म का कपड़ा बनाने वाली कपड़ा मिलों में संकट आ गया है क्योंकि उनकी मांग घट गई है और अनेक मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशों में भेजे गये भारतीय व्यापार शिष्ट मण्डल**

**2683. डा० सुशीला नैयर :** **श्री गार्डलिंगन गौड़ :**
**श्री क० लकप्पा :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितने व्यापार शिष्ट मण्डल विदेशों में भेजे गये ;

(ख) वे किन-किन देशों में गये ;

(ग) प्रत्येक शिष्टमण्डल ने कितना व्यय किया ; और

(घ) उसके क्या परिणाम रहे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) : एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-309/69 ]

(घ) विदेशों के साथ व्यापार करारों/व्यवस्थाओं पर बातचीत करने । उन्हें सम्पन्न करने। उनकी समयावधि बढ़ाने और / अथवा उनकी समीक्षा करने तथा बाजार सर्वेक्षण और व्यावसायिक सौदे करने के लिए प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे जाते हैं। वे हमारे व्यापार के विविधीकरण तथा निर्यात संवर्धन में सहायक रहे हैं।

**Trade Relations with Israel**

2684. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-papers reports that Israel is anxious to have trade relations with India and that there is good scope for export of Indian goods to Israel; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak):** (a) Yes, Sir.

(b) There are no special restrictions on trade with Israel and any specific offers from Israel can be considered by Indian parties in the ordinary course.

**कृत्रिम रेशे तथा सूत उद्योग के लिये प्रशुल्क आयोग**

2685. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों तथा सूत के मूल्य के ढांचे की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

**घाना से बिना तराशे हुए हीरों का आयात**

2686. श्री सीताराम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाना ने आभूषणों के भारतीय निर्यातकों को बिना तराशे हुए हीरे सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हीरों की खरीद के लिए कोई प्रबन्ध किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितने मूल्य का आयात किये जाने की आशा है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) घाना से बिना तराशे हुए हीरों की उपलब्धि का संकेत मिला है।

(ख) और (ग) : बिना तराशे हुए हीरों के निर्यात के लिए तैयार उत्पादों में परिवर्तन करने हेतु गुण तथा उपयुक्तता के सन्दर्भ में आयातों की सम्भावनाओं की जांच करने का विचार है। यदि आवश्यक हुआ तो इसकी व्यवस्था करते समय खनिज तथा धातु व्यापार निगम का सहयोग लिया जायेगा। इस समय सम्भावित आयातों का कोई अनुमान बताना सम्भव नहीं है।

### मलयेशिया में विनियोजन के अवसर

2687. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० ना० सोलंकी : श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री द० रा० परमार : श्री चं० चु० देसाई :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1969 के 'इकानोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि मलयेशिया में नई पूंजी लगाने के अच्छे अवसर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : नई पूंजी लगाने के अवसरों का, जो भी सरकार के ध्यान में आवें, व्यापक प्रचार करने के अतिरिक्त तथा भारतीय उद्योगपतियों को मलयेशिया जैसे देशों, जिनमें विकास सम्भाव्यताएं विद्यमान हैं, की यात्रा करने का प्रोत्साहन देने के अलावा, आद्योपांत प्रायोजनाओं तथा संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी प्रस्तावों पर, इस विषय में भारत सरकार की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। सरकार, मलयेशिया में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये भारतीय पार्टियों के 7 प्रस्तावों का पहले ही अनुमोदन कर चुकी है।

**अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड सम्बन्धी कुरेशी समिति**

**2688. चेंगलराया नायडू :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये बनाई गई कुरेशी समिति ने सरकार को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में हस्तशिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम द्वारा किये गये प्रस्तावों का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो हस्तशिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम के मुख्य प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) कुरेशी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है; और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड आदि के कार्य का पुनर्विलोकन करने के लिये स्थापित समिति ने सरकार को अभी तक अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

**छोटे पैमाने के कारखानों को आयात लाइसेंस**

**2689. श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया था कि अप्रैल, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि में छोटे पैमाने के कारखानों को कच्चे माल, पुर्जों और फालतू पुर्जों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंसों को किसी विशिष्ट रूप में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात के सरकार तथा उद्योगपतियों के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : छोटे पैमाने के कारखानों को लाइसेंसों के परिवर्तन की सुविधा दी गई है ताकि उनके द्वारा अपेक्षित माल यदि उस मुद्रा क्षेत्र से उपलब्ध न हो जिसके लिए प्रारंभिक रूप में लाइसेंस जारी किया गया है, तो वे किसी अन्य मुद्रा क्षेत्र से अपनी आवश्यकताओं का आयात कर सकते हैं और इस तरह आयातित माल की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने लाइसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है जिससे न केवल इन एककों को ही, अपितु देश को भी लाभ होता है।

### सूती कपड़े का निर्यात

**2690. श्री द० रा० परमार :**
**श्री रा० की० श्रमीन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सूती कपड़ा कारखाना संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वर्ष 1969–70 के लिये सूती कपड़े के निर्यात के लक्ष्य 130 से 140 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### कपास का रक्षित भण्डार

**2691. श्री कं० हाल्दर :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री जनार्दनन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 26 नवम्बर, 1968, के अतारांकित प्रश्न संख्या 2067 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के रक्षित भण्डार के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

### गुजरात में बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

**2692. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं;

(ख) अब तक कितनी मिलें पुनः खोली गयी हैं;

(ग) क्या बन्द पड़ी शेष मिलों को पुनः चालू करने के लिये अग्रेतर कार्यवाही करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ङ) : व्यर्थ घोषित की गई 2 मिलों को छोड़ कर, जनवरी, 1969 के अन्त में 15 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं। इन मिलों में से चार के विषय में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जांच की जा चुकी है, परन्तु क्योंकि उनके विषय में परिसमापन याचिकाएं उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकी। चार मिलों के मामलों पर उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त समितियों ने हाल ही में जांच की है। जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात, सरकार ने इनमें से एक मिल के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया है और बाकी तीन मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। दो मिलों के मामलों पर जांच चल रही है और जांच समितियों के प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा। एक मिल के विषय में उच्च न्यायालय में परिसमापन याचिका लम्बित है, और शेष चार मिलों के मामलों पर, राज्य सरकार के परामर्श से, विचार किया जा रहा है।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये व्यापार सम्बन्धी करार**

2693. **श्री प० मु० सईद :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 तथा 1968-69 में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन देशों के साथ समझौते किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 1966–67 की तुलना में यह निर्यात कम है अथवा अधिक; और

(घ) 1967–68 तथा 1968–69 में इस संगठन में क्या सुधार किये गये ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) राज्य व्यापार निगम ने, निम्नोक्त देशों की व्यापार संस्थाओं तथा फर्मों के साथ भारतीय माल के निर्यात के लिये करार किये हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | श्रीलंका | फिनलैंड |
| आस्ट्रिया | कांगो | फारमोसा |
| बर्मा | चैकोस्लोवाकिया | फ्रांस |

| | | |
|---|---|---|
| बेल्जियम | दमन | जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य |
| बल्गारिया | दुबई | जर्मनी (जर्मनी का संघीय गणराज्य) |
| कनाडा | इथोपिया | — |
| घाना | कुवैत | सऊदी अरब |
| हंगरी | मलयेशिया | स्विट्जरलैंड |
| हांगकांग | मस्कत | तंजानिया |
| ईरान | नेपाल | थाईलैंड |
| इराक | नीदरलैंड | तुर्की |
| इजरायल | नाइजीरिया | संयुक्त अरब गण-राज्य |
| इटली | न्यूजी लैंड | युगांडा |
| जापान | फिलीपाइन | ब्रिटेन |
| कीनिया | पोलैंड | अमरीका |
| दक्षिण कोरिया | खांडा | सोवियत रूस<br>युगोस्लाविया<br>जम्बिया |

(ख) 1967–68 — 23.57 करोड़ रु०

1968–69 — 31.14 करोड़ रु०

(31-12–68 तक)

(ग) 1966–67 में 30.99 करोड़ रु० के माल का निर्यात हुआ। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 1966–67 में निर्यातों का मूल्य बढ़ गया। 1967–68 में कृषिगत, उत्पादों के निर्यात योग्य फालतू माल में गिरावट का निगम के निर्यात प्रयत्न पर प्रभाव पड़ा; इसके अतिरिक्त लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ, जिससे निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किये गये तथा क्रियान्वित किये गये निर्यातों को ही गिना जा सकता है।

(घ) सरकार ने राज्य व्यापार निगम की व्यापार तकनीकों तथा पद्धतियों और संस्थागत ढांचे को समीक्षा करने के लिये मई 1968 में एक समिति की स्थापना की थी, ताकि इसकी कार्यचालन दक्षता को और सुदृढ़ करने तथा सुधारने के लिये आवश्यक उपाय किये जा सकें। समिति ने सितम्बर, 1968 में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दिया था। अन्तरिम प्रतिवेदन में संस्थागत तथा पद्धतियों सम्बन्धी पहलुओं पर शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया है। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्तरिम प्रतिवेदन में उल्लिखित समिति के विचारों से मोटे तौर पर अपनी सहमति प्रकट कर दी है। निगम इन सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहा है। समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

**Officers Belonging to Ministries Posted in Indian Missions Abroad**

2694. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 840 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether the information regarding officers belonging to Ministries posted in the Indian Missions abroad has since been collected; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** (a) and (b) : While bulk of the information has already been collected, the relevant information from two sources is still awaited. The information will be laid on the Table of the House shortly.

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की सेवावधि में की गई वृद्धि**

2695. **डा० सुशीला नैयर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में कितने मामलों में 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाई गई या उनकी पुनः नियुक्ति की गई;

(ख) उक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनकी सेवावधि बढ़ाने या उनकी पुनः नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) : आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**तमिलनाडु में राष्ट्रीय छात्र सेना**

2696. **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में केन्द्रीय सरकार के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है कि राज्य में राष्ट्रीय छात्र सेना, हिन्दी में कमान के शब्दों को, पुनः लागू करें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गतिरोध को समाप्त करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) से (ग) : राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के निर्णय तक कि तमिलनाडु राज्य में एन० सी० सी० यूनिटों में "कमान के शब्द" हिन्दी से अंग्रेजी में तबदील कर दिए जाने चाहिएं, उस राज्य की प्रार्थना पर एन० सी० सी० प्रशिक्षण स्थगितप्राय है। लिखापढ़ी के अन्त में मुख्यमंत्री से प्रार्थना की गई है कि वह इस मामले में वर्तमान स्थिति जारी रखना स्वीकार करलें।

**Deposits of Indian Nationals in Burmese Banks**

2697. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total amount of deposits of Indian nationals in the Burmese banks;

(b) whether it is a fact that such Indian Nationals as have returned from Burma are experiencing considerable difficulty in withdrawing their money from the Burmese banks; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to help them in getting their money back?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** (a) The total amount of the deposits of Indian nationals in the Burmese banks was estimated in 1965 at about Kyats 2 crores, which is equivalent now to a little over Rs. 3 crores. There has been no change since 1965 in the amount.

(b) and (c) : The cash deposits, in Burmese banks, of those Indians who have left Burma and returned to India, amounts to about Kyats 15 lakhs. The repatriation of this amount is linked with the general question of the repatriation of Indian assets in Burma, which is under negotiation between the two Governments.

**निर्यातकों को दी गई राज सहायता**

2698. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में भारतीय माल के विभिन्न निर्यातकों को किस दर पर राज सहायता देने की पेशकश की गई है;

(ख) ऐसी राज सहायता का राष्ट्रीय आय-व्ययक पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में ऐसी राज सहायता बन्द करेगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : बहुत से भारतीय औद्योगिक उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रवेश करने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयां औद्योगिक उत्पादन की अवस्था, इसकी दक्षता, कुछ प्रकार के कच्चे माल तथा मध्यवर्ती उत्पादों की लागत से उत्पन्न होती हैं। हमारे निर्यातकों को उनकी कठिनाइयों पर काबू पाने में समर्थ बनाने के लिये, सरकार उनकी विपणन कुशलता तथा प्रतियोगी निर्यात उत्पादन के निर्माण के लिये, विपणन विकास निधि से, जिसका ब्यौरा बजट में दिया गया है, सहायता देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा तथा देश में प्रतियोगिता क्षमता को ध्यान में रखते हुए देय सहायता के स्वरूप तथा मात्रा की सतत समीक्षा की जाती है।

**लोह अयस्क के निर्यात के लिये भारतीय दल की जापान यात्रा**

**2699. श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री अदिचन :** **श्री प० मु० सईद :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 40 लाख टन लौह अयस्क की बिक्री के सम्बन्ध में जापानी इस्पात उद्योग के साथ बातचीत करने के लिये हाल में एक भारतीय दल जापान गया था;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या परिणाम निकला और क्या इस बीच कोई करार दिया गया है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) इस करार के फलस्वरूप जापान को लौह अयस्क का वर्तमान निर्यात कितना बढ़ जायेगा; और

(घ) भारत में इस समय प्रति वर्ष कुल कितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है और इस अयस्क का भारत से कौन-कौन से देश आयात कर रहे हैं और प्रत्येक देश कितना आयात कर रहा है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : सितम्बर, 1968 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक प्रतिनिधिमंडल जापान गया था और उसने 15.5 लाख टन बेलाडिला अयस्क की बिक्री के लिये एक संविदा की जिसकी सुपुर्दगी 1-4-68 से 31-3-69 तक की अवधि में की जानी है और जिसमें 2.5 लाख टन अतिरिक्त माल का विकल्प भी है। वाणिज्यिक संविदा की शर्तों को बताना खनिज तथा धातु व्यापार निगम के, जिसको सभी देशों को लौह अयस्क की बिक्री के संवर्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, व्यवसायिक हितों में नहीं होगा।

(घ) 1968 में देश में 270.2 लाख मे० टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया था ?

एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिस में उन देशों के नाम दिये गये हैं जिनको लौह अयस्क निर्यात किया गया था तथा 1968 में निर्यातित अयस्क की मात्रा भी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 310/69]**

**Wig India Ltd., Madras**

**2700. Shri Gopal Saboo :** **Shri Onkar Singh :**
**Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the details of the goods manufactured every month by M/s. Wig India Ltd., Madras from January, 1968 to 31st December, 1968 ;

(b) the total stock in hand as on the 31st March, 1967, 31st March, 1968 and 31st December, 1968 respectively ;

(c) whether it is a fact that the purchasers in U. S. A. have said that the quality of goods has deteriorated ; and

(d) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) :
(a) A statement showing the value of goods manufactured, monthwise, is attached. [Placed in Library. See No. L. T. 311/69]

(b) The value of stocks of hair and hair products was as below:–

| | |
|---|---|
| 31-3-1967 | Rs. 31,01,526 |
| 31-3-1968 | Rs. 99,94,233 |
| 31-12-1968 | Rs. 94,63,390 |

(c) The purchasers have been making suggestions from time to time about improvement in the quality of the goods. They have generally expressed appreciation about the workmanship of the finished products they had also indicated that the processier of the hair could be improved by some modifications in the techniques for acid treatment, bleading and dyeing.

(d) The equipment required for the improvements have been installed and the required chemicals obtained. The new techniques are now being adopted by the factory.

## खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गुजरात से अयस्कों तथा खनिज उत्पादों का निर्यात

2701. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने गुजरात क्षेत्र में जब से काम आरम्भ किया तब से आज तक विभिन्न किस्मों के अयस्कों तथा खनिज उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गुजरात क्षेत्र से निर्यातित खनिज अयस्कों का परिणाम निम्नलिखित है:—

(परिमाण: लाख मे० टन)

| वर्ष | मैगनीज अयस्क | बाक्साइट |
|---|---|---|
| 1963 | 0.36 | – |
| 1964 | 0.53 | – |
| 1965 | – | 0.56 |
| 1966 | 0.06 | 0.85 |
| 1967 | – | 0.22 |
| 1968 | – | – |

## गुजरात से केलों का निर्यात

2702. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्ष-वार, गुजरात, से निर्यात किये गये केलों का रुपयों में मूल्य कितना है ;

(ख) इन केलों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है और सब से अधिक केलें कौन सा देश खरीदता है;

(ग) गुजरात से केलों के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ;

(घ) क्या सरकार ने गुजरात से केलों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : गुजरात राज्य से निर्यात किये गए केलों के परिमाण और मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निर्यात सम्बन्धी आंकड़े सारे देश के लिये समग्र रूप में रखे जाते हैं, राज्य-वार नहीं।

(घ) और (ङ) : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात के लिये केलों की प्राप्यता को बढ़ाने के लिये गुजरात राज्य में 2,000 हेक्टार की अतिरिक्त भूमि में ड्वार्फ कैवेन्डिश किस्म के केले बोने का विचार है।

## चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति

**2703. श्री सूरज भान :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री रामगोपाल शालवाले :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री बृजभूषण लाल :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग सम्बन्धी बरुआ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। समिति के प्रतिवेदन और उस पर सरकार के विनिश्चयों को यथाशीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा।

### मनुष्य के बालों और विगों का निर्यात

2704. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प० ला० बारुपाल :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (देशवार) कुल कितने मूल्य के विगों और मनुष्य के बालों का निर्यात किया गया ;

(ख) इन वस्तुओं के निर्यात में राज्य व्यापार निगम का कितना भाग है ;

(ग) क्या विगों की सप्लाई के लिये विग इंडिया और राज्य व्यापार निगम तथा अमरीका की एक फर्म मैसर्स फैशन ट्रैस इनकारपोरेटेड के बीच करार रद्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम होंगे ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) एक विवरण संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 312/69]

(ख) 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात क्रमश: 3.73 लाख रु०, 38.71 लाख रु० तथा 62.56 लाख रु० है।

(ग) करार को समाप्त करने के लिए 60 दिनों का नोटिस जो करार के अन्तर्गत आवश्यक है, मैसर्स फैशन ट्रैस इनकारपोरेटेड, मियामी से प्राप्त हुआ है और उसे भारत के राज्य व्यापार निगम ने स्वीकार कर लिया है।

(घ) मैसर्स फैशन ट्रैस के साथ करार के समाप्त हो जाने पर, विग इण्डिया द्वारा निर्मित बाल उत्पादों की बिक्री के लिए अमरीका तथा कनाडा में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

### Complaints regarding Quality of India's Exports

2705. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Chengalraya Naidu :**
**Shrimati Ila Palchoudhuri :**

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints are generally received from foreign countries that the quality of the goods exported by India is poorer and their delivery schedules are not being adhered to ;

(b) whether it is also a fact that India's export trade and prestige are receiving a severe set back as a result thereof ;

(c) if so, whether Government are taking any measures to remedy the situation ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak):** (a) to (d) : It is not a fact that complaints are generally received from foreign countries that the quality of goods exported by India is poorer and that delivery schedules are not being adhered to. However, in international trading some complaints are inevitable, which some times are motivated by factors other than quality or delivery schedules, for example depression of prices in importing market etc. Such complaints have neither retarded the growth of exports nor affected the prestige of Indian goods in the overseas markets.

In order to maintain and improve the quality of export goods the Government of India enacted the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 and almost all the major export goods are covered under a system of Compulsory Quality Control and/or Pre-shipment Inspection.

### जापान को मूल वस्तुओं (प्राइमरी प्राडक्ट्स) का निर्यात

**2706. श्री सीताराम केसरी :** **श्री रा० बरुआ :**
**श्री म० सुदर्शनम :** **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री नि० र० लास्कर :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान भारत से और अधिक मूल वस्तुओं (प्राइमरी प्राडक्ट्स) का आयात करने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो जापान द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे भारत कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : जी नहीं । भारत से जापान को छर्रा, नमक, पत्ती की तम्बाकू, झींगा, भेड़ की खोल, मूल्यवान रत्न तथा फल सब्जियों का निर्यात और भी बढ़ाने की सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिए जापान से एक व्यापार मिशन ने 5 जनवरी, 1969 से 1 फरवरी, 1969 तक भारत का दौरा किया। मिशन का उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना था और यह मिशन जापान सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा । किन्तु मिशन के साथ यह बातचीत के दौरान यह प्रकट हुआ कि मिशन ने यह महसूस किया कि भारत से जापान को उपर्युक्त उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सम्भाव्यता है ।

### अभ्रक पर निर्यात शुल्क

**2708. श्री म० सुदर्शनम :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक पर निर्यात शुल्क को कम करने अथवा बिलकुल ही समाप्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं , और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन, निर्यात शुल्क हटाने अथवा अभ्रक के विभिन्न ग्रेडों के एफ० ए० एस० मूल्यों में तदनुरुपी वृद्धि सहित लगभग 20 प्रतिशत मूल्यानुसार द्वारा घटाये जाने के सम्बन्ध में थे ।

(ग) 13-7-1968 से साधित अभ्रक पाउडर पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार तक कम कर दिया गया था । 28-2-1969 को बजट प्रस्तावों के साथ सं० 5-112 तथा सं० 6 के खुले विपाटनों (लूज स्पिलटिंग्स) पर निर्यात शुल्क में 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कमी की घोषणा कर दी गई थी ।

## Delhi as Dry Port

**2709. Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri K. Lakkappa :**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 182 on the 19th November, 1968 and state :

(a) whether Government have taken any final decision as the question of declaring Delhi as dry port ;

(b) if not, the reasons for the delay and when a decision is likely to be taken in the matter ;

(c) the benefits likely to be achieved by the people of Delhi as a result of declaration of Delhi as dry port ; and

(d) the broad outlines of the scheme ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak):** (a) to (d) : The Government is actively considering the matter in all its aspects and the final decision would be taken as early as possible.

## निर्यात प्रधान कताई मिलें

**2710. श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा कुछ निर्यात प्रधान कताई मिलें चालू किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) स्थानों के चुनाव का क्या आधार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है और इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं हैं कि क्या चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में कोई निर्यात अभिमुख कताई मिल स्थापित की जायेगी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

**पारादीप पत्तन के द्वारा जापान को लोह अयस्क का निर्यात**

2711. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में पारादीप पत्तन से जापान को कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) उस बन्दरगाह से जापान को कितनी मात्रा में निर्यात करने का करार किया गया था ;

(ग) वर्ष 1969-70 में पारादीप के द्वारा जापान को कितनी मात्रा में लौह अयस्क निर्यात करने का करार है ; और

(घ) पारादीप पत्तन से जापान को लौह अयस्थ के निर्यात के लिए कोई दीर्घकालीन करार न करने का क्या कारण है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) वर्ष 1967–68 में पाराद्वीप पत्तन से जापान को 6.80 लाख मे० टन माल का निर्यात किया गया ।

(ख) और (ग) : पारादीप पत्तन से जापान को निर्यात के लिये निम्नलिखित परि० माण की संविदायें की गई:–

| | | |
|---|---|---|
| 1968-69 | – | 5.50 लाख ड्राइ लांग टन |
| 1969-70 | – | 6.50 ,, ,, ,, |
| 1970-71 | – | 7.25 ,, ,, ,, |

आगामी तीन वर्षों के लिये पक्की संविदाएं पहले ही की जा चुकी हैं ।

**निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम**

2712. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात ऋण तथा गारण्टी निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था, उसके क्या उद्देश्य थे तथा उसके द्वारा प्राप्त उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस निगम ने पिछले तीन वर्षों में निर्यात व्यापार तथा उद्योग को कितनी-कितनी सहायता दी ;

(ग) इन वर्षों में कितना ऋण दिया गया और 5 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋण किन-किन पक्षों को दिये गये ;

(घ) वसूल न होने वाले ऋणों के रूप में पिछले पांच वर्षों में कितनी राशि शामिल की गई है और 31 मार्च, 1968 तक किन-किन पक्षों के ऋण ऐसे ऋणों के रूप में दिखाये गये हैं ; और

(ङ) अदत्त ऋणों की कुल राशि कितनी है और उसमें मूल तथा ब्याज की राशि कितनी-कितनी है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) :** निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम, जो प्रारम्भ में निर्यात जोखिम बीमा निगम लि० के नाम से ज्ञात था, वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। विदेशी खरीदारों को उधार माल भेजने पर निर्यात को जोखिम उठानी पड़ती है उसका बीमा करके यह निगम निर्यातकों की सहायता करता है। निर्यातकों को जहाज-लदान से पूर्व तथा जहाज-लदान के उपरान्त बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि की भी यह निगम गारन्टी देता है। 1958 के अन्त में निगम की पालिसी लेने वाली 2277 निर्यातक फर्म थी जबकि 1967 के अन्त में केवल 1841 फर्में थी। वर्ष 1968 के लिए बीमा हेतु प्रस्तुत पोत-लदानों का मूल्य 71.46 करोड़ रु० था जबकि वर्ष 1967 में 53.78 करोड़ रु० था। बीमा किस्त आय में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है अर्थात वह 1967 में 25.19 लाख रु० थी और 1968 में 47.19 लाख रु० हो गई। 1957 में कार्य करने के बाद निगम ने 37.30 लाख रु० तक के दावों का भुगतान किया है। गत तीन वर्षों में चालू पालिसियों तथा गारंटियों की संख्या, इन पालिसियों तथा गारंटियों के अन्तर्गत अधिकतम देयता, बीमाकृत जोखिम मूल्य और अर्जित बीमा किस्त आय निम्नलिखित है:-

| | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|
| चालू पालिसियां तथा गारंटियां | 1715 | 2273 | 3100 |
| अधिक देयता | 4,414 लाख रु० | 6,399 लाख रु० | 10,623 लाख रु० |
| जोखिम मूल्य | 7,464 ,, ,, | 11,994 ,, ,, | 18,025 ,, ,, |
| बीमा किस्त आय | 19.98 ,, ,, | 25,19 ,, ,, | 47.19 ,, ,, |

निर्यात व्यापार तथा उद्योग के लिए पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) : निगम उधार देने वाली संस्था नहीं है। यह एक बीमा संगठन है और किसी वसूल न होने वाले ऋणों और न लौटाये गये ऋणों आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

## पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापार करार

2713. **श्री अदिचन :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री विश्वनाथ राय :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री न० कु० सांघी :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पूर्वी जर्मनी के बीच पांच वर्षों के लिए एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) करार के अन्तर्गत उस देश को किन वस्तुओं का कितना मात्रा में निर्यात किया जायेगा और वहां से कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात की जायेंगी ;

(घ) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं में उर्वरक मुख्य होंगे, यदि हां, तो उनका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ; और

(ङ) उस देश के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के बावजूद उसे मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) से (ग) : भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच 23 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में एक दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जो कि 31 दिसम्बर, 1971 तक तीन वर्षों की अवधि के लिये वैध है। करार की प्रति, जिसमें जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य को निर्यात की जाने वाली और वहां से आयात की जाने वाली मदों और नियम और शर्तों का उल्लेख है, संसद पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई है।

(घ) उर्वरक जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य से आयात की जाने वाली मदों में से एक है। आशा है कि 1969 के दौरान उर्वरकों के आयात 120,000 मी० टन के आस-पास अथवा इससे भी अधिक होंगे बशर्ते कि वे उपलब्ध हों जो हमारी मांग पर निर्भर होगा।

(ङ) जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य की राजनयिक मान्यता का प्रश्न मूल रूप से एक राजनीतिक प्रश्न है जो जर्मन समस्या के समाधान से सम्बन्धित दोनों देशों के बीच व्यापार की निरन्तर वृद्धि में अमान्यता से कोई बाधा नहीं पड़ी है। वस्तुतः जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ अधिकाधिक उच्च स्तरों तक व्यापार बढ़ाने की हमारी नीति रही है जो कि दोनों दिशाओं में व्यापार के विकास से प्रकट हैं। यह व्यापार 1953 में 12 लाख रुपये का था और 1967 में बढ़कर 41.768 करोड़ रुपये का हो गया।

## वस्त्र उद्योग

**2714. श्री रा० की० अमीन :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग को शीघ्र गति प्रदान करने के लिए सरकार कपड़ा मिलों में में मजदूरी को उत्पादिकता के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## नेपाल से संश्लिष्ट रेशे के वस्त्रों का आयात

2715. श्री म० ला० सौंधी :
श्री अदिचन :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल से संश्लिष्ट रेशे के वस्त्रों के अन्धाधुन्ध आयात के कारण रेशम तथा कृत्रिम रेशम उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) : दोनों सरकारों की आयात तथा राजस्व सम्बन्धी नीतियों में अन्तर होने के कारण, आयातित कच्चे माल से नेपाल में निर्मित संश्लिष्ट वस्त्रों के भारत में निर्बाध आने के कारण कठिनाइयां पैदा हो रही है । 15 नवम्बर से 19 नवम्बर, 1968 तक काठमडू में दोनों सरकारों के बीच मत्रीय स्तर पर हुई बातचीत में इस मामले पर विचार किया गया था । बातचीत के निष्कर्ष संयुक्त प्रेस रिपोर्ट में दे दिये गये थे, जिसकी एक प्रति पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है । नेपाल की सरकार, संश्लिष्ट रेशे के वस्त्रों के निर्यात को 1967–68 के स्तर पर सीमित करने तथा इन मदों के उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन को भी 1967-68 के स्तर पर सीमित करने के लिए सहमत हो गई । नेपाल के महामहिम की सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की कारगरता की समीक्षा अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक में की जायेगी ।

## छोटी कार परियोजना

2716. श्री बलराज मधोक :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री अदिचन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को छोटी कार परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और योजना आयोग ने अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस परियोजना के बारे में निर्णय लिये जाने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) : सरकारी क्षेत्र में कम कीमत की सवारी गाड़ी के निर्माण से सम्बन्धित परियोजना के लिए चौथी योजना के दौरान वांछित साधनों की उपलब्धि हो जायेगी, इस बारे में योजना आयोग के विचार जानने के लिए औद्योगिक विकास विभाग ने योजना आयोग को एक टिप्पणी भेजी। अपेक्षाकृत प्राथमिकताओं तथा साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए योजना में शामिल करने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों से जो प्रस्ताव तथा स्कीमें प्राप्त हुई हैं उनके साथ योजना आयोग इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। चौथी योजना को अन्तिमरूप देने के बाद इस सम्बन्ध में दृढ़ता से निश्चय किया जा सकेगा। इस प्रकार योजना आयोग में इस प्रस्ताव पर विचार करने में किसी प्रकार से असाधारण देरी नहीं हुई है।

## Compulsory Military Training in Schools and Colleges

**2717. Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government propose to re-consider the question of imparting compulsory military training in all the schools and colleges in the country in view of permanent aggressive tendency and preparations by China and Pakistan; and

(b) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh ) :** (a) and (b) : Military training is given to students in schools and colleges under the NCC Scheme. This scheme was made compulsory only for college boys by the Universities in 1963. However, in pursuance of the recommendation of the Inter-University Board, all Universities except nine, have made NCC training voluntary with effect from April, 1968. For school students and girls in colleges, NCC training has all along been voluntary.

As on the 31st December, 1968, military training under the NCC scheme was being imparted to 12.80 lakh students in schools and colleges and it is considered that in so far as the student population is concerned, this number provides a good base for the needs of defence in an emergency.

## भारतीय वायु सेना के स्थल कर्मचारी

**2718. श्री मधु लिमये :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारतीय वायुसेना के स्थल कर्मचारियों (संधारण कर्मचारियों) की कठिनाइयों के बारे में एक पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो स्थल कर्मचारियों की मुख्य कठिनाईयां क्या हैं; और

(ग) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 313/69]

### Hindi in Government work

2719. **Shri Molahu Prasad** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the action taken by the Departments under her control in pursuance of Official Language Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi, (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi, (iii) to secure allocation of additional funds for additional Translators and Hindi Typists in view of the increase in load of translation work, (iv) prepare a programme for teaching Hindi to Officers and employees under the age of 45 years on the 1st January, 1961 under the Hindi training scheme, (v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in official work, and (vi) to appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi training scheme;

(b) the dates on which the said action was taken and results achieved thereby; and

(c) the steps proposed to be taken to clear the anti-Hindi atmosphere in the Departments under her control ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) and (b) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) It is totally incorrect to suggest that there is, or has at any time been, any such anti-Hindi atmosphere.

### Official work in Hindi in Defence Ministry

2720. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of Official Language Act and the orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) publish all their publications in Hindi (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi, (iii) to secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work, (iv) prepare a programme for teaching Hindi to Officers and employees under the age of 45 years on the 1st January, 1961, under the Hindi training scheme, (v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in Official work, and (vi) to appoint Hindi-knowing persons in the ranks of Joint Secretaries Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi training scheme;

(b) the dates on which the said action was taken and results achieved thereby; and

(c) the steps proposed to be taken to clear the anti-Hindi atmosphere in his Ministry ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) (i) to (iv) :

Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(a) (v)–Under the existing instructions issued by the Ministry of Home Affairs based on the Official Language Act, Central Government Employees are free to use Hindi or English in official work.

(a) (vi)–The existing instructions issued by the Ministry of Home Affairs do not stipulate that only Hindi knowing officers should be entrusted with the responsibility of

implementing the scheme for switching over to Hindi and for implementation of the Hindi Training Scheme.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) There is no anti-Hindi atmosphere in the Ministry of Defence.

**प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशों में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल**

2721. **श्री क० लकप्पा :**
**डा० सुशीला नैयर :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में उनके मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजे गये;

(ख) उन प्रतिनिधि मंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल ने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की; और

(घ) उनके दौरों के क्या परिणाम निकले ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) :** (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की पदोन्नति**

2722. **श्री शारदानन्द :**　　　**श्री वंश नारायण सिंह :**
**श्री जि० व० सिंह :**　　　**श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सशस्त्र सेना के कितने वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति हुई;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों को बिना पारी के पदोन्नति कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) कर्नल और उस से ऊपर तथा नौसेना और वायु सेना में उनके समतुल्य पदों में 533।

(ख) जी हां।

(ग) पदोन्नति के वरिष्ट अफसरों का चुनाव आवश्यक वरिष्टता के अधिकारी अफसरों में से उनके रिकार्ड के आधार पर किया जाता है न कि केवल वरिष्टता के आधार पर।

## सेना में कमान के शब्दों की भाषा

**2723. श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार के कुछ मंत्रियों ने "रैगुलर आर्मी" की दक्षिण भारतीय रेजिमेंटों से अपील की है कि वह 'कमान के शब्दों" को हिन्दी में न मानें और "कमान के शब्द" अंग्रेजी में देने की मांग करें;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) "रैगुलर आर्मी" में किस भाषा में आदेश दिये जाते हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिन्दी।

## राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

**2724. श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० र० लास्कर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य को एक ही व्यवस्था के नियंत्रण में लेने के बारे में एक निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस निर्णय से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कार्य में कहां तक सहायता मिलेगी ?

**प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (घ) : भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति की इस सम्बन्ध में की गई सिफारिश विचाराधीन है। चूंकि इसमें अनेक तकनीकी, प्रशासनीक एवं संगठन सम्बन्धी जटिल समस्याएं अन्तर्निहित है इसलिए निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा।

## डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी का प्रत्यर्पण

**2725. श्री ऐ० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० धर्म तेजा और उसकी पत्नि को भारत में मंगवाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के सामने क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) कब तक उनके स्वदेश लौट आने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग): डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी के प्रत्यर्पण का अनुरोध अभी कोस्टारिका के उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोस्टारिका के उच्चतम न्यायालय की परामर्शदायी सम्मति अभी तक कोस्टारिका की सरकार को प्राप्त नहीं हुई। इस मामले में शीघ्रता करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कोस्टारिका की सरकार की ओर से स्पष्टीकरण मिलते ही डा० तेजा और उनकी पत्नी के शीघ्र प्रत्यर्पण की व्यवस्था की जाने की सम्भावना है।

## इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड

**2726. डा० सुशीला नैयर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अनियमितताओं, चोरी की घटनाओं और भण्डार में कमी के कारण इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड को कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इसके कार्य संचालन में कमियों का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान-मंत्री अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) और (ख)। समुद्र के पानी से क्षरण के कारण पिछले तीन वर्षों में माल के स्टाक में लगभग 6,000 रुपये के बराबर कमी हुई। समुचित जांच पड़ताल के बाद कम्पनी के निदेशक-मंडल ने इस कमी को बट्टे खाते में डाल दिया। अनियमितताओं तथा चोरी के कारण कोई हानि नहीं हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## निरस्त्रीकरण सम्मेलन

**2727. श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री अदिचन :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुए निरस्त्रीकरण सम्मेलन में निरस्त्रीकरण विशेष कर परमाणु परीक्षण और विस्फोट पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में क्या प्रयास किये गये हैं और इन प्रयासों के प्रति भारत का क्या अंशदान है; और

(ख) इस बारे में अन्तिम स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) निरस्त्रीकरण के सवाल पर, जिसमें नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण का प्रश्न भी शामिल है, दिसम्बर 1968 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 23 वें अधिवेशन में विचार हुआ था। कई प्रस्ताव पास हुए थे, जिनमें प्रस्ताव संख्या 2455 भी शामिल है; इनमें महासभा ने नाभिकीय अस्त्रों वाले सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे नाभिकीय अस्त्रों के सभी तरह के परीक्षण बंद कर दें। इसके अतिरिक्त इसने 18-राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति से यह प्रार्थना की कि जमीन के नीचे नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने की संधि जल्दी तैयार करें।

प्रस्ताव संख्या 2456-डी में भी महासभा ने सोवियत संघ और अमरीका की सरकारों से कहा गया था कि वे आक्रामक सामरिक नाभिकीय अस्त्रों को छोड़ने के तरीकों को और बेलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने के तरीकों को सीमित करने पर जल्दी बातचीत करें।

महासभा ने 18-राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति से यह भी अनुरोध किया कि उसके सामने निरस्त्रीकरण के जो प्रस्ताव हैं उन पर विचार करने की वह फिर से कोशिश करे और इस बात पर विशेष रूप से विचार करे कि नाभिकीय अस्त्रों के निरस्त्रीकरण की दिशा में किस गति से आगे बढ़ा जा सकता है। भारत ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया और विचार-विमर्श में सक्रिय भाग लिया।

(ख) 18-राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति की अभी बैठक नहीं हुई है। आशा की जाती है कि 18 मार्च, 1969 के आसपास जेनेवा में इसकी बैठक होगी और तभी वह महासभा के पिछले अधिवेशन की सिफारिशों पर आगे विचार करेगी।

**चौथी योजना के लिये अतिरिक्त संसाधनों का जुटाना**

**2728. डा० रानेन सेन :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री सरजू पाण्डे :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**
**श्री सीताराम केसरी :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने के बारे में योजना आयोग ने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) राज्यों को अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए जिन व्यापक क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है उन में राज्य प्रतिष्ठानों का कुशल और लाभदायक कार्य संचालन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतों के लिए सक्रिय अभियान तथा खासतौर पर कृषि आय और शहरी सम्पत्ति के मूल्यों आदि पर अतिरिक्त कराधान है।

(ख) राज्य सरकारों ने बताया है कि स्थानीय दशाओं के अनुरूप कदम उठाकर वे यथा सम्भव अतिरिक्त साधनों को जुटाने का प्रयत्न करेंगे।

**Rebel Naga's Trips to China and Pakistan**

**2730. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rebel Naga leader, General Monu Angami, has succeeded in coming back to India alongwith his followers;

(b) whether it is also a fact that the process of going to China and Pakistan for getting military training and arms and coming back to India by the rebel Nagas still continue; and

(c) the steps being taken by Government to check this illegal movement of Nagas and to strengthen the security arrangements on the borders ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** Over a period of several months, Underground Nagas trained in China have managed to secure entry, in small numbers, into Nagaland. Mowu Angami and a large majority of his men are, however, still on the other side of the border, according to our information.

(b) The Underground Nagas have not yet abandoned their efforts to seek arms and receive training from China and Pakistan. They have been attempting to send batches of men to these countries, though their efforts have been frustrated by our Security Forces in recent months.

(c) Intensive patrolling is being carried out by our Security Forces to prevent the movement of Underground Naga gangs to and from China and Pakistan and to locate and destroy camps and arms caches established by these gangs. A majority of the Underground Nagas trained by China who have been on the borders since August, 1968 have not found it possible to gain entry into India so far, because of the increased vigilance of our Security Forces.

**स्वेज नहर का बन्द होना**

**2731. श्री हेम बरुआ :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वेज नहर अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए अभी तक बन्द है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे स्वेज नहर को पुनः यातायात के लिये खोला जा सके ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) स्वेज नहर का फिर से खुलना पश्चिम एशिया के संकट का अन्त होने पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से भारत सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के संकल्प का और उसे क्रियान्वित किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करता रहा है।

## भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

2732. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड कब स्थापित की गई थी और उसके उद्देश्य और प्रयोजन क्या थे;

(ख) क्या परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कारखाने स्थापित करने और उनके उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं और यदि हां, तो कब और किस प्रकार और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कम्पनी की स्थापना के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो सहयोगी देशों के नाम क्या-क्या हैं, सहयोग की शर्तें क्या हैं और सहायता के रुप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई;

(घ) इस समय इस कम्पनी में किन-किन वस्तुओं का और कितना-कितना उत्पादन हो रहा है और क्या इन उत्पादों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरुप है; गत तीन वर्षों में उत्पादन और उसकी बिक्री के आंकड़े क्या हैं और कुल उत्पादन में से कितना माल निर्यात किया गया; और

(ङ) क्या इस समय इस कम्पनी के सामने कोई कठिनाई पेश है और उसे कैसे दूर करने का सरकार का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ल० ना० मिश्र ) :** (क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड 21 अप्रैल, 1954 को स्थापित किया गया था। मुख्यतः रक्षा सेवाओं और सरकारी सिविल विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए व्यवसायी वायरलेस तथा इलेक्ट्रानिक उपस्करों सयत्रों, रेडियो के पुर्जों तथा तत्सम्बन्धी उपकरणों की निर्माण व्यवस्था करना इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य था।

(ख) आरम्भ में तैयार किए गए उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार 1959 के बाद से इस कारखाने के लिए प्रतिवर्ष 4.25 करोड़ रुपये की कीमत का उत्पादन करने की व्यवस्था की गई थी, इस लक्ष्य की प्राप्ति 1963–64 के वर्ष में हो गई थी जबकि कारखाने का उत्पादन कार्य 6.21 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति ( द्वितीय लोक सभा ) की 59 वीं (1958–59) रिपोर्ट में उल्लिखित कारणों से ही मुख्य रुप से प्रारम्भिक वर्षों में उत्पादन में गिरावट आई थी।

(ग) जी हां। इस कारखाने को स्थापित करने के लिऐ तथा कुछ किस्म के इलेक्ट्रानिक उपस्करों और उपकरणों के विकास और निर्माण में तकनीकी सहायता के लिए भारत सरकार और मैसर्स कम्पनी जनरल डी टेलीग्राफी सान्स फिल, पेरिस के बीच 1952 में एक समझौता किया गया था। बाद में उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए अन्य विदेशी फार्मों के साथ भी और तकनीकी सहयोग समझौते किए गए। किसी भी विदेशी फर्म ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता देना स्वीकार नहीं किया है।

मैसर्स सी० एस० एफ० फ्रांस के साथ किए गए समझौते की शर्तों को भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति की 29 वीं रिपोर्ट (1956–57) के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया है, जहां तक अन्य विदेशी फर्मों के साथ सहयोगी समझौते की शर्तों का प्रश्न है उनका उल्लेख करना जनहित में उचित नहीं है।

(घ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड इस समय वायरलेस-इलेक्ट्रानिक उपस्कर, यन्त्र और रेडियो वाल्व, ट्रांजिस्टर, क्रिस्टल, केपेसाइटर, ट्रांसमीटिंग ट्यूब, आदि जैसे कुछ इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में जो उत्पादन कार्य हो रहा है वह गुणात्मक दृष्टि से विदेशों में किये जाने वाले उत्पादन कार्यों में समतुल्य हैं। गत तीन वर्षों में किए गए उत्पादन और बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित हैं:–

(लाख रुपयों में)

| | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 |
|---|---|---|---|
| उत्पादन | 926.74 | 1194.03 | 1583.87 |
| बिक्री | 914.38 | 1371.63 | 1955.28 |

1968–69 के दौरान कम्पनी को लगभग 20 करोड़ रुपये की कीमत के उत्पादन कार्य होने की आशा है।

गत तीन वर्षों के दौरान भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने कुछ भी निर्यात नहीं किया। लेकिन अब कम्पनी ने अपनी उत्पादित वस्तुओं को कुछ निर्यात करना आरम्भ कर लिया है।

(ङ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वे सभी उद्योगों में हुआ करती हैं।

**Indian Properties Confiscated by Pakistan**

**2733. Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Shri Gopal Saboo :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**
**Shri Onkar Singh :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Bal Raj Madhok :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the details and value of the Indian property confiscated by Pakistan after the Indo-Pak. conflict in 1965;

(b) the extent of Pakistani property confiscated by Government after Indo-Pak. conflict and the details of the property returned to Pakistan and of the property retained by India;

(c) the steps taken by Government to recover the Indian property from Pakistan; and

(d) whether Government propose to provide some assistance in the form of compensation or loan to the persons whose property has been confiscated by Pakistan ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** (a) The details and value of Indian properties confiscated by Pakistan during and after the 1965 conflict based on claims registered with the Custodian of Enemy Property, India, as on 31 March 1967, are given in the enclosed statement. [Placed in Library. See No. LT-314/69]

(b) The extent of Pakistani properties lying with the Custodian of Enemy Property, India, is given in the enclosed statement. [Placed in Library. See No. LT-314/69] India has already release unilaterally 16,000 tonnes of Pakistani cargoes. Besides, 2 ships of Pakistan have been returned in exchange for 2 Indian ships.

(c) The Government of India have been repeatedly requesting the Government of Pakistan to discuss the reciprocal restoration of properties seized by the two countries.

(d) No such proposal is under consideration of the Government at present.

**सेना इंजीनियरी सेवा में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त करना**

**2734. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियरी सेवा में ठेका-व्यवस्था समाप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) : यद्यपि मानक स्थापित करने के विचार से अथवा जिन क्षेत्रों में ठेकेदार प्राप्य नहीं वहां अधिकाधिक निर्माण कार्य या विशेष निर्माण कार्य विभागीयतः हस्तगत करने के यत्न किए जाते हैं, एम० ई० एस० में ठेका प्रणाली को इस समय समाप्त करना शक्य नहीं माना गया ।

**आयुध कारखानों में निर्मित माल का निर्यात**

**2735. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में बनी कुछ वस्तुओं का विदेशों को निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं को अन्य देशों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) कपड़े और व्यापक सामान पदों तथा शाटगनों के लिए समुद्र पार मंडिएं तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : विदेशों में हमारे दूतावास और उच्च आयुक्त इस ओर रूचि लेते रहे हैं । इस उद्देश्य के लिए कोई स्पष्ट संस्थान नहीं बनाया गया, जहां सम्भव हुआ स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की भी सहायता ली गई है ।

**19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल में प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना**

**2736. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को हुई सांकेतिक हड़ताल में प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने केवल भाग लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई हिंसात्मक घटना या अनैतिक व्यवहार की घटना नहीं हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को पुनः काम पर न लेने के क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) से (ग) : चाहे कुछ रक्षा सेविवर्ग ने 19 सितम्बर. 1968 की हड़ताल में केवल भाग लिया था, कई अन्य कि अधिक आपत्तिजनक क्रिया कलाप में भाग लेने की भी रिपोर्ट मिली थी, जैसे कि अभित्रास, दूसरों को हड़ताल के लिए उकसाना, काम करने के इच्छुक लोगों को ऐसा करने से रोकना इत्यादि और इसलिए उन से विभिन्न व्यवहार आवश्यक था ।

**हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा एच० एफ० 24 विमान का निर्माण**

**2737. श्री चेंगलराया नायडू :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर ने एच० एफ० 24 विमान बनाने की परियोजना पर 2 करोड रुपये बरबाद कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एच० एफ० 24 विमान के निर्माण का प्रस्ताव जिसके वांछित परिणाम नहीं निकले हैं, प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कोई जांच की गई हैं; और

(ग) क्या एच० एफ० 24 विमान की बजाये कोई और विमान बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) एच० ए० एल० बंगलौर द्वारा अभिकल्पित और निर्मित एच० एफ० 24 पहले से सेवा में हैं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को सामने रखते हुए किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वायुसेना की भावी आवश्यकता का सामना करने के लिए एक नए विमान के विकास और निर्माण का एक प्रस्ताव है ।

**प्रधान मन्त्री सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या**

**2738. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री सचिवालय में विभिन्न पदों, अर्थात, सचिव, सयुक्त सचिव, उप-सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक लिपिक और चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा वर्ष 1948, 1960, 1964, 1966 और 1968 के अन्त में क्या था;

(ख) उपरोक्त अवधि में उन पर इस खर्च का ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या अधिकारियों की संख्या और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित व्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री प्रगण-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जो सूचना मांगी गई है, उसका व्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 315/69**]

**

(ख) कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च नीचे दिया गया है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1948-49 | रु० | 1,54;367.00 |
| | 1960-61 | रु० | 4,82,851.00 |
| | 1962-63 | रु० | 5 36,941.00 |
| | 1963-64 | रु० | 5,54,412.00 |
| | 1964-65 | रु० | 7 70,285 00 |
| | 1965-66 | रु० | 11,52,999.00 |
| | 1966-67 | रु० | 11,91,692.00 |
| (31-1-69 तक) | 1968-69 | रु० | 11,33,304.00 |

(ग) और (घ) : अधिकारी स्तर पर कर्मचारी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। निदेशक के स्थान पर जल्दी ही दूसरा सह-सचिव आ जाएगा; और सूचना सलाहकार (सह-सचिव के दर्जे का) और उप सूचना सलाहकार के स्थान पर आजकल निदेशक के दर्जे का एक अधिकारी है जिसे निदेशक (सूचना) कहते हैं।

** नोट (1) : प्रधान मन्त्री सचिवालय का पुनर्गठन 1964-65 के मध्य के आसपास हुआ था और इसे पूर्ण सचिव के अधीन सरकार के एक नियमित विभाग का स्वरूप दे दिया गया था।

नोट (2) : सिब्बदी (एस्टेबलिशमेंट) पर खर्च बढ़ने का मुख्य कारण सचिवालय के स्वरूप में परिवर्तन है। खर्च बढ़ने का दूसरा कारण यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में सामान्य वार्षिक वृद्धि के अलावा, फरवरी 1964 से सितम्बर 1968 तक सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते की दरों में कई बार परिवर्तन किया गया है।

### N. C. C. Scheme

2739. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether Government have taken final decision in regard to the suggestion received for effecting changes in the N. C. C. scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that this scheme has not been implemented with seriousness; and

(d) if so, whether it is proposed to give this scheme some effective shape ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :** (a) to (d): Presumably the Hon. Member is referring to the recommendation of the Education Commission that programmes should be developed as alternatives to compulsory NCC for under graduate boys in the first two years of their degree course. This recommendation was accepted by the Government of India, whose policy is that every male student in the first and second year of Degree course should participate in one or other of the three programmes, namely National Cadet Corps (NCC), National Service Corps (NSC) or National Sports Organisation (NSO). For girls students participation n any one of the schemes is on a voluntary basis. Since it would be difficult to develop the programmes of NSC and NSO in a big way immediately, it has been decided to do so on a phased basis, beginning from 1968-69, All except nine Universities have made NCC training in their colleges voluntary. As on the 31st December 1968, NCC training was being imparted to 12.80 lakhs of boys and girls in schools and colleges.

## भारतीय तकनीशनों द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करना

2740. **श्री बेदब्रत बरूआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कितने भारतीय लोगों ने विदेशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है;

(ख) क्या भारत में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

## भारतीय मिशनों पर होने वाले खर्च में बचत

2741. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारतीय मिशनों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अपनाये गये उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1968–69 में अब तक कितनी राशि बची है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

## विवरण

जून 1966 से भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो जाने पर विदेशों में भारतीय मिशनों के खर्च के विदेशी मुद्रा के अंश की रुपयों में तुल्य राशि में 57.5 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। खर्च में वृद्धि का हिसाब लगाने के लिए अवमूल्यन से पूर्व का वर्ष अर्थात् 1965–66 को आधार माना गया है। 1965–66 का वास्तविक खर्च 672.86 लाख रुपए था। अवमूल्यन के बाद, 1967–68 का खर्च 1059.75 लाख रुपए हो सकता था लेकिन इसे वस्तुत: 1039.06 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने दिया गया।

लेकिन, सामान्य वेतन-वृद्धि, संसार के सभी भागों में रहन-सहन के स्तर के खर्च में सामान्य वृद्धि हो जाने आदि के कारण खर्च में वर्ष-प्रति-वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। जहां तक वर्ष 1968–69 का प्रश्न है, इस वर्ष के लिए अपेक्षित राशि तक पहुंचने के लिए नीचे लिखी अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा:

| | | |
|---|---|---|
| (क) वार्षिक वेतन-वृद्धि, रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो जाने से वृद्धि और किराया आदि बढ़ जाने से कुल खर्च में 6 प्रतिशत वृद्धि | ………………… | रुपए लाखों में 52.34 |
| (ख) नए मिशनों के खोलने पर | …………… | 6.75 |
| (ग) स्थानिक विनियमों के अनुसार स्थानीय भर्ती के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि | ………… | 7.86 |
| | कुल: | 66.95 |

....1968–69 के लिए कुल मिलाकर 1126–70 लाख रुपए की जरूरत होती लेकिन अनुमान है कि, जून 1966 में अवमूल्यन के बाद किफायत के उपाय बराबर बरते जाने की वजह से, 1968–69 का खर्च 1060.34 लाख रुपए के आसपास रहेगा। इस सूरत में 66.36 लाख रुपए की बचत होगी।

1967–68 के लिए 1039.06 लाख रुपए के वास्तविक खर्च को अगर आधार मान लिया जाए तो ऊपर जो 66.95 लाख रुपए की राशि बताई गई है उसका हिसाब लगाकर भी, कुल जरूरत 1060.34 लाख रुपए के मुकाबले कोई 1106.01 लाख रुपए के आसपास होती। इस हिसाब से भी लगभग 45.67 लाख रुपए की बचत होगी।

**सैनिक स्कूलों में स्थानों का आरक्षण**

2742. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों-अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों के प्रवेश के लिये विभिन्न सैनिक स्कूलों में कोई स्थान आरक्षित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है;

(ग) 1966, 1967 और 1968 में विभिन्न सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए कितने अनुसूचित जातियों-अनूसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों ने राज्यवार आवेदन पत्र दिये हैं; और

(घ) उक्त अवधि में कितने अभ्यार्थियों को राज्यवार प्रवेश मिला ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) : सैनिक स्कूलों की समिति के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्ज ने ऐसी नीति निर्धारित कर रखी है कि प्रविष्टि परीक्षा में कम से कम,

पास होने के नम्बर प्राप्त कर लेने वाले अनुसूचित जाति–अनुसूचित वर्ग के प्रत्येक छात्र को प्रवेश दिया जाए चाहे मेरिट सूचि में उसका कोई भी स्थान क्यों न हो ।

(ग) और (घ) : यद्यपि उन अनुसूचित जाति–अनुसूचित वर्ग छात्रों के आंकड़े सहज प्राप्य नहीं है, कि जिन्हें 1966 से 1968 वर्षो में प्रवेश के लिए प्रार्थना की थी, सैनिक स्कूलों में प्रविष्ट होने वालों की वास्तविक संख्या सलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 316/69]

### हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमानों का निर्यात

2743. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमानों की खरीद के लिये विदेशों से 1968 में कुछ क्रयादेश प्रनप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

### केन्द्रीय मोटर गाड़ी डिपो में बेकार पड़ी गाड़ियां

2744. **श्री समर गुह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न केन्द्रीय मोटरगाड़ियां बेकार पड़ी है;

(ख) उनको शीघ्र बेचने की व्यवस्था न होने के कारण क्या उनमें से अधिकतर गाड़ियां वर्षा से हर प्रकार के मौसमों से खराब हो रही हैं;

(ग) इन डिपों में मरम्मत की उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत सी क्षतिग्रस्त या अप्रयुक्त गाडियों की मरम्मत भी नहीं की जा रही है; और

(घ) क्या ऐसी मोटरगाड़ियों को समुचित काम में लाने के उपाय सुझाने के लिए सरकार किसी समिति की नियुक्ति करेगी ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ख) निपटारे के लिए घोषित की गई गाडियां यथा शीघ्र डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा नीलाम की जाती हैं। तदपि, वास्तविक निपटारा कुछ समय लेता है, क्योंकि कई प्रक्रियात्मक उपचार पूरे करना होते हैं । जनवरी 1969 को 1016 गाड़ियां एक वर्ष से अधिक निपटारे की प्रतीक्षा कर रही थीं। भण्डार में क्षति को रोकने के लिए हर प्रयास किया जाता है ।

(ग) जहां तक पर्याप्त क्षमता की डिपो में अप्राप्यता होती है, गाड़ियां मरम्मत के लिए बेस कवर्कशाप में अन्तरित कर दी जाती हैं ।

(घ) यह मामले सदा पुनरीक्षण और अध्ययन अधीन रहते हैं और इसके लिए अलग कोई कमेटी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

**पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच विमान सेवा सम्पर्क**

**2745. श्री समर गुह :** क्या वैदेशिक–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1969 को प्रधान मन्त्री ने लन्दन में अपने एक भाषण में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि यदि वह भारत के प्रति अपना शत्रुतापूर्ण रवैया जारी रखेगा तो पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारत पर से पाकिस्तान को विमान उड़ान कर देने की अनुमति की वर्तमान व्यवस्था बन्द कर दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते का उल्लंघन करने के सतत प्रयत्नों के कारण कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक–कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**विदेशों में नियुक्त अधिकारियों को दिये जाने वाले विदेश भत्ते में संशोधन**

**2746. श्री कामेश्वर सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में नियुक्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बढ़े हुए निर्वाह व्यय के अनुसार उनके विदेश भत्ते प्रतिनिधित्वात्मक अनुदान तथा किराये की अधिकतम सीमा में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों में तथा किस–किस वर्ष में ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक–कार्य मन्त्री ( श्री दिनेश सिंह ) :** (क) से (ग) : जी हां । विदेश भत्ते प्रातिनिधिक अनुदान और किराये की अधिकतम सीमा पर समय समय पर विचार किया जाता है और जब आवश्यकता होती है, उसमें संशोधन भी किया जाता है । जीवन निर्वाह दर गत पांच वर्ष ( 1964 से 1968 ) में परिवर्तन के आधार पर 75 मिशनों के विदेश भत्ते और प्रातिनिधिक अनुदान की दर में संशोधन किया गया है । उसी अवधि में 29 मिशनों के लिए किराये की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी या संशोधित की गयी ।

**पूर्व जर्मनी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध**

**2747. श्री अदिचन :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री वि० नरसिम्हा राव :**
**श्री मीठा लाल मीना :**
**श्री कृ० मा० कौशिक :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व जर्मनी के साथ व्यापार में वृद्धि होने के कारण सरकार ने वहां एक वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने का अथवा उस देश में वर्तमान भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों के कार्यालय को पुनर्गठित करने और उसे सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किस प्रकार ;

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में अब तक पूर्व–जर्मनी के साथ कुल कितना आयात हुआ और पूर्व जर्मनी को कुल कितना निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने उस देश के साथ किसी रूप में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने पर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का सुविचारित दृष्टिकोण क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) जी नहीं।

(ख) एक विवरण ( अंग्रेजी में ) संलग्न है जिसमें वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 ( अप्रैल-नवम्बर ) में पूर्व जर्मनी को होने वाले कुल निर्यातों और पूर्व जर्मनी से किये जाने वाले कुल आयातों का मदवार परिमाण दिया गया है। **[ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–317/69 ]**

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### भारतीय वायु सेना द्वारा वर्ष 1968 में किये गए राहत कार्य

2748. **श्री सीताराम केसरी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में भारतीय वायु सेना ने कितनी बार राहत कार्य किये ;

(ख) इन राहत-कार्यों में कितने लोगों के जीवन की रक्षा की गई ; और

(ग) जरूरतमन्द लोगों के लिये कितने मूल्य की सामग्री विमान से नीचे गिराई गई ?

**प्रतिरक्षा मंत्री ( श्री स्वर्ण सिंह ) :** (क) चार।

(ख) 1271 व्यक्तियों को बचा कर निकाला गया था।

(ग) यह सूचना सहज प्राप्य नहीं है।

### गैर-सरकारी क्षेत्र के इन्जीनियरी कारखानों में प्रतिरक्षा उत्पादन

2749. **श्री रा० की० अमीन :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा उत्पादन की कुछ वस्तुओं का निर्माण गैर-सरकारी क्षेत्रों के इंजीनियरी कारखानों में भी किया जा सकता है यदि प्रतिरक्षा उत्पादन के मामले में बरती जाने वाली गोपनीयता में कुछ ढील कर दी जाए ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि हम ऐसी अनेक वस्तुओं को गोपनीय रखते हैं, जिनको अन्य देशों में गोपनीय नहीं माना जाता और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ल० ना० मिश्र ) :** (क) रक्षा के आवश्यक कई मदों का पहले से ही निजी क्षेत्र की इंजीनियरी यूनिटों द्वारा निर्माण किया जा रहा है । रेखाचित्र और ब्यौरे फर्मों द्वारा सगुप्त दस्तावेज माने जाने पडते हैं, परन्तु उस से निजी क्षेत्र की यूनिटों में उत्पादन के शक्य प्रयोग में रुकावट नहीं आना चाहिए ।

(ख) जी नहीं ।

### काश्मीर के बारे में ईरान के साथ बातचीत

2750. **श्री रा० की० अमीन :** क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 20 मार्च, 1967 से तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर के बारे में सरकार की ईरान के साथ बातचीत में कितनी प्रगति हुई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्री दिनेश सिंह ) :** काश्मीर के सम्बन्ध में भारत की स्थिति ईरान सरकार के प्रतिनिधियों को कई बार नई दिल्ली और तेहरान, दोनों जगहों स्पष्ट की गयी है । हाल ही की अपनी भारत यात्रा के दौरान ईरान के शहंशाह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने मत भेदों को शांति से सुलझाने के लिए प्रयत्न कर रहा है ।

### Uranium Corporation of India

2751. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Prime Minister be pleased to state the progress so far made by the Uranium Corporation of India in its work and what will be its capacity at the end of the Fourth Plan period ?

**The Prime Minister. Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi ) :** The Mine shaft has been equipped fully and has been commissioned. Commercial production in the Mill commenced in May 1968 and the production achieved until November, 1968 is valued at Rs. 100 lakhs.

The Mine will have the capacity to handle 1000 tonnes of ore per day at the end of the Fourth Plan.

### New Trade Route to Europe through Iran

2752. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether the Government of India have made any proposal to the Government of Iran for sending Indian-made goods to Europe and Russia through Iran consequent to the closure of the Suez Canal ; and

(b) if so, the outcome of the proposal ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) :** (a) and (b) : No formal proposal has been made.

**Hardships Faced by Sikhs of Indian origin in U. K.**

2753. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
**Shri Onkar Singh :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Yajna Datt Sharma :**
**Shri P. N Solanki :**
**Shri Kikar Singh :**
**Shri Deven Sen :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sikhs of Indian Origin in U. K. are facing difficulties in getting service there on account of their beards and turbans ;

(b) whether it is also a fact that a Sikh Leader has announced self-immolation for the removal of these restrictions imposed by the Transport Committee of wolverhampton ; and

(c) if so, the steps taken by the Government of India to solve the said problem ?

**The Minister of External Affairs ( Shri Dinesh Singh ) :** (a) No, Sir. Only a few cases in Wolverhampton Corporation have come to the notice of Government, of employers turning away Sikhs because of their beards and turbans as these are not in conformity with their regulations regarding uniforms.

(b) On the 6th January, 1969, Sardar Sohan Singh Jolly, president of Akali Dal in U. K had announced that he would burn himself alive in three nmonths time if Wolverhampton Corporation continued to refuse to permit Sikh bus conductors and drivers to wear turbans and beards.

(c) The matter was taken up by our High Commission with the British Home Office and the Minister for Special Responsibility for Immigrants. Our High Commission is still pursuing the matter.

**दिल्ली में प्रतिरक्षा संस्थानों के अधिकारियों के लिये निवास स्थान**

2754. **श्री यशपाल सिह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सेना, नौसेना तथा वायुसेना के संस्थानों के अन्तर्गत कार्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इन कार्यालयों के निकट निवास स्थान उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें आवश्यक परिवहन सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री ( श्री स्वर्ण सिंह ) :** (क) ८3

(ख) सेवा के स्थानों के निकट वास्यस्थान प्राप्य किए जाने के प्रयास किये जाते हैं, परन्तु यह सदा ही सम्भव नहीं हो पाता।

(ग) अफसर और असैनिक अपनी रिहाईश से कार्यालय तक के लिए निश्शुल्क परिवहन के अधिकारी नहीं होते। जे० सी० ओज० और ओं० आर० ( तथा समतुल्य ) जो

अपने सेवा स्थान से 2 मील की अधिक दूरी पर सरकारी क्वाटरों में रहते हैं, उन्हें निश्शुल्क सरकारी परिवहन प्राप्य किया जाता है, या परिवहन भत्ता दिया जाता है ।

**अमरीका द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाना**

2755. **श्री रणजीत सिंह :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री दी० च० शर्मा**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका ने 19 दिसम्बर, 1968 को नेवादा मरुस्थल में एक अति शक्तिशाली अणु विस्फोट किया था जिसमें सैकड़ों मील तक रूक-रूक कर धक्के अनुभव किये गये और उसमें दस लाख टन टी० एन० टी० की शक्ति थी ; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु हथियार अप्रसार संधि के संदर्भ में इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्री ( श्री दिनेश सिंह ) :** (क) सरकार ने इस बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं ।

(ख) भारत सरकार ने महासभा के अन्तिम अधिवेशन में संकल्प संख्या 2455 रखा और उसका समर्थन किया । इसमें नाभिकीय अस्त्रों वाले सभी राज्यों से सभी प्रकार के नाभिकी अस्त्र परीक्षण बन्द करने के लिए कहा गया है । इस संकल्प में निशस्त्रीकरण समिति से यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के भूमिगत नाभिकीय अस्त्र परिमाणों पर प्रतिबन्ध लगाने से सम्बद्ध संधि तैयार करें । भारत निशस्त्रीकरण समिति का सदस्य है और इस मामले को वह आगे भी समिति में उठाएगा । नाभिकीय अस्त्र अप्रसारण संधि के सम्बन्ध में भारत के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

**उर्वरकों की खरीद के लिए विदेशी फर्मों से बातचीत**

2756. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री के० रमानी :**

**क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

**(क) सरकार ने उर्वरकों की खरीद के लिये विदेशी फर्मों के साथ बातचीत पूरी कर ली है;**

**(ख) यदि हां, तो प्रत्येक फर्म के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ;**

**(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और**

**(घ) क्या विलम्ब का एक कारण यह है कि फर्मों ने ऊंचे मूल्य लेने का प्रस्ताव किया है ?**

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) 143.0 लाख डालर के पश्चिमी यूरोपीय उधार और 60 लाख डालर के यू० के० के उधार में से क्रमश: 93.5 लाख डालर और 60 लाख डालर के उधार के सम्बन्ध में बातचीत पूरी कर ली गई है।

(ख) बातचीत के परिणाम स्वरूप फर्मों से निम्नलिखित ठेके किए गए :—

**मेसर्स, नाइट्रेक्स ए० जी०, जूरिच**

यूरिया—37,000 मीट्रिक टन
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट—99,000 मीट्रिक टन
एमोनियम सल्फेट—20,000 मीट्रिक टन

**आई० सी० आई० यू० के०**

यूरिया—71,000 मीट्रिक टन

(ग) और (घ) : जापानी पूर्तिकर्ताओं से बातचीत पूरी कर लेने के बाद ही शेष 49.5 लाख डालर के पश्चिमी यूरोपीय उधार का उपयोग करने के लिए बातचीत करने की प्रस्थापना थी। जापानी उर्वरक प्रतिनिधि मण्डल से जनवरी, 1969 में जो बातचीत की गई थी वह अधूरी रह गई थी, क्योंकि उन द्वारा बताई गई कीमतें उचित नहीं समझी गई थीं।

**भारती मिल्स, पांडिचेरी**

2757. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री नम्बियार :**
**श्री के० रमानी :**
**श्री उमानाथ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** 19 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती मिल्स, पांडिचेरी के मामलों की जांच सम्बन्धी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) चूंकि प्रतिवेदन एक गोपनीय दस्तावेज है अतः अपेक्षित ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) मई 1966 में मिल को एक प्राधिकृत नियंत्रक के अधीन कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

## न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

2758. श्री भगवान दास : श्री के० रामानी :
श्री गणेश घोष : श्री पी० राममूर्ति :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर को पुनः चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू विक्टोरिया मिल्स के लिये एक प्राधिकृत नियंत्रण की नियुक्ति का सुझाव दिया था। उसने यह भी सुझाव दिया था कि प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उन मजदूरों के सम्बन्ध में जो कि मिल के आंशिक रूप से पुनः चालू हो जाने के उपरान्त भी बेरोजगार रहेंगे मजदूरों के साथ बातचीत और इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित धनराशि के सम्बन्ध में बैंकरों के साथ बातचीत की जानी चाहिए। उस सरकार ने पहले एक वर्ष की अवधि के लिये मिल से सरकारी बकाया राशि की वसूली को आस्थगित करने और उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम ( बेरोजगार के रोकने हेतु विशेष उपबन्ध ) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत कम्पनी के कतिपय अनुमेय उत्तरदायित्वों को स्थिर करने की भी पेशकश की थी।

(ख) से (घ) : इस मिल के लिये प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से अभी भी विचाराधीन है।

## ऊर्जा सर्वेक्षण समिति की सिफारिशें

2759. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय में 6 प्रतिशत वृद्धि होने के साथ 1970–71 में 192 लाख किलोवाट अधिष्ठापित क्षमता तथा 1975-76 में इसको बढ़ाकर 281.2 लाख किलोवाट की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस योजना को अच्छी तरह क्रियान्वित करने के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जा चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी ) :** (क) वर्ष 1960–61 को आधार वर्ष मान कर सामान्यतया अर्थ-व्यवस्था और खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में विकास की वार्षिक दरों की वैकल्पिक सम्भावनाओं के आधार पर ऊर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा बिजली की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया गया। उसने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की कि राष्ट्रीय आय के विकास के 6 प्रतिशत आदि किसी प्रकार के निश्चित आंकड़ों के आधार पर बिजली के विकास की योजनाएं बनाई जांय।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### Scholarships for Children of Dead Soldiers Ex-Servicemen and Jawans

**2760. Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that demands were made in a Memorandum submitted to the Gajendragadkar Commission to the effect that scholarships should be given immediately to the children of dead soldiers, ex-servicemen and to children of jawans who are in active service at present, and that the amount of scholarships being given to school and college students should be increased and number of these scholarships should also be increased ; and

(b) if so, the action taken in this direction ?

**The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh ) :** (a) Government have no information on the subject. The Gajendragadkar Commission was appointed by the Jammu & Kashmir State Government and has submitted its report to that Government.

(b) Does not arise.

### कोयले का निर्यात

**2761. श्री पी० विश्वंभरन :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री 28 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कोयले के निर्यात के लिये सितम्बर, 1968 से कोई टेंडर मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या टेंडर की शर्तों में एक शर्त यह है कि कोयले की खरीद उन्हीं कोयला खानों से की जायेगी जो कोयला उद्योग के मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1968–69 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से उन कोयला खानों से कम दरों पर कोयले की खरीद की है जिन्होंने मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उन्हीं कोयला खानों से कोयला लेने की व्यवस्था की है जिन्होंने मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है।

### Export of India's National Bird

2762. **Shri Onkar Singh :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of requests have been received from foreign countries for India's National Bird, viz. Peacock, for keeping it in Zoo there ;

(b) if so, the names of the countries and the number of birds they have requisitioned ;

(c) the amount of foreign exchange expected to be earned by Government thereby; and

(d) the action proposed to be taken by Government in regard to their export, the number of peacocks proposed to be exported during 1968-69 and the amount of foreign exchange expected to be earned thereby ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Shri Ram Sewak )** : (a) to (d) : A few requests have been received. The details of such requests received during the year 1968-69 and the permission granted to export upto 26-2-69 are given in the statement attached. [ **Placed in Library. See No. LT-318/69** ] The question of earning any foreign exchange does not arise, as the birds are being exported only as gifts.

### Kidnapping of Nagas

2763. **Shri Onkar Singh :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two underground Naga leaders, Shri Jeren Koba Ao and Shri Meren Kaoba Ao, were kidnapped by some unknown persons on Wokha Road near Mokokchung in January, 1969 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of External Affairs ( Shri Dinesh Singh ) :** (a) On the 6th January, 1969, two underground leaders, Jerenkoba Ao and Merenkoba Ao were reported to have been taken by some persons belonging to the "Zungti" faction of the Underground, from Lungkam, on the Mokokchung Wokha Road, to the so called headquarters of the "Zungti" faction, for discussions. They were allowed to return on the 9th January, 1969.

(b) The move seems to have been aimed at getting the support of the Underground leaders of the Ao tribe for the "Zungti" faction.

### रेल के डिब्बों के लिये इस्पात का आयात

2764. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस को भेजे जाने वाले रेल के डिब्बों के सम्बन्ध में हुए करार में हाल ही में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि डिब्बों का निर्माण करने के लिये इस्पात का रूस से निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार में संशोधन करने के परिणामस्वरूप रुपयों में हुई हानि कितनी है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) जी नहीं । विशेष इस्पात का केवल उतने परिमाण में ही आयात करना पड़ सकता है जितना भारतीय स्रोतों से आपूर्ति न होने तक आरंभिक अवस्था में अपेक्षित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Thumba Equatorial Rocket Landing Station**

**2765. Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian-made MENKA rocket was fired from Thumba Equatorial Rocket Landing Station in January, 1969 for testing purposes;

(b) whether it is also a fact that radars could not indicate the facts in that regard;

(c) if so, the causes thereof; and

(d) the number of other Indian-made rockets which were fired from Thumba Rocket Station during that month ?

**The Prime Minister, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The radar was not required to track the vehicle, but only the chaff ejected from the payload. However, the chaff was not ejected presumably because the payload did not function properly.

(d) Another Menaka rocket was flight tested on January 23, 1969, and the chaff was tracked by radar in this case.

**Conversion of Temples and Gurdwaras into Mosques in Pakistan**

**2765, Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Yajna Datt Sharma :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Temples and Gurdwaras have been converted into Mosques in East and West Pakistan;

(b) if so, the number of such temples and Gurdwaras which have been coverted into mosques; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) According to enquiries made by the Government, there have been no reports of conversion of Temples and Gurdwaras into mosques in Pakistan in the recent past.

(b) and (c) : Do not arise.

### Indo-Nepal border Dispute

2767. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Chandra Jha :
Shri B. K. Daschoudhury :
Shri George Fernandes :
Shri Hardayal Devgun :
Shri D. N. Patodia :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some areas between India and Nepal are under dispute;

(b) if so, the area of disputed territory; and

(c) the steps taken by Government of both the countries to resolve the dispute ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : The attention of the Hon'ble Members is invited to the statement made by the Deputy Minister of External Affairs in the Lok Sabha on 11th December 1968.

(c) As has already been stated there is no boundary dispute between India and Nepal. However, according to the established tradition between the two countries, the district officials of the two sides have authrity to establish direct contact and settle the matter of refixing and repairing of boundary pillars as well as of marking the boundary on the ground with the help of agreed maps. One such meeting was held recently at Valmikinagar (Bihar) on 24th and 25th January, 1969 between the district officials of the Government of Bihar and Nepalese officials to locate the boundary in the Susta Forest area.

### Exchange of Property with Pakistan

2768. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the nature of steps taken by Government along with their dates for the exchange of property seized during the Indo-Pak conflict between the two countries ;

(b) whether Pakistan Government have responded to India's efforts in this regard; and

(c) the details of Pakistani property under India's possession and the details of Indian property under Pakistan's possession at present ?

The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Eversince the signing of the Tashkent Declaration, the Government of India have through a series of the Notes, requested the Government of Pakistan to discuss the question reciprocal return of properties and assests seized by either side of connection with the Indo-Pak conflict of August-September 1965. The dates on which these Notes were delivered are given in the enclosed statement.

(b) The Pakistan Government have not so far responded constructively to India's Notes.

(c) Details of Pakistani properties in India's possession and Indian properties in Pakistan's possession are given in the enclosed statements. [Placed in Library. See No LT 319/69]

## निर्यात के लिए प्रोत्साहन

2769. श्री बलराज मधोक : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकार का विचार प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्तु-स्तर ऊंचा बनाये रखने तथा निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में** उप-मन्त्री **( श्री राम सेवक )** : (क) और (ख) अच्छे निर्यात निष्पादन के लिये प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार ने उत्कृष्ट निर्यात निष्पादन पर निर्यातकों को पुरस्कार देने की एक योजना तैयार करके घोषित की है। इस विषय पर स्वीकृत संकल्प को 23 नवम्बर, 1968 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और उसे 16 जनवरी, 1969 के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था।

(ग) निर्यातों के उच्च स्तरों के बनाये रखने के लिये किये जाने वाले उपाय ये हैं : (1) निर्यातों संबंधी गुण-नियंत्रण योजना, जिसे हमारे लगभग 85% निर्यातों पर लागू कर दिया गया है (2) निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों द्वारा निर्यातकों का पंजीकरण करने की योजना, जो निर्यात सहायता के लिये पात्र होंगे (3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विवादों के विषय में, हमारे विदेश स्थित वाणिज्यिक प्रतिनिधियों, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महा निदेशालय, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों जैसे अभिकरणों, तथा भारतीय विवाचन परिषद की सहायता से तुरंत तथा सक्रिय ध्यान दिया जाना।

निर्यात बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं। निर्यात उत्पादन के लिये आयात प्रतिपूर्ति योजना के द्वारा आयातित कच्चे माल की पूर्ति, चुने हुए महत्वपूर्ण स्वदेशी कच्चे माल की रियायती कीमतों पर पूर्ति, चुने हुए निर्यात उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता करने योग्य बनाने के लिये उन्हें विपणन सहायता, ब्याज की रियायती दर पर बैंकों से ऋण, शुल्कों की वापसी, और चुने हुए निर्यात उत्पादों की देश के भीतरी भागों में स्थित उत्पादन केन्द्रों से निर्यात पत्तनों तक ढुलाई के लिये रियायती रेल भाड़ा।

## Export of Goods by M/s. Kamani and Company, Bombay to Iran

**2770. Shri Deven Sen :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the names of the goods exported by M/s. Kamani and Company, Bombay to Iran so far and their values;

(b) whether this company had Imported certain raw materials from Iran last year and if so, the gap between imports and exports;

(c) besides exports by this company, whether goods manufactured by other companies will also be exported in accordance with the new contract; and

(d) whether Government propose to ensure inspection of goods of Kamani and Co. meant for export so that defective goods may not be exported and we may continue receiving such contracts from abroad ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) :** (a) to (c) : Statistics of Imports and exports of India from/to other countries, including Iran, are complied for the country as a whole and not firm-wise.

(d) Under the Exports (Quality Control and Inspection) Act, a number of commodities exported from India are subject to compulsory preshipment inspection.

## चोलावरम (मद्रास) में हवाई श्रड्डा

**2771. श्री सेझियान :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट चोलावरम में एक आधुनिक हवाई अड्डा बनाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने प्रारम्भिक अध्ययन पूरे कर लिये हैं; और

(ग) क्या इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह):** (क) से (ग): वायुसेना के प्रयोग के लिए चोलावरम हवाई अड्डे के विकास की इस समय कोई योजना नहीं है ।

## क्यूबा से निकल का श्रायात

**2772. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की वस्तुओं के बदले में भारत को निकल बेचने के सम्बन्ध में क्यूबा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) इस्पात उत्पादों के बदले में भारत को निकिल की बिक्री को कोई विशिष्ट प्रस्ताव क्यूबा से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**समुद्र तल का अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग**

**2773. डा० कर्णी सिंह :** **कुमारी कमला कुमारी :**
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-तल का उपयोग करने के लिये संयुक्त राष्ट्र महा-सभा द्वारा स्थापित 42 देशों की स्थायी समिति में भारत को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा;

(ग) इस समिति के अन्य सदस्य देशों के नाम क्या हैं;

(घ) समुद्र-तल के अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के बहाने से कोई देश हिंद महासागर में नौ-सैनिक अड्डे तथा पनडुब्बी अड्डे स्थापित न कर सके, इसके लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं; और

(ङ) क्या इस बारे में कोई करार किया गया है कि हिन्द महासागर के तल से प्राप्त होने वाली संपदा का बटवारा भारत तथा उस समिति के सदस्य देशों में किस अनुपात में किया जायेगा ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।

(ग) अर्जेंटाइना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, बल्गेरिया, कैमेरून, कनाडा, श्रीलंका, चिली, चेकोस्लोवाकिया, एल साल्वेडर, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, जापान, कीनिया, कुवैत, लाइबेरिया, लिवियड, मैडागास्कर, मलयेशिया, माल्टा मौरितानिया, मेक्सिको, नाईजेरिया नार्वे, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, रोमानिया, सियरा लियोन, सुडान, थाइलैंड, ट्रिनिडाड और टोवागो, सोवियत रूस, अरब गणराज्य, ब्रिटेन, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, सयुक्त राज्य अमरीका और यूगोस्लाविया।

(घ) और (ङ) : महासभा के पिछले अधिवेशन में पारित प्रस्ताव संख्या 2467 में, राष्ट्रीय क्षेत्र की सीमा से बाहर सागरतल और महासागरतल के शांतिपूर्ण प्रयोग से संबधित समिति को यह अनुदेश दिया गया कि वह इस बात का सुनिश्चय करने के लिए उपायों का अध्ययन करे कि सागर तल तथा महासागर तल का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे विकासशील देशों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र के साधनों का पता लगाने और उन्हें निकालने को बढ़ावा देने और मानव जाति के हित में उनका उपयोग करने के लिए, उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मशीनरी स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त, 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति को भी यह अनुदेश दे दिया गया है कि वह सागरतल और महासागरतल के असैनिकीकरण के भागों और उपायों की परीक्षा करे।

राज्य व्यापार निगम के बारे में पुनर्विलोकन समिति

2774. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री सीताराम केसरी :
श्री क० लकप्पा : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री ए० श्रीधरन : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के बारे में पुनर्विलोकन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो उन पर कब विचार किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) : (क) से (ग) : सरकार ने राज्य व्यापार निगम की पुनर्विलोकन समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट विचारों तथा सिफारिशों पर विचार किया है और वह उनसे सामान्यतः सहमत है । बोर्ड के विस्तार के लिये तथा अन्य संगठनात्मक मामलों के संबंध में प्रतिवेदन में की गई सिफारशों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है । उनमें से अधिकतम सिफारिशों को निगम द्वारा क्रियान्वित कर दिया गया है । पुनर्विलोकन समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के कुछ ही सप्ताह में प्राप्त होने की आशा है । अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार और उपयुक्त कार्यवाही करेंगी ।

M/s. Bradbury Mills Ltd., Bombay

2775. Shri Sharda Nand :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the date on which the Bradbury Mills Ltd., Bombay applied for a licence and when it started functioning;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work being done by it; and

(c) the quantum of production of the concern since its inception ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Ram Sewak) : (a) M/s Bradhury Mills Ltd., Bombay was an existing unit when the industries (Development & Regulation) Act, 1951 came into force and it had applied for registration on 19th August, 1952.

(b) The above mills are registered for the production of cotton textiles under the Schedule-23(1) of the above Act. No special terms and conditions were laid down in the Registration Certificate. The above unit is manufacturing cotton textiles.

(c) Figures of production of cotton yarn and cotton cloth for the past few years are given below:-

| Year | Yarn (Kgs) | (In Million) Cloth Metres |
|---|---|---|
| 1963 | 2.7 | 16.2 |
| 1964 | 2.9 | 17.6 |
| 1965 | 2.8 | 16.3 |
| 1966 | 2.7 | 15.8 |
| 1967 | 2.6 | 16.4 |
| 1968 | 2.4 | 16.0 |

**M/s Century Spinning and Manufacturing Co.**

2776. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the date on which the Century Spinning and Manufacturing Company applied for a licence and when it started functioning;

(b) the times and conditions in respect of the setting up of the said concern and the nature of articles being produced by it; and

(c) its total production since its inception ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Shri Ram Sewak):** (a) M/s Century Spinning and Manufacturing Company Ltd. was an existing unit when the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force and it had applied for registration on 18th August, 1952.

(b) The above mills were registered under the Schedule 23 (1) of the above act. No special terms and conditions were attached to the above Registration Certificate. This unit is manufacturing cotton textiles and rayon yarn.

(c) The figures of production cotton yarn, cloth (cotton) and Rayon Yarn are as follows:-

(In Millions)

| Year | Cotton Yarn Kgs | Cloth (Cotton) Metres | Rayon Yarn Kgs |
|---|---|---|---|
| 1963 | 11.6 | 81.4 | 8.8 |
| 1964 | 11.7 | 82.0 | 9.2 |
| 1965 | 11.1 | 75.2 | 9.5 |
| 1966 | 12.3 | 75.1 | 10 7 |
| 1967 | 12.4 | 76.6 | 10.7 |
| 1968 | 13.4 | 82·8 | 10.5 |

**Central India Mills Ltd., Nagpur**

2777. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 148 on the 11th November, 1968 and state :

(a) the names of commodities for the manufacturing of which the Central India Mills Ltd, Nagpur, had applied for licence:

(b) the date on which the said company was granted licence and the date on which is started functioning;

(c) whether the company manufactured some commodities other than those for which the licence was granted; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Shri Ram Sewak) :** (a) M/s. Central India Mills Ltd., Nagpur had applied for registration of their existing unit for cotton textiles under the provisions of Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

(b) The Company was granted Registration Certificate No. $\frac{R/10(a)/49}{R/23(1)/47}$ on 31st May, 1954. This unit was in existence long before the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 came into force.

(c) The Company is not manufacturing commodities other than those for which licence was granted to them.

(d) In view of (c) above, the question does not arise.

**New Kesar-e-Hind Mills Limited, Bombay**

2778. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the date on which the New Kesar-e-Hind Mills Limited, Bombay, applied for a licence and when it started functioning;

(b) the conditions on which this concern was to function and the nature of goods produced by it; and

(c) the extent of its production since its inception ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Shri Ram Sewak) :** (a) M/s. New Kesar-e-Hind Mills Ltd., was an existing Unit when the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 came into force and it had applied for registration on 14.8.1952.

(b) the above Unit was registered under Schedule 23 (1) of Industries (Development & Regulation) Act. 1951 for the production of cotton textiles. No special terms and conditions were laid down in the Registration Certificate and the Mills are manufacturing cotton textiles,

(c) Production figures of cotton yarn and cotton cloth of this unit for the last few years are given below :-

| | ( In Million | |
|---|---|---|
| **Year** | **Yarn (Kgs.)** | **Cloth (Metres)** |
| 1963 | 4.2 | 24.7 |
| 1964 | 4.0 | 30 5 |
| 1965 | 1.6 (6 months) | 13.3 (6 months) |
| 1966 | 1.6 (9 months) | 9.8 (8 months) |
| 1967 | 0.8 (5 months) | 3.7 (3 months) |
| 1968 | Laid off from 14.6.1967. | |

Experiments for Growing Vegetables and Fruit in Ladakh.

2779. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to an article published in the "Sainik Samachar" Jawans have sucessfully conducted new experiments of growing vegetables and fruint in Ladakh area; and

(b) whether any scheme is being considered with a view to popularise these experiments locally so that Ladahk, which has could climate and is a hilly area may become self-sufficient in the production of food grains and vegetables ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Defence Research and Development Organisation had set up an Agricultural Research Farm at Leh (Ladhak) in 1961 to survey the possibilities of increasing agricultural output of the Ladakh region, to find out the crops which could be successfully grown at the higher altitudes of Ladhak, to determine by experimental trails the strain of different crops which were best suited for this region and to evolve suitable cultivation practice for the region.

It was on the basis of experiments carried out on cereals, roots and tubers that wheat has been grown for the first time at altitude of 14,000 ft. Altogether 450 strains of crops have been tried out so far and several verieties of crops which can be grown successfully at altitudes have been selected and distributed among local farmers to help the agricultural yield of the region. Seeds obtained from various agricultural research institutes in India and from foreign countries such as Italy, Canada, USA, Switzerland, Peru and Alaska were tried in observation plots at these farms.

A project on introduction of fruit trees was started in 1967. Trees of apple, apricot, cherry, almond and walnut were brought from Srinagar and Ranikhet and transplanted in the farms to study various aspects of fruit growing in the region.

(b) To bring the achievements of our researches in the field of agriculture to the benefit of local population at high altitude and also to know about the local agricultural problemes, a committee has been formed with Development Commissioner as Chairman and representatives of the Local Cooperative Society and farmers Society as members. Through the above committee, the Farm has supplied :-

(i) to local farmers as well as different Army units stationed there, 20,000 to 30,000 seedings per year. These were grown at the glass-house of the Farm.

(ii) seeds of improved varieties of vegetables, potato etc. to progressive cultivators. This has resulted in increased local supplies of fresh vegetables and fruits to the Army. In 1967-1968 the local growers had supplied fresh vegetables, fruits, potatoes. onions, lecerne Hay (dry/green) etc., costing Rs. 4,84,204,85. The figure for 1st April 68 to 31st August 68 is Rs. 1,48,340,97.

इथोपिया में सेवा-रत भारतीय अध्यापक

2780. श्री ई० के० नायनार : श्री गणेश घोष :
श्री अ० कु० गोपालन : श्री पी० राममूर्ति :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ईथोपिया में कितने भारतीय अध्यापक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इथोपिया सरकार भारत से अध्यापकों की भर्ती सीधे कर रही है;

(ग) क्या उनकी प्रतिनियुक्ति के बारे में भारत सरकार ने इथोपिया से कोई करार किया है;

(घ) यदि हां, तो उस करार की मुख्य बातें क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इथोपिया सरकार इस करार को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही की गई हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) इथोपिया स्थित भारतीय राजदूता-वास ने हाल ही में अनुमान लगाकर हमें यह बताया है कि उस देश में काम करने वाले भार-तीय शिक्षकों की संख्या 840 है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) : इथोपिया के अधिकारी जिन शिक्षकों का चयन करते हैं, उनके साथ इथोपिया सरकार सीधे संविदा करती है । अदीस अबीवा: स्थित भारतीय राजदूतावास को ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि इथोपिया के अधिकारी इन संविदाओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते । हमारा राजदूतावास इन शिकायतों की जांच कर रहा है और सरकार भी भर्ती-विधि और उससे सम्बद्ध मामलों पर विचार कर रही है ।

**डरबन में रोके गये भारतीय नाविकों की वापसी**

**2782. श्री क० लकप्पा :**
**श्री समर गुह :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डरबन में हाल में पकड़े गये एक मालवाहक जहाज के 36 भारतीय नाविकों की वापसी के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय चालक-वर्ग के 36 सदस्य डरबन में फंस गए थे क्योंकि इरानियन रजिस्ट्री के उनके जहाज "साइरस" को शैरिफ ने, उसके चालक-वर्ग को बन्दरगाह अधिकारियों को वेतन और दूसरी देय राशियां न देने के कारण, कुर्क कर लिया था।

भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कोई विरोध प्रकट नहीं किया था बल्कि उसने लदन-स्थित अपने हाई कमीशन को निदेश दिया था कि वह 36 भारतीय नाविकों को ब्रिटिश इंडिया स्टीमसीप कम्पनी के जहाज एस० एस० "करंजा" द्वारा भेजने का प्रबन्ध करे जो डरबन से 13 जनवरी 1969 को रवाना हुआ था और फरवरी 7 1969 को बंबई पहुंचा।

**कलकत्ता में फोर्ट विलियम में स्वागत समारोह**

2783. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री समर गुह :**
**श्री भगवाग दास :**
**श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० ओ० सी० इन० चीफ पूर्वी कमान ने 27 दिसम्बर, 1968 को फोर्ट विलियम में अधिकारी संख्या में एक स्वागत समारोह आयोजित किये जाने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्वागत समारोह उपर्युक्त तिथि को आयोजित किया गया था; और

(ग) उस स्वागत समारोह में कितने लोगों को आमन्त्रित किया गया था ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। 27 दिसम्बर, 1968 को विवाह में स्वागत के उद्देश्य से आफिसर इन्स्टीट्यूट को देने की अनुमति इन्स्टीट्यूट की कमेटी द्वारा दी गई थी, कि जिसका अध्यक्ष सब–एरिया कमांडर हैं। इन्स्टीट्यूट फोर्ट विलियम से बाहर स्थित है।

(ख) इन्स्टीट्यूट का किराये पर लिया जाना उस पक्ष की प्रार्थना पर उक्त तिथि से पहले रद कर दिया गया था, कि जिसने उसे किराये पर लेने का पहले प्रबन्ध किया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**निर्यात विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता**

2785. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री दिनांक 17 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4744 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें 120 विपणन प्रबन्धक को प्रशिक्षण देने के लिये तथा निर्यात विपणन पर 3 विशेषज्ञों को भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) अन्य ऐसे परियोजनाओं के मामले में क्या प्रगति हुई है जिनका निरुपण तथा समझौता किया जा रहा हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सुझाव दिया है कि प्रारम्भ में अनुरोध केवल 20 विक्रेताओं के प्रशिक्षण के लिये हो और जिसे 1969 के लिये यू नी डो/टी ए कोम्पोनेंट में शामिल किया जाये। संशोधित प्रायोजना बजट और स्वदेशी प्रायोजना के लिये अनुरोध तैयार किये जा रहे है।

(ख) निर्यात उत्पादन के बारे में संयुक्त राष्ट्र दल द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा अतारांकित प्रश्न संख्या 4744 के साथ संलग्न विवरण में दिया गया था। कुछ सिफारिशों के बारे में और आगे प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अन्य सिफारिशों के बारे में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है :

**विक्रय संवर्धन ओौगनिक कैमिकल उद्योगों की वर्तमान प्रमुख क्षेत्रों में आवश्यक निर्यात विक्रय सम्बन्धी प्रयत्न सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना।**

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य क्रम ने कुछ सुझाव दिया है कि भारत को आरम्भ में, तीन से छ: मास तक प्रारम्भिक सर्वे करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आधार वाला विपणन दल की नियुक्ति के बारे में विचार करना चाहिए। इस प्रारम्भिक अध्ययन के पूरा होने के बाद संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास संस्था प्रस्तावित तकनीकी क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक एक विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध कराने के बारे में विचार करेगी।

**किस्म निमंत्रण तथा लागत में कमी समग्र भारत में कारखानों के अन्दर ही गुण नियन्त्रण प्रशिक्षण एवं विकासात्मक कार्य क्रमों की तीन सूत्रीय परियोजना।**

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य क्रम ने पांच के स्थान पर दो विशेषज्ञों का सुझाव दिया है। मन्त्रालय ने 5 विशेषज्ञों के लिये ही ज़ोर दिया है। मामला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विचाराधीन है।

**भविष्य में विकास तथा विस्तार भारत में स्वदेशी इल्मैनाईट इस्तमाल करने वाले एक टिटैनियम उत्पादन उद्योग की स्थापना के बारे में सम्भावना तथा सर्वोत्तम ढग की जांच सत्यापन करने के लिये एक पूर्व-परियोजना तथा इसके बाद, यदि सकेत मिले तो, संयुक्त राष्ट्र से समुचित सहायता लेना।**

संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेषज्ञ पहले ही भारत की यात्रा कर चुके हैं तथा उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

भारत के अबरक स्त्रोतों के उत्पादन का उत्तम उपयोग करने का लक्ष्य पाने हेतु यदि संकेत मिले तो, संयुक्त राष्ट्र से और आगे सहायता लेने के लिये एक कार्य क्रम तैयार करने के बारे में अध्ययन।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हमारी दो विशेषज्ञों की मांग के बदले एक विशेषज्ञ का सुझाव दिया है। भारत सरकार ने अपना पहला अनुरोध फिर दोहराया है तथा मामला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पास विचाराधीन है।

### वाराणसी में आसाम राइफल्स के सैनिकों द्वारा मारपीट

2786. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 20 नवम्बर 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने वाराणसी में आसाम राइफल्स के सैनिकों द्वारा की गई मारपीट के बारे में अपनी जांच-पड़ताल इस बीच पूरी करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस से क्या निष्कर्ष निकाला गया है; और

(ग) पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) : जांच के पश्चात पुलिस ने कुछ सैनिक सेविवर्ग पर चार्जशीट लगा कर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ज) के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। ए० डी० एम० द्वारा समन जारी होने पर इन व्यक्तियों पर सेना अधिनियम की धारा 125 के अन्तर्गत मामला चलाने के लिए उनकी मांग की गई है। उनके विरुद्ध गवाहियों की समरी की सुनवाई प्रगतिशील है।

### कपड़े का निर्यात

2787. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल, विद्युत चालित कर्घा और हथकरघा क्षेत्रों को कपड़ा निर्यात करने के लिये क्या विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्र ने गत तीन वर्षों में कितना निर्यात किया है और प्रत्येक ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) सरकार सूती वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिये समय समय विभिन्न उपाय करती रही है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

| वर्ष | मिलक्षेत्र | हथकरघा क्षेत्र सूती कपड़ा निर्यात | (सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में) विद्युत चालित करघा क्षेत्र | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 70.61 | 8.14 | .42 | 79.17 |
| 1967 | 82.21 | 8.64 | ,70 | 91.55 |
| 1968 (अस्थायी) | 94.71 | 7.27 | .96 | 102.94 |

### रूस के साथ व्यापार

2788. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1968 में रूस से कितने मूल्य का माल आयात किया गया है;

(ख) आयात की गयी मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी हैं; और

(ग) रूस को कुल कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और 1967 तथा 1968 में उस देश के साथ व्यापार का संतुलन कैसा था ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) 1968 (जनवरी-नवम्बर) में रूस से 117.251 करोड़ रु० के मूल्य के माल का आयात किया गया।

(ख) जिन मुख्य वस्तुओं का आयात किया गया, वे ये हैं : मशीनी औजार, बिजली तथा विद्युत–तकनीकी उपकरण, खनन उपकरण, बिजली पैदा करने के सेट, निर्माण कार्य तथा मिट्टी हटाने के उपकरण, माल उठाने तथा परिवहन के उपकरण, ऋतु विज्ञान सम्बन्धी उपकरण, भू-वैज्ञानिक खोज तथा तेल के लिये खुदाई के उपकरण, मुद्रण यंत्र, प्रयोगशाला के उपकरण, बाल रोलर तथा टेपर बीयरिंग, पहियों वाले ट्रैक्टर, तेल उत्पाद, वेल्लित इस्पात उत्पाद, टिन की प्लेटें, जस्ता, प्लेटीनम, रासायनिक द्रव्य, रंगों के मध्यवर्ती द्रव्य, अमोनियम सल्फेट, पोटास म्यूरियेट, कच्चा एसबेस्टोस, उष्मसह यंत्र, लकड़ी की लुग्दी, अखबारी कागज, औषधियां तथा भेषजें, विपुल परिणाम में ।

(ग) जनवरी से नवम्बर, 1968 की अवधि में भारत से सोवियत संघ को किये गये निर्यातों का कुल मूल्य 130.119 करोड़ रु० है । इसी अवधि में सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन 12.868 करोड़ रु० की सीमा तक हमारे पक्ष में था । गत वर्ष की उसी अवधि अर्थात जनवरी से नवम्बर, 1967 में व्यापार सन्तुलन 32.935 करोड़ रु० की सीमा तक भारत के पक्ष में था ।

### पश्चिम जर्मनी में एक भारतीय विद्यार्थी की गिरफ्तारी

2789. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 16 जनवरी, 1969 को समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम जर्मनी में हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये एक भारतीय विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से निकाल दिया जायेगा;

(ख) क्या इस मामले में बौन स्थित भारतीय राजदूत से वहां के अधिकारियों ने बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग) : हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में भाग लेने के कारण, पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों ने 13 जनवरी, 1969 को, भारतीय विद्यार्थी श्री पद्मसी मेंहदी सद्रुद्दीन को पांच अन्य विद्यार्थियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। यह खबर मिलते ही, राजदूत ने, जेल में सद्रुद्दीन से मिलने के लिये, भारतीय राजदूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजा। मुकदमें की सुनवाई होने तक के लिए, उस विद्यार्थी को अस्थायी रूप में 29 जनवरी, 1969 को छोड़ दिया गया। जिस अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया है, उसने उसे 3 महीने कैद की सजा दी है, किन्तु इस सजा के विरुद्ध उसने एक अपील की है।

अगर उसकी अपील रद्द कर दी गई तो उसे सम्भवतः जर्मन संघीय गणराज्य से निकाल दिया जाएगा। अपील के सम्बन्ध में, फैसला होने तक, सद्रुद्दीन विश्वविद्यालय जा रहा है।

### भारत तथा ब्रिटेन के बीच राष्ट्रमंडलीय संधि

**2790. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री भारत और इंग्लैंड के बीच हुई राष्ट्रमंडलीय संधि का पूरा पाठ बताने की कृपा करेंगे ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह):** भारत और युनाइटेड किंगडम के बीच कोई राष्ट्र-मंडलीय संधि नहीं हुई है।

### प्रतिरक्षा सेवाओं में अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की भर्ती

**2791. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री गत तीन वर्षों में प्रतिरक्षा सेवाओं में राज्य-वार प्रत्येक अल्प-संख्यक वर्ग के लोगों की भर्ती के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** वायुसेना तथा नौसेना में समुदायवार भर्ती के आंकड़े नहीं रखे जाते। थलसेना में भिन्न परम्परागत साधनों से भर्ती के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े रखें जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा सेवाओं में समुदायवार भर्ती दर्शा पाना सम्भव नहीं होगा।

### Territorial Army

2793. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the present rates of pension and gratuity of the permanent employees of Territorial Army;

(b) whether it is a fact that these rates are much lesser than those for civil and military employees;

(c) if so, whether Government propose to increase them;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether those officers who retired during the last five years and who had taken part in the conflict with China and Pakistan would get the benefit of this increase; and

(f) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :** (a) There are no permanent employees as such in the Territorial Army. Territorial Army personnel are not, therefore, entitled to service pension. Territorial Army personnel who have completed at least 4 years' aggregate embodied service, are eligible to a terminal gratuity at the rate of ½ month's pay for each aggregate year of embodied service in the Territorial Army subject to a maximum of 9 months' pay,

(b) The rates of gratuity for Territorial Army personnel are the same as obtaining on the civil side, except that the maximum limit on the civil side is 15 months' pay. In the Regular Army, those who have not put in the requisite service qualifying for a pension, are paid a retiring gratuity. These rates are higher than those for the Territorial Army personnel.

(c) to (f) : The question of adequacy or otherwise of the existing rates of gratuity for T. A. personnel etc., is under examination and a final decision has not yet been taken.

### पहाडी क्षेत्रों की प्रगति

2794. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत 20 वर्षों में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास संतोषजनक नहीं हुआ है और कि इस दिशा में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इन क्षेत्रों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ग) इन योजनाओं पर कितना धन व्यय करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती (इन्दिरा गांधी) :** (क) यह सच है कि पिछले बीस वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए काफी काम किया गया है, फिर भी अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

(ख) और (ग) : आशा है कि राज्य अपनी क्रमिक योजयाओं में इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए समुचित प्रावधान करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के बाद राज्यों द्वारा परिव्ययों का निश्चय किया जायेगा।

### चौथी पंचवर्षीय योजना में कटौती के बारे में मंत्रालयों द्वारा असन्तोष प्रदर्शन

2795. डा० महादेव प्रसाद :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकतर मंत्रालयों ने चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा क्षेत्रों के नियतन में प्रस्तावित कटौती के बारे में असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ख) :** जी, नहीं। "चौथी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में प्रतिपादित नीतियों तथा चौथे योजना अवधि के लिए उपलब्ध साधनों के समस्त अनुमान को ध्यान में रखते हुए, सम्बद्ध मंत्रालयों से परामर्श कर केन्द्रीय क्षेत्र के प्रस्तावित आवंटन का निश्चय किया गया था। प्रस्तावों का प्रारूप अभी विचाराधीन है।

### ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित धन राशि

2796. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा दो वार्षिक योजनाओं में देश में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो के विकास पर क्रमशः कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ख) उपर्युक्त क्षेत्रों के लिये चौथी योजना में क्रमशः कितनी कितनी धन-राशि की व्यवस्था करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :(क और(ख):** विकास परिव्ययों को मुख्य भाग की मंशा समस्त राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है। अतः योजना परिव्यय को शहरी तथा ग्रामीण परिव्यय में दर्शाना सम्भव नहीं। फिर भी, अधिकांश स्कीमें इस प्रकार की है जिनसे ग्रामीण क्षेत्र सीधे लाभान्वित होंगे।

### Export of Cardamom

2797. **Shri Yashwant Singh :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand for Indian Cardamom has declined in Europe; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) Yes, Sir.

(b) Increase in prices of Indian Cardamom due to fall in production; and sale of Cardamom at cheaper rate by our competitor Guatemala.

## भूतपूर्व सैनिकों का पेंशन बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन

2798. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों ने निवार्ह व्यय बढ़ जाने के कारण अपनी पेंशनें बढ़ाई जाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके मामलों पर विचार किया है और उस पर क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि पुराने तथा नये पेंशन भोगियों की पेंशन की दरों में अन्तर होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों में बहुत असन्तोष हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुराने तथा नये पेंशन भोगियों के बीच इस अन्तर को समाप्त करने का है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) पुराने पेन्शनरों को समय समय पर पेन्शनों में अस्थायी वृद्धि तथा तदर्थ वृद्धि के रूप में राहत दी गई है। 1925 में 100 मासिक तक पेन्शन पानेवाले सभी पेन्शनरों को अस्थायी वृद्धि दी गई थी। 1958 में उन लोगों के लिए जो पुरानी पेन्शन कोड में रह गये थे, अस्थायी वृद्धि के दरों सुधार किया गया था। पुनः 1963 में सभी विद्यमान तथा भविष्य में 200 रुपये मासिक पेन्शन पाने वालों के लिए एक तदर्थ बढ़ौती की गई थी। पुराने पेन्शन कोड़ द्वारा शासित पेन्शनरों की हालत में तदर्थ बढ़ौती अस्यायी वृद्धि के अतिरिक्त है।

(ग) तथा (घ) : इस सम्बन्ध में अभिवेदन प्राप्त हुआ है। सेवा निवृत्त सेविवर्ग का पेन्शनों की दर उनके सेवा निवृत्त होते समय उनके द्वारा प्राप्त किये वेतन तथा उस समय उनके लिए लागू नियमों और आदेशों पर निर्भर है। यह एक मूल सिद्धांत है, और इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## भारत में भूतपूर्व सैनिकों के संगठन

2799. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अखिल भारतीय राज्य अथवा जिला स्तर पर कार्य करने वाली भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों अथवा सघों की सख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या क्या हैं;

(ख) उनमें से कौन कौन से संगठनों को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है; और

(ग) क्या उनकी मान्यता के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री म० र० कृष्ण) :** (क) से (ख): सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की सस्थाओं या सघों के इस प्रकार कोई मान्यता नहीं दी है और न ही उन्हें मान्यता देने के लिए कोई नियम आदि ही बनाए हैं। इस प्रकार के संगठनों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े

नहीं रखे जाते हैं । तथापि सरकार ने भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यों में अपनी दिलचस्पी बराबर बना रखी है । भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कार्यों से सम्बन्धित किसी भी संगठन से प्राप्त सुझावों पर सरकार उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करती है ।

## भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण कर लिए निधियां

2800. श्री हेमराज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व सैनिकों तथा प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गई वे कौन कौन सी निधिया हैं जिनका प्रबन्ध सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्डों द्वारा किया जाता है;

(ख) उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की गई है अथवा आंवटित की गई है; और

(ग) 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि दी गई है और उनको इसका किन सिद्धान्तों पर किया गया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्णा)** : (क) भूतपूर्व सैनिकों और सेवा कर रहे सेविवर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने कई निधिएं संस्थापित की हैं जो प्रत्येक निधि के लिए भिन्न कमैटियों द्वारा शासित हैं । निम्न दो नीधिएं सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड द्वारा शासित हैं ।

(1) आई० एस० एस० तथा ए० बोर्ड निधि सीधे भारतीय सैनिकों तथा वैमानिकों के बोर्ड द्वारा शासित है, और

(2) प्रतिवर्ष सशस्त्र सेनाओं के झण्डा दिवस पर इकट्ठी की गई झण्डा दिवस निधि से विभिन्न राज्य बोर्डों को अलाट की गई राशिएं ।

(ख) (1) आई० एस० एस० तथा ए०बोर्ड फण्ड का कारपस 1721919 रुपये है । इससे मिलने वाला ब्याज अन्धे हो गए भूतपूर्व सैनिकों को 15 रुपये मासिक सीधे विशेष पेन्शन देने में खर्च होता है जो आई० एस० एस० तथा ए० बोर्ड द्वारा दी जाती है ।

(2) **झण्डा दिवस निधि**

| | |
|---|---|
| 22,99,510.10 रुपये | 1966 में इकट्ठें किए गए । |
| 27,18,613.73 रुपये | 1967 में इकट्ठे किए गए । |

1969 के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं है ।

(ग) 1966 तथा 1967 में झण्डा दिवस निधि से विभिन्न राज्य बोर्डों को अलाट की गई राशिएं विवरण में दे दी गई हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 320/69] चन्दा इस आधार पर बाटां जाता है है–

इकट्ठे हुए कुल चन्दा में 10 प्रतिशत, परन्तु कम से कम 1 लाख रुपये केन्द्र द्वारा रिजर्व निधि के तौर पर रख लिया जाता है। किसी राज्य-यू० टी० विशेष द्वारा इकट्ठा किया गए चन्दा का 45 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य-यू० टी० को पुन: दे दिया जाता है। तदपि, अगर किसी राज्य-यू० टी० द्वारा इकट्ठा किए गए चन्दा उनके लिए नियत लक्ष्य से अधिक हो, तो अधिक शेष भी 10 प्रतिशत रिजर्व निधि के लिए काटकर उसे ही दे दिया जाता है। शेष तीनों सेवाओं और अन्य संगठनों जैसे कि' सर्विसिज स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड इंडियन रेड क्रास सोसाईटी, सैनिक हस्तपाल, औंध तथा सैनिक हस्तपाल नामकुम को बांट दिया जाता है।

## भारत में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

2801. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूतपूर्व सैनिकों की कोई गिनती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार उनकी सख्या कितनी-कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## सेनाध्यक्षों की नियुक्ति

2802. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान पद्धारी के सेवा निवृत्त होने से 6 महीने पूर्व प्रतिरक्षा सेवाओं में सेना अध्यक्षों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्तमान नियम-रूढ़ि में परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सेना, नौसेना, वायुसेना के अध्यक्षों का चुनाव समय को देखते इस प्रकार किया जाता है कि आने वाले और जाने वाले अध्यक्ष तथा उनके फलस्वरूप रिक्त हुए स्थानों को क्रम से पुर करने वालों को ठीक तिथि पर प्रभार सौंपने और संभालने में सुविधा हो। इस सम्बन्ध में न तो कोई नियम है, न परम्परा ही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र निर्धारित करना

2803. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से कहा गया था कि आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बारे में निश्चित किए गए सूचकांकों के आधार पर सुस्पष्ट पिछड़े क्षेत्रों को निर्धारित करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने यह कार्य किया था ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और किस आधार पर इन क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है ?

**प्रधान मंत्री अनुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) से (ग) : जी, हां । 20 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1265 तथा 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

### रूस को रेल के डिब्बों का निर्यात

**2804. श्री भगवानदास :**
**श्री नम्बियार :**
**श्री वि० कु० मोडक :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
**श्री सीताराम केसरी :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री हिम्मत सिंहका :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री डा० रानेन सेन :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों के व्यापार के सम्बन्ध में भारत-रूस के बीच बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है क्योंकि रूस ने भारत द्वारा सुझाये गए मूल्य को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत ने प्रति माल डिब्बे का कितना मूल्य बताया है ; और

(ग) रूस द्वारा सुझाये गए मूल्य में और इसमें कितना अन्तर है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : बातचीत चल रही है ।

### Exporting Firms

**2806. Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Foreign and Supply be pleased to state :

(a) the names of those 22 countries to which goods worth nearly Rs. 50 crores would be exported by the Indian firms of Madras and Bombay and the details thereof;

(b) how far Government hop to step up exports of Indian goods ; and

(c) the nature of fresh measures being adopted by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign trade and supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) It is not possible to furnish this information since export targets are fixed according to groups of major Industries and not for individual firms according to their locations or otherwise or for particular countries.

(b) and (c) : All efforts are being made to increase our exports to the maximum extent possible. The following steps are being taken in this direction :-

(1) Negotiation of trade agreements/arrangements;

(2) Participation in Trade Fairs and Exhibitions;

(3) Deputation of Study and Sales Terms ;

(4) Conducting of market surveys in foreign countries ;

(5) Facilitating the setting up of industries abroad by the Indian Entrepreneurs;

(6) Exchange of Trade Delegations and discussions ;

(7) Setting up Commercial Missions of the Government of India abroad.

### भारत जापान विचार विमर्श बैठक

2807. श्री देवकी नंदन पाटोदिया : श्री प्र० नं० सोलंकी :
श्री वाल्मीकि चौधरी : श्री दा० रा० परमार :
श्री अदिचन : श्री ओंकारलाल बेरवा ;
श्री महन्त दिग्विजय नाथ : श्री किंकर सिंह :
श्री देवेन सेन :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जापान के बीच चौथी विचार विमर्श बैठक हाल में हुई थी ;

(ख) : यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार हुआ : और

(ग) : इस संबंध में क्या निर्णय किये गये ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क)** जी हां, 3 से 5 फरवरी, 1969 तक।

(ख) भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंध, एशिया की वर्तमान स्थिति, संयुक्त राष्ट्र के मसले और दोनों देशों के हित के अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न।

(ग) ये परामर्शदायी बैठकें विचार विनिमय करने और एक दूसरे के दृष्टि कोण को समझने के लिए होती है।

### अफ्रीकी देशों से निकाले गये भारतीय लोगों को स्वीकार करने के इच्छुक देश

2808. श्री देवकी नंदन पाटोदिया :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के कुछ देशों ने अफ्रीकी देशों से संभवतः निकाले जाने वाले भारतीय लोगों को अपने यहां बसाने की इच्छा प्रकट की है ?

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और उन्होंने क्या प्रस्ताव किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर उन देशों के साथ बातचीत की है और यदि हां, तो विभिन्न देशों में अनुमानतः कितने भारतीयों के बसने की संभावना है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) अभी तक किसी भी राज्य से विशेषकर भारतीय मूल के ऐसे लोगों के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है जिनके कतिपय अफ्रीकी देशों से निकाले जाने की संभावना है। जो भी हो, आप्रवासियों को अभी भी विभिन्न देशों में उनकी अपनी अपनी सरकारों द्वारा निर्धारित भिन्न-भिन्न शर्तों के अनुसार प्रवेश करने दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## पाकिस्तान के साथ चलचित्रों का आदान-प्रदान

**2809. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमती तारा सप्रे ;**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री विभूति मिश्र :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलचित्रों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में जो इस समय बन्द हैं, पुनः बातचीत आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस मामले में कुछ आधार तैयार कर लिया है और अनुकूल प्रतिक्रिया अनुभव की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो चलचित्रों का आदान-प्रदान कब आरम्भ होगा और इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, नहीं। सरकारी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई।

(ख) तथा (ग) प्रेस में प्रकाशित समाचारों के अनुसार इन्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भारत-पाक फिल्म व्यापार वार्ता पुनः आरम्भ करने के लिये पाकिस्तान फिल्म प्राडयूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा है। इस बात के बावजूद कि भारत ने पाकिस्तान को निर्यातों और वहां से आयातों पर से एक पक्षीय रूप मे प्रतिबन्ध हटा लिया है, तथापि दोनों देशों के बीच व्यापार का आदान-प्रदान आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर से प्रतिबन्धों के हटाने की जवाबी कार्यवाही नहीं की है।

## मैंगनीज अयस्क का निर्यात

**2810. श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मंडल को, जो हाल में पश्चिम यूरोपीय देशों में गया था, मैंगनीज अयस्त के निर्यात के सम्बन्ध में कोई नये क्रयादेश प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस पर वर्तमान निर्यात शुल्क हमारे नियति अभियान में बाधक सिद्ध हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तों क्या निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यात शुल्क में कमी करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 1969 में पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात के लिये विभिन्न ग्रेडों के 1.41 लाख मे० टन मैंगनीज अयस्क के क्रया देश प्राप्त किये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2811. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मैंगनीज अयस्क का परिष्करण करके अपने मैंगनीज अयस्क के निर्यात की मात्रा बढ़ा सकता है ;

(ख) विदेशी संयंत्र प्रणालियों के अध्ययन तथा उन्हें प्राप्त करने के क्या प्रयत्न किये गये है ; और

(ग) क्या निर्यात के लिये स्वीकार्य प्रतिशत वाला बनाने के लिये उनमें फासफोरस कम करने के हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अयस्क को मिलाया जा रहा है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) यह जरुरी नहीं है ।

(ख) खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति की एक उप समिति, जिसने सोवियत संघ, ब्राजील क्यूबा, सं० रा० अमरीका, गाबोन आदि द्वारा अपनाई गई परिष्करण प्रणालियों का अध्ययन किया है, की यह राय है कि भारतीय अयस्क अधिक जटिल हैं और इनके लिये इन देशों द्वारा अपनाई गई तकनीकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत परिष्करण तकनीकें अपेक्षित है ।

(ग) जी, हां। विभिन्न क्षेत्रों से अधिक तथा कम फासफोरस वाले मैंगनीज अयस्क को विदेशी खरीदारों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्यात से पूर्व समुचित रूप से संमिश्रित किया जाता है।

**मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड**

2812. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड को हाल में श्रीलंका सरकार से 38 लाख रुपये के मूल्य की 9 मट्टी हटाने वाली मशीनों की सप्लाई करने का आर्डर मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न देशों में अपने दूतावासों और उच्च आयोगों से सम्बद्ध वाणिज्यिक दूतो द्वारा अन्य विकासशील देशों को भारत में निर्मित ऐसी इंजीनियरिंग वस्तुएं बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में उनके प्रयत्नों से कितने निर्यात आदेश प्राप्त हुए ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, हां। मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव आफ इंडिया को श्रीलंका से टाटा पी० एण्ड एच० रोलर क्रेन सह साधनों तथा पुर्जों के 9 एकको, जिन का मूल्य 37.58 लाख रु० है, के लिये एक क्रयादेश मिला है।

(ख) तथा (ग) : विदेशों में स्थित भारत सरकार के वाणिज्यिक । व्यापार प्रतिनिधियों को भारत की विकासशील निर्यात क्षमताओं के बारे में अवगत रखा जाता है। ये प्रतिनिधि क्रियादेश प्राप्त करने में, विशेषत: जब कि आयातक कोई सरकार हो, काफी प्रयत्न करते हैं तथा प्रभाव डालते हैं। परन्तु इन प्रतिनिधियों के अनन्य प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त क्रयादेशों के मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

**पाकिस्तान में भारतीय संपत्ति**

2813. **श्री एस० आर० दामानी :**
**श्री बलराज मधोक :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय सम्पत्ति को नीलाम किये जाने के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय इस विषय में सरकार का क्या विचार है ;

(ग) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच उसके बाद हुई किसी बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या सरकार यह विचार करेगी कि वह पाकिस्तान की देय राशि का भुगतान तब तक के लिये रोक ले जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, और यदि नहीं, तो कारण क्या है ;

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिह) : (क) और (ख) : समुचित विचार करने के बाद, सरकार का बराबर यही ख्याल है कि 1965 की लड़ाई के कारण दोनों देशों द्वारा ली गई सम्पत्ति और परिसम्पत्ति के समूचे प्रश्न को ताशकन्द घोषणा की व्यवस्था के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तौर पर हल किया जाना चाहिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

### पोलैण्ड से यूरिया और गन्धक के आयात के बारे में करार

2814. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री न० कु० सांघी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : श्री रा० रा० सिह देव :

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वार्सी की फर्म के साथ 10 करोड़ रुपये के मूल्य की यूरिया और गंधक सप्लाई करने का करार किया है ;

(ख) क्या उक्त करार को विश्व टेंडर के परिणाम स्वरूप अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और यदि हां, तो विभिन्न फर्मों ने क्या-क्या दरें बतायी हैं ; और

(ग) भारत को जो अन्य देश पहले ही माल सप्लाई कर रहे हैं उनकी तुलना में ये वर्तमान दरें कैसी हैं ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। करारों को बातचीत द्वारा अन्तिम रूप दिया गया।

(ग) दोनों मदों के मूल्य उन अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हैं जो पहले ही भारत को इन वस्तुओं का संभरण कर रहे हैं।

### Imports by S. T. C.

2815. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Foreign Trade any Supply be pleased to state :

(a) whether Government propose to assign totally to the State Trading Corporation the work of importing goods from abroad in the near future ;

(b) if so, the reasons therefore ; and

(c) the nature of additional facilities likely to accrue to the Indian traders importing goods from abroad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c) : Government are currently engaged in the annual exercise of formulating the import policy for the succeeding year, namely, 1st April, 1969 to 31st March, 1970. In this context some suggestions for increasing progressively the share of State agencies in the import trade are being examined. Decisions on these suggestions will be made based on our assessment of advantages that would in consequence accrue to the country's economy.

### ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग

2816. श्री बलराज मधोक : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रकार की शिकायतें लगातार आ रही है कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों का रवैया भारतीय नागरिकों के प्रति बड़ा अनुचित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चायोग के कुछ कर्मचारियों के विचार चीन समर्थक है और वे ब्रिटेन में चीन तथा चीन समर्थक तत्वों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते है ; और

(ग) यदि हां, तो लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्य का सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पहले कुछ शिकायतें आई थीं, किन्तु इनमें कोई आधार नहीं पाया गया ।

(ख) जी नहीं । इस प्रकार का कोई मामला सरकार की जानकरी में नहीं आया ।

(ग) किसी भी खास शिकायत पर ध्यान दिया जाता है और उस पर उचित कार्रवाई की जाती है ।

### प्रतिरक्षा सेवाओं में कार्यकारी दल

2817. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं में कार्यकारी दल बनाये जाने की प्रथा प्रचलित है ;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्यकारी दलों में बहुत से जवान निरन्तर कार्य करते रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या एक सरकार का विचार ऐसे कार्यकारी दलों को कम करने का है जिससे वे जवानों के प्रशिक्षण में हस्तक्षेप न करें ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : विशेष अवसरों पर जैसे कि निरीक्षणों, परेड़ों और ऐसे अवसरों के लिए कि जिनमें सैनिक स्टोर और साजसामान का इस्तेमाल आवश्यक हो काम करने वाले दलों का प्रयोग सेवाओं में पारम्परिक है, परन्तु अन्तग्रस्त संख्याएं कम से कम रखी जाती है, और काम करने वाले दलों को जवानों के प्रशिक्षण में बाधा नहीं बनने दिया जाता ।

## प्रादेशिक सेना के लिए केन्द्रीय मन्त्रणा संस्था

2818. श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक सेना के लिये एक केन्द्रीय मन्त्रणा संस्था बनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में कितनी बैठकें हुई हैं ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम वार, जनवरी, 1969 में संगठित प्रादेशिक सेना के लिए सलाहकार समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के नाम है:—

**अध्यक्ष**

रक्षा मन्त्री

**सरकारी सदस्य**

रक्षा उत्पादन मन्त्री

उपमन्त्री

रक्षा सचिव

सेनाध्यक्ष

वित्तीय सलाहकार, वित्त मन्त्रालय (रक्षा)

सचिव, गृह मन्त्रालय

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड

सचिव संचार विभाग

सचिव परिवहन विभाग

सचिव स्वास्थ्य विभाग

संयुक्त सचिव (जी) रक्षा मन्त्रालय

**गैर सरकारी सदस्य**

श्री जी० एस० ढ़िल्लो, संसद सदस्य

श्री यज्ञ दत्त शर्मा, संसद सदस्य

श्री कुशल बाकूला, संसद सदस्य

श्री हेम राज, संसद सदस्य

ले० कर्नल एच० ए० महाराजा मानवेन्द्र शाह, टीहरी गढ़वाल, संसद सदस्य

श्री जे० के० चौधरी, संसद सदस्य

श्री आर० एस० पंचहजारी, संसद सदस्य

श्री राम निवास मिर्धा, संसद सदस्य
श्री चित्त बसु, संसद सदस्य
श्री मेल्हू परा वेरो, संसद सदस्य
मेजर रणजीत सिंह, संसद सदस्य
श्री अनिरुद्ध दीप, संसद सदस्य
व्यापार और उद्योग संघ के भारतीय चेम्बरों के अध्यक्ष
भारत के वाणिज्य तथा उद्योग संयुक्त
चम्बरों के अध्यक्ष
संगठन सचिव, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस
एच० एच० महाराजा यादवेन्द्र सिंह, पटियाला
श्री मिहिर सेन
आनरेरी ले० कर्नल चौ० राघवेन्द्र सिंह
आनरेरी ले० कर्नल वी० आर० मोहन
डा० एस० एम० पटेल
ले० जनरल एस० डी० वर्मा, (सेवानिवृत)
मे० जनरल डी० प्रेम चन्द, (सेवानिवृत्त)
कर्नल बी० एन० खन्ना, (सेवानिवृत्त)

**सचिव**

डाइरेक्टर प्रादेशिक सेना ।

(ग) एक भी नहीं ।

**Entry of Non-Pass Holders in Republic Day Parade Inclosures**

**2819. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of persons not having any invitation cards entered those enclosures which were reserved for pass holders only, to witness Republic Day Parade this year;

(b) if so, whether ushers and police officials on duty were involved in this; and

(c) the steps being taken by Government to look into this incident ?

**The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh ) : (a) to (c) :** Despite all precautions, a number of persons do enter seated enclosures at Rajpath without invitation cards or admit cards. No specific case of police personnel or ushers having assisted unauthorised persons to gain entry into the seated enclosures has come to notice. However, it is proposed to further strengthen the arrangements for checking entry of perons into seated enclosures from next year.

**प्रशासनिय कर्मचारी कालेज, हैदराबाद द्वारा भारतीय पटसन वस्तु बाजार सर्वेक्षण**

2820. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ती मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद से भारतीय पटसन वस्तुओं का विश्व व्यापी बाजार सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को इस विशेष संस्था को सौंपने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसा सर्वेक्षण सरकारी तथा भारतीय पटसन मिल्स संस्था की एजेंसियों द्वारा एक से अधिक बार नहीं किया जा चुका है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ती मंत्रालय में उप मंत्री ( चौधरी राम सेवक ) :** (क) तथा (ख) : संयुक्त राज्य अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कुछ वस्तु सर्वेक्षणों का, निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में उसके तकनीकी सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, वित्त पोषण कर रहा है । अभिकरण ने सरकार के अनुमोदन से प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद को पटसन वस्तुओं के वस्तु सर्वेक्षण का कार्य इसलिये सौंपा है कि उन्हें आवश्यक गवेषणा का अनुभव है और उनमें प्रभावी तथा सोद्देश्य ढंग से सर्वेक्षण करने की क्षमता है ।

(ग) प्रशासनिक कर्मचारी कालेज द्वारा किया जा रहा इस प्रकार का व्यापक सर्वेक्षण हाल में पहले नहीं किया गया है ।

**भारतीय निर्यात तथा आयात के सम्बन्ध में भारतीय मिशनों के अध्ययन प्रतिवेदन**

2821. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ती मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशन हमारे निर्यात तथा आयात की आर्थिक सम्भावनाओं का अध्ययन करके अपना प्रतिवेदन भेजते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता को उनके प्रतिवेदन उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ती मंत्रालय में उप मंत्री ( चौधरी राम सेवक ) :** (क) तथा (ख) : जी, हां । विदेशों में स्थित हमारे मिशनों द्वारा विदेशों में उपलब्ध प्रमुख आर्थिक तथा वाणिज्यिक अवसरों के विषय में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन प्रायः वाणिज्यिक बुलिटनों, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित किये जाते हैं, जिन्हें वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महा–निदेशालय, सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदें तथा वस्तु बोर्ड प्रकाशित करते हैं और जो जनता को उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

### ईरान में इस्पात मिल स्थापित करना

2822. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ईरान में एक इस्पात मिल स्थापित करने के लिये सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( चौधरी राम सेवक ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### नागाओं के पास चीन के हथियार

2823, श्री सीताराम केसरी : श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री बलराज मधोक : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री रणजीत सिंह :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जनवरी में मोकोकचुंग जिले में छिपे हुए नागाओं के कैम्पों से चीन में निर्मित हथियार पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि नागाओं ने चीन तथा अन्य देशों से किस प्रकार हथियार प्राप्त किये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री ( श्री दिनेश सिंह ) : (क) से (ग) : नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में 14 जनवरी, 1969 को छिपे नागाओं और सुरक्षा सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें सात उपद्रवी पकड़े गए और एक मारा गया । कुछ हथियार और गोला बारुद बरामद हुए थे किन्तु उनमें किसी पर चीन में बने होने का निशान नहीं था ।

(घ) भारत सरकार को यह मालूम है कि छिपे नागा अपने गिरोहों को चीन और पाकिस्तान भेजकर उनसे हथियार लेने के प्रयत्नशील हैं और उसे रोकने के लिए वह आवश्यक कदम उठा रही है ।

### हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में प्रदर्शन

2824. श्री रवि राय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में अधिक रोजगार देने की मांग करने के लिये स्थानीय लोगों की एक भीड़ ने 2 जनवरी, 1969 को प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) मुख्य मंत्री उड़ीसा द्वारा कोरापुट डिवीजन से पहले इंजन के वितरण पर 2 जनवरी, 1969 को एक प्रदर्शन किया गया था। उस समय गए एक पम्फलेट में दी गई शिकायतों में से एक मांग थी स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में।

(ख) सरकार ने मामले का निरीक्षण किया है। कोरापुट में भर्ती कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार की जा रही है।

### गणतन्त्र दिवस परेड 1969

**2825. श्री रवि राय :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री निहाल सिंह :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गणतन्त्र दिवस परेड समारोह तथा समापन समारोह (बीटिंग दी रिट्रीट) पर निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी धन राशि खर्च की गई :

(एक) उपर्युक्त परेड में भाग लेने के लिये दिल्ली में लाये गये अधिकारियों के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते पर;

(दो) सांस्कृतिक मण्डलियों पर किये गये खर्च पर;

(तीन) रोशनी पर;

(चार) परेड की व्यवस्था पर; और

(पांच) अन्य विविध खर्चों पर ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** गणतन्त्र दिवस समारोह 1969 के हिसाब किताब अभी सम्पूर्ण नहीं हुए। हिसाब किताब सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात् सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

### 29 जनवरी, 1969 को प्रधान मंत्री के निजी कर्मचारियों का संसद सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार

**2826. श्री मीठालाल मीना :**
**श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
**श्री प्र० क० देव :**
**श्री माड्डिलिंगन गौड :**
**श्री कृ० प्र० सिंह देव :**
**श्री कृ० मा० कौशिक :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया में हाल ही की घटनाओं और बुलगारिया के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में, जिसमें उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप को उचित बताया था, 25 जनवरी, 1969 को बहुत से संसद् सदस्य एक जलूस बना कर प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देने के लिये उनके निवास स्थान पर गये थे;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के सचिवालय के निजी कर्मचारियों ने उनके साथ समुचित शिष्टाचार नहीं दिखाया था;

(ग) क्या संसद् सदस्यों ने इस सम्बन्ध में रोष-पत्र भेजा है; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री को इस घटना की जानकारी है; और यदि हां तो संसद् सदस्यों के साथ अपमानजनक व्यवहार किये जाने के लिये जिम्मेदार निजी तथा सुरक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।**

(ख) से (घ) : कुछ सदस्यों ने ऐसी शिकायत की थी । ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों को कुछ गलत-फहमी हुई कि जब वे आये, प्रधान मंत्री अपने निवास-स्थान पर मौजूद थीं, फिर भी जो अधिकारी माननीय सदस्यों से मिले, उन्होंने जानबूझ कर उन्हें यह गलत सूचना दी कि प्रधान मंत्री बाहर गई हुई हैं । वास्तविकता यह है कि जब माननीय सदस्य पधारे, प्रधान मंत्री अपने निवास-स्थान पर उपस्थित नहीं थीं । वे उस समय गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में, एन० सी० सी० कैडेट्स के स्वागतार्थ हैदराबाद हाऊस में आयोजित एक वार्षिक समारोह में भाग ले रही थीं ।

जब कभी भी माननीय सदस्य प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, वे उनसे मिलने के लिये हर समय तैयार रहती हैं और पारस्परिक सुविधानुसार मिलने का समय निश्चत किया जाता है । इस उपरोक्त अवसर पर प्रधान मंत्री को माननीय सदस्यों के आने की सूचना पहले से नहीं थीं, अन्यथा माननीय सदस्यों को प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में आने का कष्ट न करना पड़ता ।

प्रधान मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट रूप से स्थायी आदेश दे रखा है कि जब कभी माननीय सदस्य उनसे मिलने के लिये आयें, उन्हें समुचित शिष्टाचार तथा अधिकाधीक विनम्रता दिखाई जाय । पूछ ताछ से विदित हुआ है कि प्रधान मंत्री के निजी सहायकों ने जो उस समय उपस्थित थे, माननीय सदस्यों से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करने की पूरी कोशिश की ।

प्रधान मंत्री को इस बात का खेद है कि माननीय सदस्यों को ऐसी गलत फहमी हुई और उनके मन ऐसी धारणा बनी कि उनसे समुचित शिष्टाचार का व्यवहार नहीं किया गया ।

### गणतन्त्र दिवस परेड के लिए पास

**2827. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोहों के सम्बन्ध में कितने और किन किन संसद् सदस्यों को उनके अतिथियों के लिये दस से अधिक पास दिये गये थे;

(ख) इस वर्ष हुए गणतन्त्र दिवस समारोहों के सम्बध में कितने और किन-किन मंत्रियों को उनके निजी कर्मचारियों को दिये गये पासों को मिलाकर बीस अथवा दस से अधिक पास दिये गये थे;

(ग) कितने और किन किन संसत्सदस्यों ने अपने अतिथियों के लिये दस अथवा इस से अधिक पासों के लिये आवेदन पत्र दिये थे परन्तु उनकी अपेक्षित उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई थी और उसके स्थान पर पूर्वाभ्यास वाले दिन के लिये उन्हें कुछ पास दे दिये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो अगर कोई भेदभाव हुआ है तो उसके क्या कारण हैं तथा उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे समारोहों के लिये आमन्त्रित व्यक्तियों की सूची का नियमित रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री ( श्री स्वर्ण सिंह )** : (क) से (ग) : लगभग 590 संसद सदस्यों ने अपने सम्बन्धियों, अतिथियों आदि के लिए 1969 गणतन्त्र दिवस परेड देखने के लिए लगभग 6,800 सीटों के लिए निमंत्रण पत्र जारी करने के लिए कहा था, उनमें से लगभग 4,700 सीटों के लिए ही निमन्त्रण पत्र जारी किए गए। केन्द्रीय मत्रियों ने 10,400 सीटों के लिए निमन्त्रण पत्र जारी करने के लिए कहा था, जब कि उनके लिए लगभग 7,500 सीटों के लिए ही निमन्त्रण पत्र जारी किए गए। निमन्त्रण पत्रों के अतिरिक्त पदाधिकारियों के अतिथियों सम्बन्धियों आदि के लिए 24 जनवरी 1969 को आयोजित परेड का पूर्ण पूर्वाभ्यास देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र जारी किए गए। क्यों कि बैठने की सीमित सीटों के कारण 26 जनवरी, 1969 को गणतन्त्र दिवस परेड देखने के लिए अधिक संख्या में निमंत्रण पत्र जारी करना सम्भव नहीं था। जहां तक मंत्रियों से प्राप्त इस हेतु प्रार्थना पत्रों का प्रश्न है उन्होंने केवल अपने सम्बन्धियों और अतिथियों के लिए ही नहीं लिखा था अपितु ऐसे व्यक्तियों के लिए भी लिखा था जिन्होंने कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के रूप में निमन्त्रण पत्रों के लिए उन तक पहुंच की थी। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन के लिए कि निमन्त्रण पत्र तब भी जारी कर दिए जा सकते थे अगर वे सीधे रक्षा मंत्रालय को इसके लिए लिखते।

अपेक्षित प्रस्तुत सूचना को इकटेठा करने में काफी समय और श्रम लग जाएगा, जो कि उससे निकलने वाले परिणामों के अनुरूप न होगा।

(घ) प्रत्येक मामले में उनके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और यद्यपि सभी मामलों को यथा शीघ्र बहुत कम समय में निपटाना होता है फिर भी सभी मामलों को बिना किसी भेदभाव के निपटाने का पूरा प्रयास किया जाता है। गणतन्त्र दिवस परेड समारोह से सम्बन्धित सारी प्रबन्ध व्यवस्था का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उसमें सुधार किया जाता है।

### परमाणु बिजली घरों की स्थापना

2828. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन और परमाणु बिजली घर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका मोटा ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बीजली घर की स्थापना की सम्भावना है ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) इस समय तीन परमाणु बिजलीघर स्थापित किये जा रहे हैं। और परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) : अभी यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### Occupation of Mujari Vari and Lotahmari by Pakistan

2829. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has occupied Mujari Vari and Lotahmari, having an area of about six square miles;

(b) whether it is also a fact that as a result of this illegal occupation about 200 Indian families have been displaced; and

(c) if so, the action taken by Government to get this illegal occupation vacated and the action proposed to be taken to check the recurrence of such incidents ?

**The Minister of External Affairs (Shri Dinesh Singh) :** (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

### Release of Shri Mascarenhas Imprisoned in Portugal

2831. **Shri Shashi Bhushan :**
**Shri Mahant Digvijai Nath :**
**Shri D. N. Patodia :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to secure the release of Shri Mascarenhas, a veteran freedom-fighter of Goa, who is undergoing imprifonment for the last fourteen years in a Portuguese jail in Lisbon; and

(b) whether Government propose to seek the good offices of Vatican Embassy to secure the release of Shri Mascarenhas ?

The Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) : The House has been kept informed of the efforts made by the Government of India for the release of Dr. Mascarenhas along with that of Shri Ranade through various friendly and diplomatic channels. The efforts to secure release of Shri Ranade have succeeded and he was released from the Portuguese jail on 25th January, 1969. The Government of India will continue making all efforts, including through the good offices of the Apostolic Internucio in New Delhi, for the release of Dr. Mascarenhas as well.

### रेल के डिब्बों का निर्यात

2832. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में निर्मित रेल के डिब्बों को सप्लाई करने के लिये विश्व की मंडियों में प्रवेश करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री ( चौधरी राम सेवक )** : (क) तथा (ख) : रेल के माल डिब्बों का निर्यात विभिन्न निर्यातक एककों द्वारा किया जाता है जो पहले ही विश्व बाजार में प्रवेश कर चुके हैं, सरकार के इस निर्यात बाजार में प्रवेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत कुछ वर्षों में अर्थात् वर्ष 1965-66 से जनवरी, 1967 तक 10 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के रेल के माल डिब्बों तथा पुर्जों का निर्यात हुआ और भारी मूल्य के क्रयादेशों की आपूर्ती करने के लिये आजकल काम चल रहा है।

### मनीपुर में कताई मिल

2833. **श्री मेघ चन्द** : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 4 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में एक कताई मिल खोलने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कपड़े और धागे के उत्पादन तथा बिक्री में असन्तुलन को देखते हुए और कताई मिलों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा रही है।

### मोटर परिवहन कर और सड़कों पर परिव्यय

2834. श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मैसूर परिवहन परिषद् की स्थाई समिति के निष्कर्षों और 30 जनवरी के इंडियन ऐक्सप्रेस में सम्पादकीय टिप्पणी को देखा है;

(ख) करों से प्राप्त राजस्व, जो 134 करोड़ रु० से बढ़कर 431 करोड़ रु० हो गया है और उसी अवधि में व्यय 132 करोड़ से बढ़ कर केवल 156 करोड़ रु० हुआ है इस असमानता के बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या राज्य योजना को अन्तिम रूप देते समय इस असमानता पर विचार किया गया था और यदि हां, तो सड़कों के लिये नियतन में कितनी वृद्धि की गई थी ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी ) : (क) से (ग)** : सम्भवतः, परिवहन विकास परिषद् की सड़कों सम्बन्धी स्थायी समिति की बैठक की ओर संकेत किया गया है। सड़क परिवहन पर करों से प्राप्तियां सामान्य राजस्व का भाग है और योजनाओं में सड़कों के परिव्यय का सड़क परिवहन सम्बन्धी करों की प्राप्तियों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः सड़कों के लिए परिव्यय का निश्चय, समस्त साधनो की स्थिति तथा सड़कों तथा इसके विपरीत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के आवंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

### शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा पाकर निकलने वाले विद्यार्थी

2835. श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी योजना के लिए अपने प्रस्तावों में शिक्षा संस्थाओं से शिक्षा पाकर निकलने वाले विद्यार्थियों का अनुमान लगाया है;

(ख) चौथी योजना में रोजगार के अनुमानतः कितने अवसर उपलब्ध किये जायेंगे और उनकी तुलना में कितने शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध होंगे; और

(ग) यदि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपर्याप्त हैं तो क्या आयोग ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के साधन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन और काम का स्तर बढ़ा कर शहरी क्षेत्रों के बराबर लाने पर विचार किया है ?

**प्रधान मंत्री अणु शक्ति तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग)** : चौथी योजना के प्रस्तावों का अभी रूप निश्चत नहीं किया गया है, अतः अभी स्थिति को स्पष्ट बताना सम्भव नहीं है।

### अफ्रीका देशों के साथ व्यापार

2836. श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार बोर्ड की बैठक में उनके द्वारा दिये गये भाषण के सन्दर्भ में हमारी निर्मित वस्तुओं के कुल कितने प्रतिशत का निर्यात अफ्रीका को होता है और भविष्य में कितना प्रतिशत होने की सम्भावना है;

(ख) हमारे देश से निर्यात को गई इन वस्तुओं तथा विकसित होने वाले निर्यात मूल्यों में औसतन कितना अन्तर है;

(ग) क्या संयुक्त उपक्रमों की स्थापना से ऐसी सम्भावना है कि हमारा निर्यात व्यापार केवल फालतू पुर्जों तथा कल-पुर्जों के निर्यात तक ही सीमित रह जायेगा; और

(घ) केवल 25 लाख रुपये मूल्य का ही आयात करने के क्या कारण हैं जब कि 146 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस मंजूर किये गये थे ?

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1967-68 में भारत से अफ्रीका को 41.55 करोड़ रु० मूल्य का निर्मित माल (अर्थात सूती तथा पटसन का माल, धातु निर्मित माल, लोहा तथा इस्पात, मशीनें तथा परिवहन उपकरण, जूते, धुली हुई फिल्में तथा विविध निर्मित माल) निर्यात किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में भावी निर्यात संभावनाओं के ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) स्पष्ट है कि "निर्मित माल" की परिभाषा में अनेक प्रकार की वस्तुएं सन्निहित है और प्रत्येक श्रेणी में विशिष्टताओं तथा गुणों में और विभिन्नताएं हैं। अत: एक साभिप्राय मूल्य तुलना करना व्यवहारिक नहीं पाया गया।

(ग) बहुत से अन्य देश अफ्रीका मे संयुक्त उपक्रमों में सहयोग करने के लिये उत्सुक हैं। ऐसे संयुक्त उपक्रम स्थापित तो होंगे ही, चाहे हम भाग न भी लें। जहां भी हम भाग लेंगे, वहां ऐसा करना हमारी मशीनों तथा पूंजीगत माल का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से लाभप्रद रहेगा।

(घ) उद्योगपति, जिन्होंने कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में कारखानों की स्थापना में शुरू में काफी रुचि दिखाई थी और जिनको मशीनों के आयात के लिये कुल 1.46 करोड़ रु० के लाइसेंस दिये गये थे, इन लाइसेंसों का उपयोग करने में सक्रिय नहीं रहे। परन्तु उन्होंने, उनको जारी किये गये लाइसेंसों का उपयोग न करने के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

### कपड़ा मिलों में अप्रयुक्त क्षमता

2837. श्री लोबो प्रभु : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों में कितने प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त है;

(ख) 1967-68 में हथकरघों के उत्पादन में कितनी राशि की कमी हुई;

(ग) शक्ति चालित करघों के लिये कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये जायेंगे और क्या इससे कपड़ा मिलों और हाथकरघों में अप्रयुक्त क्षमता के बढ़ने की सम्भावना नहीं है;

(घ) सहकारी क्षेत्र में शक्ति चालित करघों की कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये जायेंगे और रियायती दर पर कुल कितना धन उपलब्ध किया जायेगा; और

(ङ) क्या उत्पादन और खपत के परिवर्तन ढांचे को देखते हुए सरकार अशोक मेहता समिति के सुझावों पर पुनः विचार करना ठीक नहीं समझती ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री ( चौधरी राम सेवक ) :** (क) से (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### Tickets for Witnessing Republic Day Parade

2838. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the proposal to issue tickets for witnessing Republic Day Parade is under consideration of Government ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh ) :** (a) and (b) : The question whether in future admission to the seating enclosures at Rajpath for the Republic Day parade should be regulated by priced tickets would be one of the proposals which would be examined in the reveiw of the Republic Day arrangements.

### भूमिगत नागा हरकारे की गिरफ्तारी

2839. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री बेणी शंकर शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा कमांडर मौन अंगामी को चीन में प्रशिक्षण पा रहे विद्रोहियों से एक संदेश देकर लौटते हुए एक भूमिगत नागा जनवरी, 1969 के आरम्भ में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो संदेश क्या था तथा जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री ( श्री दिनेश सिंह ) :** (क) सरकार ने इस बात का पता लगाया है, किन्तु प्रश्न में जो विशेष प्रकार की सूचना मांगी गई है उससे सरकार अवगत नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

### Export of Diamonds

2840. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) the quantity and value of diamonds exported to foreign countries since 1st January, 1962 ; and

(b) the value of the diamonds estimated to be exported during the year 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Choudhary Ram Sewak ) : (a) Exports of diamonds are recorded by value. A statement showing exports during the period January, 1962 to November 1968 is attached. [ Placed in Library. See No. LT-321/69 ]

(b) It is estimated that exports of diamonds during 1969-70 would be of the order of Rs. 40 crores.

### Sikkim House in Delhi

2841. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the indicator board outside the Sikkim House Project in Delhi where in "Kingdom of Sikkim" has been mentioned ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs ( Shri Dinesh Singh ) : (a) Yes, Sir.

(b) The use of the words "Kingdom of Sikkim" cannot by itself entail or form the basis for any change in the political or legal status of Sikkim: these continue to be governed by the treaty between India and Sikkim of 1950.

### Textile Reorganisation Committee

2842. Shri Ram Avtar Sharma :
Shri D. C. Sharma :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Sitaram Kesri :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri N. K. Somani :
Shri Ranjit Singh :
Shri Deven Sen :
Shri P. N. Solanki
Shri D. R. Parmar :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kikar Singh :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Ram Chandra J. Amin :
Shri Lobo Prabhu :

Will the Minister of Foreign Trade and Supply be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the report of the Textile Reorganisation Committee, appointed by the Gujarat State Government under the Chairmanship of Shri Manubhai Shah, wherein a recommendation has been made to amalgamate the Sick textile mills with those textile mills which are running efficiently :

(b) the other recommendations of the said Committee ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply ( Choudhary Ram Sewak ): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) The points mentioned in the two parts of the Report have been under consideration of the Government. Action has been taken where feasible in respect of Part I of the Report. As regards Part II, the question regarding merger of weak textile mills with stronger ones is still under consideration.

### मनीपुर में हवाई अड्डा

2843. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय में अप्रयुक्त तथा बेकार पड़े हुए हवाई अड्डों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री ( श्री स्वर्ण सिंह ) : (क) जी हां । मणिपुर के दो व्यक्त हवाई अड्डे आवश्यकताओं से फालतू घोषित किये गये हैं ।

(ख) इन हवाई अड्डों की भूमियों और संपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटारा किया जाएगा ।

### Payment of Gratuity to Defence Personnel

2844. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the defence personnel who were in the field during aggression by China and Pakistan and were retired in 1965-66 have also been paid gratuity ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to grant gratuity to them also ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to c) : No cases of non-payment of gratuity to eligible defence personnel who were retired in 1965-66 have been reported to Government.

### Increase in Pension of Ex-servicemen

2845. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1964 Government had declared a minimum increase of Rs. 7.50 in the pension for ex-servicemen ;

(b) whether increased pension has since been paid to the ex-servicemen ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence ( Shri Swaran Singh ) : (a) and (b) : Ad hoc increase on pension ( Service, Disability and Family/Dependants pensions including allowances for children ) ranging from Rs. 5.00 to Rs. 10.00 per mensem, as shown below, was sanctioned with effect from 1st October 1963:—

| Amount of pension | Rate of ad hoc increase in pension |
|---|---|
| Pension up to Rs. 30/-p. m. | Rs. 5.00 p. m. |
| Pension above Rs. 30-but not above Rs. 75/-p. m. | Rs. 7.50 p. m. |
| Pension above Rs. 75/-p. m. but not above Rs 200/-p. m. | Rs. 10.00 p. m. |
| Pension above Rs. 200/-p. m. | Such ad hoc increase as will bring the total pension to Rs. 210.00 p. m. |

The above sanction was extended to displaced military pensioners with effect from 1st September 1964 and to State Forces pensioners with effect from 1st October 1965. No complaint of non-payment has been received from the eligible pensioners.

(c) Does not arise.

### भारत-श्रीलंका समझौते का कार्यान्वयन

**2846. श्री वाल्मीकि चौधरी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा श्रीलंका में भारतवंशी राज्यविहीन व्यक्तियों के बारे में भारत-श्रीलंका समझौते को कार्यान्वित करने में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या श्रीलंका की सरकार का प्रयास इस समझौते को कार्यान्वित करने में धीमी रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्री दिनेश सिंह ) :** (क) से (ग) : 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत, दिसम्बर 1968 के अन्त तक, 30,000 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है और उस समय तक श्रीलंका सरकार ने 225 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की है। भारत सरकार के विपरीत, जिसे नागरिकता प्रदान करने का सांविधानिक अधिकार पहले से ही प्राप्त है, श्रीलंका सरकार को, 1964 करार के अन्तर्गत आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में नया कानून बनाना पड़ा। अतः पंजीकरण का काम शुरू करने में उनकी ओर से अपरिहार्य विलम्ब हुआ। फिर भी, श्रीलका सरकार ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत 20 व्यक्तियों पर, 12 व्यक्तियों को पंजीकृत करने का दायित्व शीघ्र ही पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

### सूती कपड़ा मिलों का सरकार द्वारा प्रबन्ध

**2847. श्री यशपाल सिंह :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में देश की कुछ कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक )** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1969 में अधिकार में ली जाने वाली मिलों के बारे में पूर्वानुमान लगाना और उनके नाम बताना कठिन है।

**•कालीकट में भारत इलैक्ट्रानिक फैक्टरी**

**2848. श्री ई० के० नायनार :**

**श्री जे० एच० पटेल :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट जिले ( केरल राज्य ) में माबूर के निकट पेरुवयल वंजायम क्षेत्र में भारत इलैक्ट्रानिक फैक्टरी का एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में नियुक्त जांच समिति ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और वहां पर कारखाना लगाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त स्थान की उपयुक्तता के बारे में कुछ सुझाव दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ल० ना० मिश्र ) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**वार्प निटिंग यूनिट में पूंजी विनियोजन**

**2849. श्री चित्ति बाबु :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार वार्प निटिंग मशीनों वाले एक वार्प निटिंग यूनिट के लिये मशीनें भूमि इमारत आदि सहित कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या ऐसे वार्प निटिंग यूनिट के पूंजी विनियोजन को देखते हुए सरकार इसको लघु क्षेत्र का अथवा बड़े पैमाने का संगठित औद्योगिक एकक समझती है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे वार्प निटिंग एकक की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने का है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री ( श्री राम सेवक ) :** (क) लगभग 7 से 8 लाख रुपये ।

(ख) चूंकि 4 वार्प निटिंग मशीनों वाले एकक में मशीनों पर पूंजीगत निवेश 7.5 लाख रुपये से कम होता है अतः ऐसे एकक को लघु पैमाने के औद्योगिक एकक के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1969 तथा विनियोग लेखे, डाक तथा तार, 1967-68

**उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1969 की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1967-68 के विनियोग लेखे, डाक तथा तार की एक प्रति ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 293/69]

### पटसन कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन पटसन कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 768 में प्रकाशित हुआ था । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 264/69]

**Shri Madhu Limaye** : Sir, I have written a letter to you.

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता है कि आपने मुझ को एक पत्र लिखा है । आप कपडा नीति तथा उसके अन्तर्गत आने वाली सब अनियमितताओं पर चर्चा करना चाहते हैं । इस समय केवल सभा पटल पर एक पत्र रखा गया है अतः इस समय चर्चा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सभा पटल पर पत्र रखे जाते समय चर्चा उठाने की अनुमति दी गई हो । यदि आप चर्चा उठाना चाहते हैं तो एक पृथक सूचना दीजिये, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

**Shri Madhu Limaye** : We have always been allowed in the past to speak on such an item. If you are not going to allow me to say something about the notification now then at what time you will allow me to do so ? If you kindly consult the past proceedings, it will be come to know that such permissions have been given in the past.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : महोदय मैं वर्ष 1957 से इस सभा का सदस्य हूँ । मुझे इस बात की जानकारी है कि सभा पटल पर पत्र रखते समय, यदि किसी पत्र के बारे में कोई विशेष आपत्ति हो तो उसे उठाने की अनुमति दी जाती है । अब तो हमने आपको लिखित रूप में पत्र भेजने आरम्भ कर दिये हैं, परन्तु पहले लिखित रूप में पत्र भेजे बिना ही यदि किसी विशेष मदद के बारे में कोई आपत्ति उठानी होती थी, तो उसकी अनुमति

दी जाती थी। जब कोई अनियमितता होती थी तो हम अध्यक्ष पीठ का ध्यान उसकी ओर दिलाते थे और यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता समझी जाती थी तो स्पष्टीकरण दिया जाता था। अब यदि आप हमें आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं देते हैं. तो यह हमारे उस अधिकार का हनन होगा, जो कि हमें इस देश में संसदीय प्रजातन्त्र की स्थापना के दिन से प्राप्त है।

**अध्यक्ष महोदय :** किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दी जाती रही है?

**श्री स० मो० बनर्जी :** नियम के अन्तर्गत अनुमति नहीं, अपितु ऐसी अनुमति सभा की परम्परा के अनुसार दी जाती रही है। आप इस बात की सभा के वरिष्ठतम सदस्य से पूछ कर पुष्टि कर सकते हैं।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा) : इस सभा में सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में चर्चा उठाने की कभी अनुमति नहीं दी गई है। यदि सभा पटल पर पत्र रखने में कोई विलम्ब होता है अथवा कोई अन्य बात होती है तो उसकी ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया जाता है और अध्यक्ष महोदय सम्बन्धित सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं।

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : परम्परा केवल यह है कि यदि इस सभा द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं तथा आदेशों इत्यादि को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होता है तो सभा का ध्यान उस विलम्ब की ओर दिलाया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनियमितताओं का उल्लेख भी किया जा सकता है।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : उदाहरण के तौर पर आज मंत्री महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, डाक तथा तार, 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखी है। मान लीजिये इस अनुच्छेद के अन्तर्गत इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं है तथा कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर यह कहता है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना गलत है, तो ऐसी स्थिति में जब तक आप माननीय सदस्य की बात नहीं सुनेंगे, तो अपना विनिर्णय कैसे देंगे। इसलिये भूतकाल में माननीय सदस्यों को ऐसी अनियमितताओं का उल्लेख करने की अनुमति दी जाती रही है, ताकि अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय दे सकें।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस सभा के काफी समय से सदस्य रहे हैं। मैं तो केवल गत दो वर्षों से ही इस सभा में हूं। परन्तु गत दो वर्षों में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता रहा है कि सभा पटल पर पत्र रखते समय केवल विलम्ब तथा अन्य तकनीकी आपत्तियों को उठाया जा सकता है। इस समय मामले के गुण तथा दोषों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

**Shri Madhu Limaye ;** Nearly twenty to twenty five notifications have been issued rgarding excise duty. The people are very much perturbed in this regard. I want to read out

few sentences from the "Economic Times". The paper says "contrary to the usual trade usage, a section of the cotton textile mills here have sought to retain with themselves the benefit of reduction in the excise levy in some case proposed by the Finance Minister." The prices should have come dorw after decreasing excise duty, but the prices are going up. I would request the Finance Minister to give an explanation in this regard while replying to the budget debate.

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को इस समय उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। बजट चर्चा के समय यदि कोई माननीय सदस्य इसका उल्लेख करते हैं, तो वह उत्तर दें सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे उसी प्रक्रिया का पालन करें, जिसका गत दो वर्षों से किया जाता रहा है।

**केन्द्रीय रेशम बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम तथा सूती कपड़ा (नियंत्रण) (छठा संशोधन) आदेश**

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक)** : मैं निम्न लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय रेशमबोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 11 जनवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 65 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 295/69]**

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सूती कपड़ा (नियंत्रण) (छठा संशोधन) आदेश, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1968 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4326 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 296/69]**

---

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 11 मार्च, 1966 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसके द्वारा न्यायालय अवमान विधेयक, 1968 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 69वें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया गया है।

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
## CONMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

**45वां प्रतिवेदन**

**श्री खाडिलकर** (खेड़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 45वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
## COMMITTEE ON PUBLIC UNDER TAKINGS

**26वां प्रतिवेदन**

**श्री गु० सि० ढिल्लों** (तरनतारन) : मैं फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड के ट्राम्बे यूनिट-लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्य) 1968 के सैक्शन दो में पैराग्राफों-के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 26वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

## संविधान (22वां संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (TWENTY SECOND AMENDMENT) BILL

**संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, साक्ष्य तथा ज्ञापन**

**श्री शांतिलाल शाह** (बम्बई-दक्षिण पश्चिम) : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति भी प्रस्तुत करता हूं।

मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति को प्राप्त ज्ञापनों/अभ्यावेदनों/तारों की प्रतियां भी प्रस्तुत करता हूं।

---

## नियम 377 के अन्तर्गत मामला
## MATTER UNDER RULE 377

**मंत्रालय बनाने के बारे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्य**

**Shri Atal Bibari Vajpayee** (Balrampur) : Mr. Speaker. Sir, after West Bengal, the constitution has now been flouted in Madhya Pradesh. The basic question is whether

the fate of Madhya Pradesh Government is to be decided by the Governor or by the members of the State Legislative Assembly. The Assembly was in session in Madhya Pradesh and there was no question of summoning a session of the Assembly. The ruling party in the State-the Samyukta Vidhayak Dal, elected a new leader. The S. V. D. had a comfortable majority in the legislative Assembly and the opposition-the congress had no courage for a trial of strength in the Assembly. But when after his election the new leader of the SVD went to see the Governor to apprise him of his election so that he should be invited to form Government, the Governer had gone to bed. The changes are effected in the Central Cabinet and the President is awaken from his sleep for administring the Oath of office. But the Governor did not rise from sleep. Next day, the Governor said that he wanted three days' time and mean while the Government could work as a care-taker Ghvernment. But there was no question of a Care taker Government. The Government was already there and it was merely a change of the leader. The Governor should have administerted the Oath of office to the new Chief Minister and if he had any doubt about his majority it should have been tested in the Assembly because the Assembly was in session. If the Congress had a majoirity in the Assembly, the SVD Government would have been voted out of power. But by saying that there could be a care taker Government, the Governor had given an opportunity to the Congress to wean away the SVD Member by bribing them or giving them other templations. So his action was wholly unconstitutional and in fact it virtually amounted to the murder of democracy.

I am very sorry to say that the Governor of Madhya Pradesh is not discharging his duties. He is ill and in fact it is not yet known whether he is really ill or his illness is merely a political illness. When the leader of the Congress party want to the Governor to hand over his representation, it was received by his wife as if she was deputising for the Governor. I do not know whether there is any provision in the constitution under which the wife of a Govarnor can act as a Governor during her husband's illness. Moreover, it is yet to be known whether the Governor is really ill or his illness is merely a diplomatic illness. The Stateman has expressed the opinion of the public in its editorial which says," Suspicions that Mr. Reddy's illness may be more political than physical are bound to be expressed, especially in view of the way-ward nature of politics in Madhya Pradesh. To delay the formation of the Ministry for three days and to keep the Constitutional machinery in the State in deep freeze for this period is undesirable in any case, whether it helps the congress party to wean any SVD Members or vice versa. If Mr. Ready's health does not permit him to function, some one else should be asked to act in his place." If the Governor is really ill. then it is the responsibility of the Centre to ask some one else to act in his place. But his wife connot be allowed to assume the powers of the Governor. So I would like to know from the Home Minister whether he had made any enquiry about the action of the Governor and whether keeping in view the illness of the Governor a new Governor would be appointed in his place. I would request the Home Minister to explain the position and.....(interruptions).

**Shri Madhu Limaye** (Monghry) : We have given notice or an adjournment motion, but you have not accepted that.

**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैंने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है ।

**श्री पं० वेंकटा सुब्बया** (नन्दयाल) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है । हमें इस पर अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Just now we have received a message that the Governor has prorogued the Assembly.

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी यह समाचार मिला है। अब मैं बोल रहा हूं। अतः किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। मुझे याद है कि पिछली बार जब विधान सभा स्थगित की गई थी तो यहां पर चर्चा की गई थी। इस बार भी चर्चा की जा सकती है। मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि विधान सभा का सत्रावसान कर दिया गया है।... (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye : Mr Speaker Sir, we should discuss the Madhya Pradesh issue only to-day. The democracy has been murdered there. (व्यवधान)

Shri Rabi Ray (puri) : If you cannot protect democracy, what is the use of having Lok Sabha ?

श्री कंवरलाल गुप्त : आप गृह कार्य मंत्री को इस्तीफा देने को कहें··· (व्यवधान)

श्री जे० बा० कृपलानी : कोई भी दल सत्तारूढ़ हो मेरे लिये कोई अन्तर नहीं है परन्तु उसे कुछ मर्यादाओं में रह कर कार्य करना चाहिये। मैं समझ नहीं पाया कि राज्यपाल कैसे तीन दिन तक बीमार हो गए। उन्हें नेता को आमंत्रित करना चाहिये था और नई सरकार बनाने के लिये कहना चाहिये था। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा का शीघ्र ही सत्र बुलाया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह एक बहुत गम्भीर विषय है। मेरा अनुरोध है कि सभा की सामान्य कार्यवाही पर चर्चा स्थगित करके इस विषय पर चर्चा की जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 340 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सभा के समक्ष कार्य को स्थगित कर दिया जाये। हम सुबह से स्थगन प्रस्ताव रख रहे हैं। राज्यपाल ने गलत कार्य किया है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल की धर्मपत्नि राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही है। राज्यपाल को अविलम्ब हटा दिया जाना चाहिये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मै एक कांग्रेसी सदस्य के रूप में बोल रहा हूं। मुझे विधान सभा का इस प्रकार सत्रावसान किये जाने पर खेद है। हमें देश में स्वतन्त्र संसदीय परम्पराओं को स्थापित करना है।

श्री गोविन्द नारायण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है और राजा नरेशचन्द्र सिंह नेता चुने गये हैं, तो उन्हें मंत्रि मंडल बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिये। बहुमत का निर्णय सभा में ही होना चाहिये। जैसाकि पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्णय किया गया है। मेरा भी यही अनुरोध है कि इस पर यहां चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बात को ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया है। गृह कार्य मंत्री बतायें कि क्या इसे अभी ले लिया जाए अथवा कुछ समय पश्चात् ?

**गृह कार्य मत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** मेरे पास जो तथ्य हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे सकता हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विषय में हमने कोई सलाह नहीं दी है और न ही कोई राय व्यक्त की है। यदि माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उससे हमारा मार्ग दर्शन ही होगा।

**श्री जी० भा० कृपलानी :** माननीय मंत्री स्वयं क्यों नहीं निर्णय करते ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस पर चार बजे चर्चा होगी। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दोनों पक्षों की एक ही राय है।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल गम्भीर रूप से बीमार हैं, अत: वह जानकारी नहीं दे पायेंगे ?

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** It is a very important matter. We should discuss this matter at 2 O' clock.

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। माननीय गृह मंत्री को अभी यहां इस बात का खण्डन करना चाहिये कि सभा का सत्रावसान कर दिया गया है। हमें दो बजे ही चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। चर्चा आरम्भ तो 2 बजे होगी परन्तु मंत्री महोदय अन्त में 6 बजे के लगभग उत्तर देंगे।

**इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.**

**लोक सभा मध्यान्ह भोजन के बाद 2 बजकर 8 मिनट पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha Reassembled after Lunch at eight minutes past Fourteen of the clock.**

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** ***in the Chair*** ]

---

## नियम 377 के अन्तर्गत मामला

### MATTER UNDER RULE 377

**मंत्रीमंडल बनाने के बारे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्य के बारे में प्रस्ताव**

**Shri Madhu Limaye (Monghyr) :** Sir, I seek your permission to move the following resolution :-

"That this House disapproves the unconstitutional act of the Governor of Madhya Pradesh in not inviting immediately the new leader of S. V. D. to form a Government which only very recently very recently had proved its majority on the floor of the Assembly."

Sir, first of all I want to make it clear that my this resolution has not corrected with the prorogation of assembly by the Governor. I want to congratulate Shri Venktasubhiah for his reflecting the feelings of 52 crore people of this country. I am happy that one man in congress party values democracy. The Home Minister has also said that he is in the hands of the House. If it is so, then they should not issue any party whip.

The happening of Madhya Pradesh are not new ones. It is just the repetition of history there. Many people are of the view that the role of Governor of M. P has been anti-democratic. Two years ago there was large scale defection from congress party and the Speaker of the Assembly did not allow voting there and adjourned the House. The next day the Governor prorogued the House. This matter was raised in Parliament as well and the Assembly was summoned. I know, I was there that the voting did not take place there Now again similar things have taken place. The S. V. D. was going to change its leader and the Raja of Saran-Garh was elected the leader. They wanted to meet the Governor and apprise him of the latest position but he refused to meet them saying that he was not well. Had be been ill, he should have gone on leave. The Chief Justice could act as Governor. The leader of majority party should be invited to form the Government. The test of majority of a party should take place on the floor of the House. The Governor should have invited the leader and given him an opportunity to prove his claim of majority. It was wrong on his part to prorogue the House.

The Governor has two important constitutionl functions. Firstly he has to discharge his functions according to the advice of the Council of Ministers of the State and secondly, in the event of failure of the constitutional machinery in the state, he is to send a report to this effect to the President. He cannot assume the dictatorial powers. If we do not check the Governor from doing every thing according to his own will without caring for the State Cabinet. or Centre's advice, it would be nothing short of giving dictatorial powers to the Governor, He did not prorogue the House on the Chief Minister's advice When the former Chief Minister alongwith the new S. V. D. leader Raja Sarangarh went to see the Governor, the Governor refused to talk to them on the pretext of illness and this caused delay in inviting the Raja of Sarangarh to form a new Cabinet.

I. therefore, want two assuraeces from the hon. Home Minister ; first, that the Raja of Sarangarh would be immediately invited to form the new Government ; and secondly, the Government would think about calling back the Governor. If the hon. Minister gives these two assurances, I am not going to prsss my motion.

**गृह-कार्य मंत्री (यशवन्तराव चव्हाण)** : प्रातः जब यह मामला उठाया गया तो उस समय मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं मिली थी। अब सच्चाई यह है कि राज्यपाल महोदय राजभवन में थे तथा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें कुछ ज्वर था। वहां पर मुख्य मंत्री आये तथा लिखित रूप से राज्यपाल को सत्रावसान करने की सलाह दी। मुख्य मंत्री की सलाह पर ही सत्रावसान हुआ है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने राजा नरेशचन्द्र सिंह को भी नई सरकार के गठन के बारे में बात-चीत करने हेतु आज तीन बजे मिलने का निमंत्रण दिया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The hon. Home Minister has given incomplate information. I too had a talk with the Deputy Chief Minister there who while confirming that House was prorogued on the advice of the Chief Minister, said that the Chief Minister had clearly told the Governor that the Caretaker Government was not in a position to face the Assembly and that the Raja of Sarangarh should have been invited to form the new Government ; but the Governor did not agree to this.

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे सामने दो तथ्य हैं। एक तो यह कि सत्रावसान मुख्य मंत्री की सलाह पर हुआ है तथा दूसरा यह कि राजा नरेश चन्द्र सिंह को राज्यपाल ने आज तीन बजे मिलने का निमंत्रण दिया है। अब विचारणीय विषय यह रह जाता है कि क्या अपदस्थ मुख्य मंत्री राज्यपाल को सत्रावसान करने की सलाह दे सकता है ? इस बारे में चर्चा के लिए मैं 5 बजे तक का समय देता हूँ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सब के महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सत्रावसान कर दिया गया है तथा यह एक गम्भीर बात है। यह सभा सारे देश में प्रजातंत्र की संरक्षक है अतः यह सभा इस गम्भीर स्थिति पर विचार करे।

**श्री चपला कांत भट्टाचार्य** (राजगंज): प्रस्त व में राज्यपाल के कार्य की निन्दा की गई हैं कि उन्होंने विपक्ष के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया। गृह कार्य मंत्री ने बताया है कि राज्य पाल ने उक्त नेता को आमंत्रित किया है। अतः गृह कार्य मत्री के इस वक्तव्य के बाद इस प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या कार्यवाहक सरकार के मुख्य मंत्री राज्यपाल को कोई सलाह दे सकते है। इसी कारण मैंने समय कम कर दिया हैं। इस बारे में कुछ संशोधन भी हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये : —

"और राज्यपाल को हटाने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है।"

**श्री क० लकप्पा** (तुमकुए) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"कि और राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाने की प्रार्थना करती।"

**श्री नाथ पाइ** (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये : —

"और राज्य विधान सभा का सत्रावसान तथा राष्ट्रपति से राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाने की सिफारिश करती है।"

**श्री जार्ज फरनेंडीज**°(बम्बई-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न-लिखित जोड़ा जाये :—

"और राज्यपाल को तुरन्त बरखास्त करने की राष्ट्रपति की सलाह देने के लिये मंत्रि परिषद से सिफारिश करती है।"

**श्री शिवचन्द्र** (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"और राज्यपाल को तुरन्त बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है।"

**श्री रंगा** (श्रीकाकुलम) : हमारे वर्तमान गृह–कार्य मंत्री राज्यपाल के पद को बदनाम तथा अश्रद्धेय बनाना चाहते हैं। वैसे तो पहले भी ऐसे झगड़े खड़े होते थे परन्तु क्योंकि मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल एक ही दल से सम्बन्धित होते थे अतः बात इस रूप में विचारार्थ नहीं आपाती थी। इसके अतिरिक्त पिछले प्रधान मंत्री तथा गृह–कार्य मंत्री स्वंय को प्रजातंत्र का सरक्षक गम्भीरता से समझते थे तथा यह प्रयत्न करते थे कि हमारे संविधान में निहित सभी उद्देश्यों की पूर्ति यथोचित ढंग से हो। परन्तु वर्तमान गृह–कार्य मंत्री में वह बात नहीं है।

सविधान के प्रति अश्रद्धा तथा राज्यपाल के पद की मर्यादा कम करने का कार्य वर्तमान गृह–कार्य मंत्री ने राजस्थान में पीछे हुई घटना से आरम्भ किया। और वही बात उन्होंने मध्य प्रदेश में भी पैदा की थी। उस समय भी इस सभा को उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था तथा उन्हें विवश होकर संयुक्त विधायक दल ही के नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देना पड़ा था। इस समय भी सभा का सत्रावसान किया गया था।

अब प्रश्न यह था कि त्यागपत्र देने वाले मुख्य मंत्री के क्या अधिकार रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में हम एक परम्परा का सम्पन्न करते आये हैं यद्यपि वह इगलैंड की देन है तथा आज तक उस को भी कई बार तोड़ा गया है जो कि श्री चव्हाण की कु-सलाह पर होता आया है। वास्तव में त्यागपत्र देने वाले मुख्य मंत्री को केवल यही बताने का अधिकार रह जाता है कि राज्यपाल किस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करे तथा शपथ ग्रहण कराये। राज्यपाल को यह जानकारी वह तथ्यों के आधार पर देगा तथा राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस सलाह को मानें, इसके अतिरिक्त उस मुख्य मंत्री को अन्य कोई सलाह देने का अधिकार नहीं रह जाता। वह केवल कार्यवाहक सरकार का नेता होता है। वह केवल औपचारिक रूप से कागजों पर हस्ताक्षर करता है। यहां गृह–कार्य मंत्री ने उनके द्वारा जानकारी दी है कि राज्यपाल को सभा का सत्रावसान करने की सलाह त्यागपत्र देने वाले मुख्य मंत्री ने दी थी। परन्तु राज्यपाल को ऐसी कोई सलाह मानने का बिलकुल अधिकार नहीं है। अतः जैसा कि मैंने कहा है कि राज्यपाल का यह कार्य अविद्वतापूर्ण तथा असंवैधानिक था। गृह-कार्य मंत्री इस बात से अस्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने राज्यपाल से सम्पर्क बनाये रखा है। सम्भव है कि संविधान में इसकी अनुमति न हो कि गृह–कार्य मंत्री किसी राज्यपाल से कोई सम्पर्क रखे परन्तु तथ्य यह है कि प्रायः गृह–कार्य मंत्री राज्य पाल से सम्पर्क रखते हैं। और यह भी सत्य है कि राज्यपाल भी गृह–कार्य मंत्री से सम्पर्क बनाये रखते हैं।

गृह–कार्य मंत्री को संविधान का सच्चा संरक्षक बनकर कार्य करना चाहिए । इस सम्बन्ध में उसे अपने दल के हितों को प्रधानता न देकर यह कार्य करना चाहिये जो कि वास्तव में एक गृह कार्य मंत्री से अपेक्षित है । यही तो कारण है कि प्रजातांत्रिक सरकार में गृह-कार्य मंत्री को एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है ।

परन्तु हमारे वर्तमान गृह--कार्य मंत्री उस स्तर तक नहीं उठ पाये हैं । वह अपने स्तर को निरन्तर घटाते जा रहे हैं । आज प्रातः की सूचना पाकर विपक्ष के सभी सदस्यों को बड़ा ही रोष तथा दुःख हुआ था । मैं सोच रहा था कि इस समाचार को सुनकर कांग्रेसी सदस्य क्या अनुभव करेंगे । क्या वे स्वयं अपनी आत्मा से विचार नहीं करेंगे । इस भावना को लेकर मैंने प्रातः के समय उनसे अपील की थी कि वे लोग इस अन्याय को अनुभव करें । उन में से एक व्यक्ति उठा भी था और भी कई उठते परन्तु वह चुप ही रहे यद्यपि उनके भाव तो स्पष्ट ही हो चुके थे, जैसा कि श्री वेंकटा सुब्बया ने प्रकट किया । वास्तव में हर संसद में यही भावना होनी चाहिये ।

परन्तु गृह-कार्य मंत्री अपनी इस भारी भूल को स्वीकार नहीं करते । मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत पसन्द करता हूं परन्तु जहां तक उनका गृह-मंत्री होने का सम्बन्ध है, वह सबसे बुरे हैं । अतः मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वह राज्यपालों के मामले में हस्तक्षेप न करें । माना कि राज्यपाल आपके साधन है, परन्तु आप उन साधनों का ठीक ढंग से उपयोग कीजिये वरना ये फिर मुड़कर आप और हम पर ही वार करेंगे ।

आज गृह-मंत्री ने राज्यपालों को भी चर्चा का विषय बना दिया है । ये राज्यपाल है क्या ? ये राज्यपाल वास्तव में इस शासक दल द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति हैं । यह बड़ी भयंकर बात है । किसी भी कांग्रेसी अथवा कांग्रेसी मंत्री को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए । श्री च० चु० देसाई ठीक कहते हैं तथा यह सच है कि देश में आज यह भावना जोर पकड़ती जा रही है कि कांग्रेसी राज्यपाल वास्तव में घास में छिपे विषधर हैं, जो कभी भी अवसर पाकर आप को डंक मार सकते हैं । कृपया देश में ऐसा वातावरण पैदा मत होने दीजिये अन्यथा लोग राज्यपाल के पद को भी स्वीकार नहीं करेंगे । कृपया यह भी ध्यान रखिये कि केवल कांग्रेस दल के ही लोगों को राज्यपाल न बनाया जाये ।

श्री के० सी० रेड्डी मेरे पुराने मित्र हैं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष में हम साथ थे । वह एक मुख्य मंत्री तथा श्रम–नेता भी रहे हैं तथा यहां मंत्रिमंडल के भी लम्बी अवधि तक सदस्य रहे हैं । मैंने सोचा था कि वह एक बहुत अच्छे राज्यपाल सिद्ध होंगे परन्तु मुझे दुःख है कि वह बिल्कुल असफल सिद्ध हुए । उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री, संयुक्त विधायक दल के चुने हुए नेता तथा राजमाता से मिलने से इन्कार कर दिया । यह उनकी अत्यन्त कमजोरी की मिसाल है । उन्होंने राज्यपाल के पद को अपमानित किया है और केन्द्रीय गृह-मंत्री के इशारों का पालन किया । यह अनर्थ की बात है । अतः भगवान के लिये राज्यपालों के साथ यथोचित व्यवहार करना सीखिये, उन्हें अत्यन्त माननीय तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में कार्य करने दीजिये तथा संविधानानुसार कार्य करने में उनकी सहायता कीजिये ।

**श्री पं० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : आज इस सभा के समक्ष संविधान सम्बन्धी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला विचाराधीन है जिसके द्वारा अपने देश में संसदीय प्रजातंत्र को बनाये रखने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी । अपराह्नकाल में जब यह मामला सभा में आया तो इस बारे में मैंने अपना तथा अपने दल की भावना को यहां व्यक्त किया । मैं गृह-मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह कहकर कि वह प्रत्येक कार्य में इस सभा द्वारा प्रदत्त मार्ग दर्शन का अनुसरण करते हैं, अपने पद की शान बढ़ाई है तथा इस सभा के सम्मान को और ऊंचा उठाया है । परन्तु कुछ सदस्यों ने गृह-कार्य मंत्री की जो टीका टिप्पणी की है उसका मुझे बेहद दुःख हुआ है । गृह-मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने राज्यपाल को कोई सलाह नहीं दी तथा राज्यपाल ने जो कुछ किया है अपनी इच्छा और वहां की परिस्थिति को देखकर किया है ।

यहां प्रश्न सभा के सत्रावसान का नहीं है, सत्रावसान करने के अधिकार के बारे में नहीं है और न ही इस बारे में है कि यह सलाह कार्यवाहक सरकार के मुख्य मंत्री ने दी थी । प्रश्न तो यह है कि क्या राज्यपाल द्वारा श्री गोविन्द नारायण सिंह के कहने पर राजा नरेशचन्द्र सिंह, जो कि संविद के नेता चुने गये थे, को शपथ दिलाने के लिये न बुलाना सवैधानिक है । यही प्रश्न है तथा मेरे खयाल से इसी पर ही धैर्य से विचार किया जाना चाहिए । आपने कहा है कि यहां हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कार्यवाहक मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल को सलाह दें । मैं तो यह समझता हूं कि कोई कार्यवाहक मुख्य मंत्री ही नहीं होना चाहिए । यही बात विचारणीय है । यहीं पर राज्यपाल के संवैधानिक औचित्य की बात आती है । राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उन्हें संविधान के अधीन कुछ कर्त्तव्य निभाने होते हैं । परन्तु विपक्षी सदस्यों ने तो उन बातों की भी कल्पना करनी है जो कि हुई ही नहीं हैं । अतः इस प्रकार का प्रस्ताव सभा में लाना उचित नहीं लगता जबकि यहां पहले ही से इस विषय पर विचार विमर्श चल रहा है । श्रीमान, जब आपने भी आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री पद छोड़ा था तो आपने भी राज्यपाल को सलाह दी थी कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को मुख्य मंत्री पद की शपथ दिलायें हालांकि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी दल के सदस्यों द्वारा नेता नहीं चुने गये थे । अतः मध्य प्रदेश के बारे में विचार करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है । साथ ही श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी तो मुख्य मंत्री बन गये परन्तु आप फिर भी कांग्रेस विधायक दल के नेता बने रहे । यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में संविधान के अनुसार कार्य किया ? मुझे दुःख है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल का यह कार्य उचित नहीं था । अन्य बातों के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं कोई संविधान-विशेषज्ञ अथवा कोई वकील नहीं हूं । मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि देश में संसदीय प्रजातंत्र बनाये रखने के लिये संविधान की रक्षा हेतु हमें दल-गत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए । यहां मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं । मैं विपक्ष से भी यही अपील करूंगा कि वे इस बात को समझें तथा उनके शासक-दल भी जो कुछ कर रहे हैं वे भी संविधान की धाराओं को ध्यान में रखकर करें । मैं चाहूँगा कि विपक्ष का भी कोई सदस्य यहां खड़े होकर खुले दिल से अपने दल के संविधान-विरोधी कृत्यों की आलोचना करें—मैं उन्हें बधाई दूंगा । हम सबका यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने देश के संसदीय-प्रजातंत्र की सदा रक्षा करें ।

**Shri Jagannath Rao Joshi** (Bhopal) : I rise here to support the motion introduced by Shri Madhu Limaye. Many a time we discussed the acts of Governors here and our Home Minister always declined to have given any advice to the Governors.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the chair]

No matter, whether the Governor is that of Rajasthan, Punjab or West Bengal; but I fail to understand how all of their actions always favour the Congress and not the Opposition.

The Governor's issue rose when that Governor in Rajasthan refused to recognise the majority of 92 members in a House of 184. on the plea that he was not prepared to count the independents among those 92; and he did not allow the opposition to form a Government in Rajasthan.

The hon Home Minister says that the Governor should accept the advice of the Chief Minister, but this was not done in Punjab when Shri Gurnam Singh advised the Governor to dissolve the Assembly, although he enjoyed the majority support. Similarly in Madhya Pradesh also, Shri G N. Singh's advice to administer Oath to Raja Naresh Chandra Singh should have been needed to promptly. My point is that the Governors do only what Congress likes. From the past experience, it is well proved that the congress party, which has been in power at the Centre, has been using the office of the Governors for satisfying the motives of their own party. It is very unfair.

There have been a number of occasions when the actions and conduct of Governors were discussed in several forums. The conference of the Speaker of Legislative Assemblies took quite a number of discussions in this regard and one of these dicisions said that the strength of the majority in the Assembly should not be decided in the Raj Bhavan. It should be tested on the floor of the Assembly. Section 160 of our Constitution is very clear about it that the Centre's advice should be taken on certain very specific issues. I want to know whether the hon. Minister has circulated the recommendation that the majority of a particular party should be ascertained only in the Assembly and not in the Raj Bhavan ? If so, why did the Governor of Madhya Pradesh act against this recommendation ?

Under Article 355 of the Constitution the Governor of State has to see whether the administration of the State is going on according to the Constitution. There is no provision for the impeachment of the Governor although it is there for the President-because the Governor is always the nominee of the Centre and works on its behalf.

Whenever the action of a Governor is questioned or discussed, the Home Minister would say that he had not advised the Governor and that the Governor had acted on his own. But here, inspite of the decision of the Presiding Officers' Conference, the M. P. Governor acted against the Constitution as well as these decisions. The question of having a Caretaker Government arises only when the session of the Legislative Assembly is not going on. If the S.V.D. changed its leader and the former leader introduced the leader to the Governor requesting him to invite the new leader to form Government, I do not think there should have been any need for a Care-taker Government. But the Governor prorogued the Assembly just to avoid administration of Oath to the new leader on the plea that he was studying the situation. It is not proper.

With a view to avoid such unpleasant happenings, there should be a Presidents' Council, consisting of Law Experts, former judges of the Supreme Court and eminent citizens, and while selecting a Governor for a State, the names of the proposed persons should be submitted to this Council. This Council can advise the President about promulgation of Presidents' rule and prorogation of Legislature Assemblies also.

Finally, I would like to point out that the Governor of Madhya Pradesh has acted against the Constitution two times and, therefore, he should be called back immediately. I fully support Mr. Madhu Limaye's motion.

**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रतनगिरि) : गृह-कार्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से स्थिति बदल गई तथा यहां चल रही चर्चा कुछ वास्तविक नहीं रह गई है।

सभी जानते हैं कि देश के प्रशासन का भार अन्ततः केन्द्र सरकार पर होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वेच्छा से कार्य करते हैं तथा अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये वे राष्ट्रपति के निदेशों के आधार पर कार्य करते हैं। जब किसी राज्य में वहां सरकार ठीक से कार्य नहीं करती है अथवा संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो राज्यपाल को स्वविवेक से कार्य करने के कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि उन्हें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं। हमारे संविधान में यह भी लिखा है कि राज्यपाल के कृत्य को चुनौती नहीं दी जा सकती। देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा के लिये अन्ततः केन्द्र सरकार ही उत्तरदायी है। अतः जब किसी राज्य में सरकारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है तो केन्द्र ही तो स्थिति को सम्भालता है।

हमें समाचार पत्रों से पता चला कि मध्य प्रदेश में कुछ सदस्य संयुक्त विधायक दल से अलग हो गये और इसी कारण वहां यह संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई। परन्तु विपक्ष ने सही स्थिति को जानने के लिये एक–दो दिन प्रतीक्षा करने के बजाये यहां तुरन्त ही चर्चा आरम्भ करदी तथा कह दिया कि राज्यपाल ने ठीक कार्यवाही नहीं की तथा केन्द्र ने बीच में हस्तक्षेप किया है। वास्तव में तो हमें, एक-दो दिन तक धैर्य से वहां की स्थिति तथा उसके विकास को जानना व समझना चाहिये था। इसीलिये मंत्री महोदय ने कहा था कि इस बारे में किसी प्रकार की हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है परन्तु माननीय सदस्यों ने नहीं माना और बिना पूरी जानकारी प्राप्त किये ही चर्चा आरम्भ करदी।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi-Sadar): I have just received a telephonic message saying that the Governor has not yet invited the Raja of Sarangarh to take oath. It is ahead of twenty minutes past three whereas the Home Minister had told the House that the Governor had invited the Raja of Sarangarh at 3 p.m to take oath.

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मैंने कहा था कि राज्यपाल ने राजा नरेशचन्द्र सिंह को बुलाया है तथा उनके आने पर राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने को कहेंगे। मैंने यह तो नहीं कहा कि राज्यपाल उन्हें तीन बजे शपथ ग्रहण कराने के लिये बुला रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल ने उन्हें आमंत्रित किया है तथा तदुपरान्त वह उन्हें सरकार बनाने को कहेंगे। अब आप लोग चर्चा समाप्त होने के समय अर्थात् पांच बजे तक प्रतीक्षा करें।

**श्री जी० भा० कृपलानी** (गुना) : तीन बजे की बात कोई न्याय संगत नहीं है। सम्भव है राज्यपाल अस्वस्थ हो गये हों। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये।

**श्री स० कुन्दू** : हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि यह सभा इस मामले के बारे में जानना चाहती है। मेरी प्रार्थना है कि गृह मंत्री महोदय यह बताएं कि राज्यपाल ने बैठक बुलाई है या नहीं और क्या कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जो कुछ गृह मंत्री महोदय ने कहा है उसे विश्वसनीय समझा जाना चाहिये हममें से कुछ को टेलीफोन में सूचना मिली होगी और कुछ को नहीं परन्तु हम सभा को इसे स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते। अगर विश्वसनीय सूचना आ रही है तो यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसको बताए।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar) : A responsible person has conveyed this to me. I want to read out what he has dictated to me on phone (Interruption).

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कल ही यह निर्णय दिया था कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए संदेशों पर विचार नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई केवल गैर सरकारी सूचना के आधार पर ही औचित्य का प्रश्न उठाये। श्री शारदा मुकर्जी।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : यह हमारा दुःखद अनुभव रहा है कि जब हमारे सहयोगी अतीत में सरकार बनाने में व्यस्त थे तो इस सभा में शान्ति थी। अब जो यह घटना हुई है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि सवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है और हम इसके परिणाम को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अपने स्वविवेक के अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा जो उसे संविधान के अन्तर्गत मिले हुए है। सरकार का निर्माण करना सरल होता है परन्तु उसे बनाए रखना कठिन होता है। अगर आपको 24 घंटे भी प्रतिक्षा करने का धैर्य नहीं है तो सरकार को चलाने के लिए आपके पास धैर्य कहां से आयेगा?

मैं यह पढ़कर सुनाती हूं कि राज्यपाल का स्वविवेक के बारे में क्या अधिकार है।

"राज्यपाल का अपने स्वविवेक में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी भी कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी कि उनको अपने स्वविवेक का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए"।

कई सदस्यों का यह कहना है कि राज्यपाल को विधान सभा का सत्रावसान नहीं करना चाहिए था। परन्तु हम ऐसा कैसे कह सकते हैं जबकि राज्यपाल को संवैधानिक रूप से विधान सभा को सत्रावसान करने का अधिकार है। समाचारपत्रों में ऐसी खबरें आई थीं कि श्री जी० एन० सिंह के पास बहुमत पहले की भांति नहीं है और एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है। अगर विरोधी सदस्य एक या दो दिन ठहर जाते तो स्थिति साफ हो सकती थी।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह ऐसा समय है जब हम लोकतंत्र विरोधी कार्यों के प्रति विरोध प्रकट कर रहे

हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने जिस प्रकार निरंकुश रीति से कार्य किया उसका हम विरोध करते हैं।

गत दो वर्षों से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा है। आम चुनावों के बाद कांग्रेस अल्पमत में रह गई है। इसलिए जहां कहीं भी गैर कांग्रेसी सरकार सत्तारुढ़ हुई हैं वहां राज्यपाल का प्रयोग विभिन्न सरकारों को उलटाने के लिए किया गया।

मध्य प्रदेश की घटना के बारे में जो सूचना आई है वह यह है।

"राज्यपाल के आदेशानुसार मध्य प्रदेश की विधान सभा स्थगित कर दी गई। जैसे ही सभा 11 बजे (म० पू०) समवेत हुई, अध्यक्ष श्री के० पी० पांडे ने कहा कि उसे राज्यपाल से यह संदेश मिला है कि संविधान की धारा 174(2A) के अन्तर्गत विधान सभा को स्थगित कर दिया जाये।

वर्ष 1948-49 में संविधान को बनाते समय संविधान सभा में राज्यपाल के पद के बारे में चर्चा हुई थी। यहां तक कि डा० खेर, श्री बिस्वनाथ दास और पंडित कुंजरू आदि जैसे विद्वानों ने राज्यपाल के पद के बारे में संदेह व्यक्त किया था। डा० बिस्वनाथ दास ने 30 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि राज्यपाल का पद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूचक है और यही बात आज सिद्ध हो रही है।

विभिन्न राज्यों में राज्यपाल से विभिन्न कार्य लिये जाते रहे हैं। इसका प्रयोग कुछ राज्यों में विधान सभा को स्थगित करने कुछ राज्यों में सरकार को बर्खास्त करने और कुछ राज्यों में सरकार को उलटाने के लिए किया जाता रहा है। राजस्थान में विधान सभा तब तक स्थगित रखा गया जब तक कि वहां कांग्रेस बहुमत में नहीं आ गयी। पांडिचेरी में भी ऐसा किया गया था। हरियाना में क्या हुआ? वहां के राज्यपाल ने बहुमत में होते हुए भी राव वीरेन्द्र सिंह की सरकार को भंग कर दिया।

हम यह भी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ। वहां की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। इस प्रकार राज्यपाल के पद का अन्धाधुंध प्रयोग किया गया।

दूसरी बात राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। चुनाव में हारे हुए और असंतुष्ट कांग्रेसियों को इस उच्च पद के लिए चुना जाता है। अगर एक प्रमुख कांग्रेसी चुनाव में जीत जाता है तो उसे मंत्री बना दिया जाता है और अगर वह हार गया तो उसे राज्यपाल का पद दे दिया जाता है। मेरा कांग्रेसियों से अनुरोध है कि वे इस पर शान्तिपूर्वक विचार करें। आज केन्द्र में कांग्रेस सरकार है और राज्यों में विरोधी सरकार। परन्तु कल यह भी हो सकता है कि केन्द्र में विरोधी दल के लोग अपनी सरकार बना लें और राज्यों में कांग्रेसी सरकार बनें तो क्या वे इस प्रकार की बातों को पसन्द करेंगे?

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय अपने जन्म दिवस के उपलक्ष में यह कहें कि मैं देश को प्रजातंत्र के रूप में अपने जन्म-दिवस की भेंट प्रदान करता हूं। प्रजातंत्र को केवल रूप में ही नहीं बनाए रखना है अपितु उसकी आत्मा को भी सजीव रखना है।

**Shri Shashi Bhushan** (Khargone) Sir, When Shri D P. Mishra, the then Chief Minister, advised the Governor to prorogue the Assembly, the Central congress leaders and the High command pointed out that Chief Minister had no right to advise the Governor and now the Governor, Shri Dharam Vir, is being proradoxically, criticised because he has accorded the advice or the Chief Minister by the oppositon parties. But we should try to understand the intention of the Chief Minister with which he advised the Governor to dissolve the Assembly for a short while, Actually, Raja Sarangarh was not in majority and Shri Govind Narain Singh advised him to give him opportunity to gain majority in his favour.

I have no faith in Raja Sarangarh because he is not a member of the Assembly and because he very often turns his coat. Many a changes had also been raised against Shri Govind Narain Singh by several parties, like Jan Sangh, Swantra and others and therefore he can not be said to be a reliable person- But if the Governor has conceded his advice he should de thanked for performing his duty.

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : देश की संसदीय कार्यप्रणाली की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें विचार करने का अवसर मिला है। यद्यपि मेरे लिए संसदीय प्रणाली अत्यधिक उत्साहवर्द्धक नहीं है फिर भी संसार की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए यदि संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली हितकर है तो हम उसे अपनाने के इच्छुक हैं।

यह महत्व पूर्ण बात है कि स्वयं सरकार संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का उल्लघन करा रही है। केवल इतना ही नहीं आज ऐसी स्थिति है कि हमसे भी अधिक किया जा रहा है। अत: यदि लोकतंत्र प्रणाली के सिद्धांतों का हनन होता है तो इस के लिए सम्पूर्ण रूप से वही लोग उत्तरदायी होंगे जो बिना किसी भय के इस प्रणाली के प्रति अनादर व्यक्त कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे लेशमात्र लगाव नहीं है किन्तु आज के वादविवाद में कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ।

ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार एक ऐसे पद का उपयोग अपने हितों के लिए कर रहीहै जिसका दलों से कोई सम्बन्ध नहीं है एक दिन गृह कार्य मन्त्री ने कहा था कि राज्यपालों को सलाह देना मेरा कार्य नहीं है। मुझे आशा है कि वह उस वक्तव्य का पालन करेंगे।

किन्तु सभी जानते हैं कि राज्यपाल किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। राष्ट्रपति भवन में उनकी बैठकें होती हैं। केन्द्रीय सरकार राज्यपालों के द्वारा अपनी स्थिति का पूरा लाभ उठा रही है। मध्य प्रदेश के उदाहरण के अनुसार यह स्पस्ट हो जाता है कि सरकार राज्यपालों की नियुक्ति अपने हितों को पूरा करने के लिए की जा रही है।

श्री के० सी० रेड्डी स्वयं इस प्रकार का निर्णय नही ले सकते। मुझे शंका है कि उन्होंने जो कुछ किया है वह गृह-कार्य मन्त्री की सलाह पर किया है। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जासकता कि मध्य-प्रदेश में बहुत मत प्राप्त दल के नेता ने त्याग-पत्र देकर राज्यपाल को यह सलाह दी कि वह किसी अन्य व्यवित को मुख्य-मन्त्री पद के लिए बुलाए। उन्होंने मुख्य मन्त्री को एक सलाह यह भी दी कि वह विधान सभा को भग करदें। किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति कार्यकारी मुख्य मन्त्री की हैसियत से सभा को भग करने की सलाह कैसे

देसकता है। यह सब राजनीतिक चालों को सफल करने और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए किया गया है तथा हम असाधारण कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

सवैंधनिक दृष्टि से राज्यपाल का पद सम्मानित है और उसका दल गत नीति से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था। किन्तु अब राज्यपाल के सम्मानित पद का केन्द्र सरकार अपने हितों की सिद्धि के लिए दुरुपयोग कर रही है। यह तो मैं मानता हूं कि राज्यपाल का कार्य राष्ट्रपति को अपने राज्य की परिस्थितियों से अवगत कराने का है। गृह-कार्य मन्त्री भी राज्य विशेष में होने वाली कार्यवाहियों को वहां के राज्यपाल के माध्यम से जान सकते हैं और इसी दृष्टि से राज्यपाल और केन्द्र परस्पर सम्बन्धित हैं। पश्चिमी बंगाल के बारे में यह कहा गया कि राज्यपाल न्यायालय के निर्णय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता किन्तु बिहार में राजा रामगढ़ के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था किन्तु फिरभी उनको मन्त्रीमन्डल में सम्मिलित कर लिया गया।

संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यपाल की शक्तियों की उचित व्याख्या होनी चाहिए किन्तु यदि इन शक्तियों में कोई वृद्धि करनी है तो उससे प्रजातन्त्रीय प्रणाली की हत्या होजाएगी।

मै केन्द्रीय सरकार को तथा कांग्रेस दल के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि राज्यपालों का कार्यंकलाप नितांत आपत्तिजनक है। जाने इस सरकार को क्या हो गया है। मन्त्री महोदय सदन में आश्चर्य चकित हो जाते हैं तथा क्या कहना है क्या नहीं कुछ नहीं जानते। केन्द्र सरकार की इस नीति को लोग बर्दास्त नहीं कर सकते। यदि वह संविधान की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते तो जनता उनको पाठ पढ़ादेगी।

**Shrimati Sushila Rohatgi** (Bilhaur) It is an important matter and I would request the hon members to think over this issue which has been raised by Shri Bajpayee and Shri Madhu Limaye without indulging in the party politics as it is in the interest of the country.

I feel the action of the Governor cannot be said to be unconstitutional because he has used his own discretion in the matter. The hon. Home Minoster has already specified that the Central Government did not give any instruction to the Governor, and what has been done by the Governor is done on the advice of the Chief Minister.

These days allegations are being levelled not only against the Governors, but allegations are being levelled against the Members of Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislature Assemblies that they are mad after office and money. All this is happening in our democracy. I agree that the Governor should not have acted as he had done. He had taken an hurried step. But it does not mean that his action was unconstitutional, though it was an hurried action. Because almost all the members of the House here have similar opinion in this matter. Therefore I request Shri Madhu Limaya to withdraw his motion.

**श्री नाथ पाई** (राजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे संसद् के इतिहास का एक स्मरणीय दिवस रहेगा। आज प्रातः माननीय सदस्य हमारे प्रजातन्त्र के भविष्य के बारे में बहुत निराशा प्रतीत होते थे। मेरे माननीय मित्र श्री मधु लिमये ने जो कि प्रजातन्त्र के अधिकारों के रक्षक हैं, निराश होकर अपने कागजों को फेंकते हुए कहा था कि हमारा लोक-

सभा में होने का क्या लाभ है ? श्री चव्हाण ने आज 2 बजे म० प० पर जो यह कहा है कि राज्यपाल ने बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमन्त्रित किया है और उन्हें सरकार बनाने को कहा है, इसका श्रेय लोकसभा की सतर्कता को है। मुझे विश्वास है कि यदि इसबारे में आज प्रातः लोक सभा में चर्चा न होती, तो राज्यपाल यह निर्णय न लेते। अतः यह लोक सभा की एक महान सफलता है।

श्री चव्हाण ने अति महत्वपूर्ण अवसर पर यह घोषणा की है कि राज्यपाल ने संयुक्त विधायक दल के नेता को आमन्त्रित करने का निर्णय किया है। मै यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मध्य प्रदेश विधान सभा में संयुक्त विधायक दल की सरकार हार जाती, तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है/होगा। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां किस दल की सरकार है अथवा किस की सरकार है। हमारी दिलचस्पी प्रजातन्त्र के मूल भूत सिध्दान्तों में है। हमें बताया गया है कि श्री के० सी० रेड्डी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ वे वास्तव में बीमार नहीं हैं। हमारा सम्बन्ध श्री के० सी० रेड्डी के स्वास्थ्य से नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश के राज्यपाल के स्वास्थ्य से है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जो बीमारी है, वह एक इस प्रकार की बीमारी है जो कांग्रेस सरकार के खतरे में पड़ने पर राज्यपालों को हो जाती है, चाहे वह राजस्थान का राज्यपाल हो, मध्य प्रदेश का, बिहार का अथवा पश्चिम बंगाल का। अतः राज्यपाल का अचानक बीमार होना कोई नई बात नहीं है। हमें इसपर विचार करना है।

हम इस समय एक मूल भूत प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यदि श्री चव्हाण की इस घोषणा से कि राज्यपाल ने बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया है, मेरे संशोधन का प्रथम भाग असंगत हो जाता है तो मै अपने संशोधन के दूसरे भाग को पेश करता हूं जिसमें कहा गया है कि यह सभा राज्य विधान सभा के सत्रावसान का अननुमोदन करती है और राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि राज्यपाल को तुरन्त वापस बुलाया जाय।

मुझे श्री के० सी० रेड्डी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। वह यहां काफी समय तक मन्त्री रहे हैं तथा उन्होंने ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न किया है। परन्तु इस मामले में हमें उन तथ्यों पर चलना होगा और उसके बाद मूल भूत प्रश्न पर विचार करना होगा। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस बात को बिलकुल भूल गये हैं कि आज से 20 महिने पहले उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 159 के अधीन राज्यपाल के पद की शपथ ली थी। वह इस बात को भूल गये हैं कि वह मध्य प्रदेश में हमारे संविधान के संरक्षक हैं। उन्हें केवल यह याद है कि वह एक समय कांग्रेस के सदस्य थे। वह केवल इस बात का प्रयास करते रहे कि कांग्रेस को सत्ता में किस प्रकार लाया जाय। सर्वप्रथम उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया तथा नये नेता से मिलने से इन्कार कर दिया। अब इस समय लोक सभा में यह बताया गया है कि उन्होंने नये नेता को बुलाया है। एक बार फिर विधान सभा का सत्रावसान करने को सहमत होकर उन्होंने आधार भूत कमजोरी का परिचय दिया है। मेरा निवेदन यह है कि जब राज्यपाल के आधार भूत कर्तव्यों का प्रश्न उठाया जाता है, गृह मंत्री उसे राज्यपाल का स्वविवेक कह कर टाल देते हैं। हमें राज्यपाल

की आधारभूत शक्तियों उसके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों पर विचार करना चाहिये। नई परिस्थितियां पैदा हो गई है तथा हमें नई और स्वस्थ्य परम्परायें स्थापित करनी चाहिये। संविधान में कुछ खामियां हैं, क्योंकि संविधान के जनक नई परिस्थितियों का पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे। यह हमारा इस सरकार तथा संसद् का कर्तव्य है कि संविधान के प्रजातन्त्रात्मक तत्वों को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया जाये। संविधान के अनुसार किसी सरकार के भाग्य का निर्णय करना विधान सभा का काम है न कि राज्यपाल का। सरकार की किस्मत का फैसला राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि जनता के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिये। राज्यपाल की पत्नी ने इस मामले में जो भाग लिया हैं, वह बड़ा खतरनाक है।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्री जी० एन० सिंह के अनुरोध पर सभा का सत्रावसान किया गया है। प्रश्न तो यह है कि विधान सभा का सत्रावसान ही नहीं किया जाना चाहिये था। यह प्रश्न किसी व्यक्ति अथवा दल से सम्बन्धित नहीं है, अपितु यह प्रश्न संविधान से सम्बन्धित है। यह उनका कर्तव्य था कि विधान सभा के सत्र को चालू रखा जाता तथा विधान सभा के सदस्यों को सरकार के भाग्य का फैसला करने का अवसर दिया जाता श्री सनथानम ने कहा है कि यह सोचना कि दिन प्रतिदिन यह पता लगाना कि विधान सभा में किसको बहुमत प्राप्त है राज्यपाल का कर्तव्य है. गलत है। मध्य प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में विधान सभा का सत्रावसान करके दल बदल को प्रोत्साहन दिया गया है। इस लिए एक बार सरकार बनने के बाद उसे चालू रखा जाना चाहिये। यह निर्णय करना विधान सभा का काम है कि वह सरकार सत्ता में रहे अथवा उसे गिराया जाये।

बार बार प्रत्येक सत्र में राज्यपाल की शक्तियों का प्रश्न सामने लाया जाता है। हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिये कि क्या संविधान में कोई त्रुटि है। और राज्यपाल को स्पष्ट अनुदेश तथा निदेश दिये जाने चाहिये कि इस बात का निर्णय कि कोनसे दल को बहुमत प्राप्त है, विधान सभा में ही होगा और इस प्रकार इस त्रुटि को दूर करना चाहिये।

अतः मैं सभा से निवेदन करता हूँ कि चूंकि राज्यपाल ने एक अनियमितता की है. इस लिये उसे वापस बुलाया जाना चाहिये। मैंने श्री मधु लिमये के मूल प्रस्ताव में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करने का मैं सभा से अनुरोध करता हूं।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** (हावड़ा) : मुझे खेद हैं कि मैं श्री वेंकटासुब्बया द्वारा व्यक्त किये गये मतों से सहमत नहीं हूं यद्यपि वह मेरे दल के महा सचिव हैं। प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के बारे में मेरे अपने विचार यह हैं कि इस देश में प्रजातंत्र तभी तक कायम रह सकता हैं जब तक संसद दलगत विचारों को छोड़ कर संविधान के उपबन्धों को मान्यता देता रहे। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश के राजनीतिक ढांचें में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। राज्यपाल के पद को एक नया महत्व प्राप्त हो गया है और वह दिन दूर नहीं है जब राज्य पालों को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके देश की अखंडता और एकता को कायम रख कर राष्ट्रीय सेवा करनी होगी।

मध्य प्रदेश में अध्यक्ष में बिना कोई कारण बताये विधान सभा की बैठक को आरम्भ होते ही स्थगित कर दिया है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने निर्णय को यह कह कर उचित बताया कि प्रशासन को चलाने के लिए एक कार्यवाहक मुख्य मंत्री और सरकार ठीक है। परन्तु वैधानिक कार्य करने के लिये नहीं। यहां राज्यपाल के समक्ष एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसमें विधान सभा के सत्र को चालू रखना उस के लिये असम्भव था। संविधान में राज्यपाल को कुछ अधिकार तथा स्वविवेक की शक्तियां दी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 163 (2) में स्वाविवेक की शक्तियां स्पष्ट तथा पूर्ण हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 174 (2) के अन्तर्गत कहा गया है कि राज्य पाल समय समय पर सभा का सत्रावसान कर सकता है। हो सकता है कि राज्यपाल ने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया हो। परन्तु हमारे पास सब तथ्यों की जानकारी नहीं है। गृह मंत्री ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा है कि हो सकता है मध्य प्रदेश के विधितः मुख्य मंत्री श्री गोविन्द नारायण सिंह ने अपना त्याग पत्र देते समय राज्यपाल को सभा का सत्रावसान करने की सलाह दी हों और चूंकि अध्यक्ष पहले ही सभा को स्थगित कर चुके थे। इसलिये सभा का सत्रावसान किया गया है। हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है परन्तु मेरा मत हैं कि हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिये जिनमें राज्य पाल स्वतंत्र निर्णय न ले सके।

मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाये जाने की संभावना है। गृह मत्री के वक्तव्य से यह सकेत मिलता हैं कि राज्यपाल ने सयुक्त विधायक दल के नये नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया है। यद्यपि नेशनल हेरल्ड में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि संयुक्त विधायक दल के 48 सदस्यों ने दल बदल लिया है, तथापि ये सब बातें यहां असगंत हैं। अतः मध्य प्रदेश में नई सरकार बनाये जाने की सम्भावना को देखते हुए इस सकल्प के प्रस्तावक को इसे वापस ले लेना चाहिये। कल ही सभा ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपालों को संवैधानिक अधिकार हैं तथा हमें उस निर्णय से नहीं मुकरना चाहिये। इस लिये मैं सभा से इस सकल्प तथा इस के बारे में प्रस्तुत किये गये सब सशोधनों को अस्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, गत तीन महीनों में अभूतपूर्व घटनायें हुई हैं। पहली अभूतपूर्व घटना पश्चिम बगाल विधान सभा में हुई। जिसमें राज्यपाल ने अभिभाषण के कुछ भाग को नहीं पढ़ा। तथा दूसरी घटना मध्य प्रदेश में हुई जिस में राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश विधान सभा के अधिवेशन का सत्रावसान किया गया। इस तथा कथित प्रजातन्त्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि विधान सभा का अधिवेशन हो रहा है और राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि विधान सभा का सत्रावसान किया जाता है। यह सब घटनाएं हो रही हैं। परन्तु गृह मन्त्री महोदय फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गृह मन्त्री महोदय अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और वह समझते हैं कि हम तो केवल उनकी बातें सुनने के लिये ही है। यद्यपि मैं और मेरा दल मध्य प्रदेश सरकार से खुश नहीं है, इसलिये नहीं क्यों कि वह हमारे दल की सरकार नहीं है, परन्तु इसलिये क्यों कि दल उनके काम के स्तर से सतुष्ट नहीं है, तथापि मै कहना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्रावसान इस प्रकार से नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में किया गया है। आज सभा का अधिवेशन हो रहा है और आप इसे कल

11 बजे तक के लिये स्थगित करते हैं। कल 11 बजे जब आप यहां आते हैं तो आपको राष्ट्रपति का पत्र मिलता है कि सभा का सत्रावसान किया जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचेंगे ? यह हो सकता है कि सरकार फेल हो जाये और उसकी जगह दूसरी सरकार बन जाये। परन्तु इस बात का निर्णय भी तो संसद ने ही करना है। कई माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 174 (2) का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल विधान सभा को समय समय पर अधिवेशन के लिये आहूत करेगा। उन्होंने विधान सभा को आहूत किया था तथा सभा का सत्र चल रहा था और वह अपने कर्तव्य निभा रही थी। अनुच्छेद के पैरा 2 में कहा गया है कि वह सभा का सत्रावसान कर सकेगा। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। परन्तु क्या वह इस अधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग कर सकता है तथा क्या इस अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ? एक जेल अधीक्षक को फांसी देने का अधिकार है, परन्तु क्या वह जिसे चाहे फांसी दे सकता है ? अतः विधान सभा के अधिवेशन का सत्रावसान तब किया जाता हैं, जब सभा अपना काम पूरा कर ले अथवा उस समय जब कि अध्यक्ष ऐसा करने की सलाह दे। यह ठीक है कि राज्यपाल को सभा का सत्रावसान करने का अधिकार है, परन्तु क्या वह ऐसा अपनी मन मर्जी से कर सकता है ? मध्य प्रदेश में विधान सभा का जिस प्रकार सत्रावसान किया गया है, वह नितन्त असंवैधानिक और गलत है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में एक राजनीतिक चाल चली है। वह संयुक्त विधायक दल के दल बदलुओं की सहायता से कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे। राज्यपाल केन्द्र सरकार के निदेश पर काम करते हैं तथा वे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं। वे तो वैसा ही करते हैं, जैसा कि गृह मन्त्री द्वारा उन्हे करने को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दोनों में राज्यपालों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निदेश से संविधान का उल्लघन किया गया है।

श्री जी० एन० सिंह ने अपने पत्र में राज्यपाल को लिखा था कि संयुक्त विधायक दल ज्यूं का त्यूं बना हुआ है और उसे सभा में बहुमत प्राप्त है। अत: यह उनका आन्तरिक मामला है कि उनके स्थान पर नये नेता को मुख्य मन्त्री बनाया जाये। अतः जब वह अपने पत्र में लिख रहे हैं कि उनके दल को बहुमत प्राप्त है तो फिर वह सत्रावसान की सलाह कैसे दे सकते हैं ? यदि उन्होंने सत्रावसान की सलाह दी भी हो, तो भी काम चलाऊ सरकार के मुख्य मन्त्री के इस पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिये था कि उन्हें सभा में बहुमत प्राप्त है। अतः नये नेता को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण न दे कर राज्यपाल ने कांग्रेस का हित सिद्ध किया है। गृह मंत्री महोदय "आया राम और गया राम" की बातें करते है। क्या अब वह 40 "आया रामों" को अपने साथ नहीं मिला रहे हैं। कांग्रेस सरकार गैर कांग्रेसी सरकारों को तोड़ने की नीति अपनाये हुए है। यदि वह इसी नीति पर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब स्वय उनकी सरकार समाप्त हो जायेगी।

**श्री रा० ढो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इस वाद विवाद को बहुत ध्यान पूर्वक सुना है तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस वाद विवाद की कोई जरुरत नहीं थी और विशेषतया गृह मंत्री महोदय द्वारा स्पस्टीकरण दिये जाने के बाद तो यह वाद विवाद बिल्कुल अनावश्यक हो जाता है।

जब तक सामान्य सिद्धान्त की बात है, इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि संसदीय प्रजातन्त्र पद्धति में सत्ता बहुमत प्राप्त दल के हाथ में होनी चाहिये। हम इन सिद्धान्तों को मानते हैं तथा इस मामले में इन सिद्धान्तो का उल्लंघन नहीं किया गया है।

यह मामला तथ्यों तथा संवैधानिक विधि का मिश्रण है। तथ्य यह हैं कि 10 तारीख की रात को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपना त्यागपत्र पेश किया था। वह अपना त्यागपत्र देने के लिये 11 तारीख को प्रातः राज्यपाल के पास गये थे। राज्यपाल ने उन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था और श्री जी० एन० सिंह को मुख्य मंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा था। 11 तारीख को स्थिति यह थी। 12 तारीख को अर्थात आज क्या हुआ? आज सभा का सत्रावसान किया गया है। परन्तु सत्रावसान किस प्रकार किया गया है। जहां तक विधान सभा के सत्रावसान का सम्बन्ध है, राज्यपाल ने सभा का सत्रा-वसान उस कार्यकारी मुख्य मंत्री की सलाह पर किया है, जो विधितः मुख्य मन्त्री है। क्या राज्यपाल मुख्य मन्त्री द्वारा दी गई सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं और असंवैधानिक तौर पर कार्यवाही कर सकते है? यह प्रश्न राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 163 के अधीन अपने स्व-विवेक से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं हैं। यह प्रश्न संविधान के दायित्वों को उठाने और उनकी पूर्ति करने का है। राज्यपाल की मुख्य मन्त्री की सलाह को स्वीकार करके सभा का सत्रावसान करने की कार्यवाही पूर्णतया न्यायोचित है।

यह कहा गया है कि जब मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था तो राज्यपाल उनकी सलाह कैसे मान सकते थे। परन्तु जब तक के लिये उन्हें राज्यपाल ने मुख्य मंत्री पद का काम करने को कहा था तब तक वह मुख्य मंत्री के पद पर बने हुए थे। अतः राज्यपाल संविधान के अन्तर्गत उनकी सलाह मानने को बाध्य थे। इसलिये मैं इस सभा से निवेदन करता हूं कि इस सकल्प को तथा इस पर प्रस्तुत किये गये सब संशोधनों को अस्वीकार किया जाये।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापतनम): मुझे खेद है कि मैं श्री भंडारे की बात से सहमत नहीं हूं। मान लीजिये श्री गोविन्द नारायण सिंह द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के तुरन्त पश्चात नये नेता का चुनाव होता है, तो भी नये नेता राजा नरेशचन्द्र ही होते जिनका नाम श्री गोविन्द नारायण सिंह ने राज्यपाल को दिया। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जानते थे कि नया नेता कौन बनेगा। दल के अन्दर ही नये नेता का चुनाव हो जाने के पश्चात राज्यपाल के पास इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता कि वह नये नेता को ही सरकार बनाने के लिये बुलाये।

राज्यपाल के विवेक का प्रश्न यहां संगत नहीं है। इस मामले में राज्यपाल ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया है। क्यों कि वह सारी स्थिति जानते थे। इस बारे में कोई सन्देह नहीं था कि शासक संयुक्त विधायक दल का नेता कौन था। यदि राज्यपालों का रवैया ऐसा ही रहा तो लोक सभा को शीघ्र ही राज्यपालों के पद को समाप्त करना होगा।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण**: यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो बहुमत का फैसला विधान मण्डल कर सकता है और उसे करना चाहिये न कि राज्यपाल को। किन्तु इस विशि-

ष्ट मामले में ऐसी स्थिति नहीं थी। यदि सभा का सत्र नहीं चल रहा है और विशेष रूप से जब कि सभा चुनावों के बाद बुलाई गई हो, तो राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। राज्यपाल ने 3.00 बजे राजा नरेशचन्द्र से सरकार बनाने के लिये कहा। सारंगगढ़ के राजा ने कहा मुझे कल सुबह तक का समय चाहिये।

जहां तक सत्रावसान का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के विवेचन का अधिकार है। यदि मुख्य मंत्री राज्यपाल को सत्रावसान की सलाह देता है तो राज्यपाल को उसे मानना ही होगा।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : जब मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को दूसरे व्यक्ति को बुलाने की सलाह दी जिसे दल का नेता चुन लिया गया था, तो उन्होंने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** उन्होंने इस बारे में अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया था। जब राजा से सरकार बनाने के लिये कहा गया तो उन्होंने समय मांगा।

**श्री बलराज मधोक** (दिल्ली-दक्षिण) : राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को रात के 11 बजे तक का मिलने का समय दिया। किन्तु जब मुख्य मंत्री और दल के नेता उनके पास 10.30 बजे गये। तो उन्हें बताया गया कि राज्यपाल सोये हुए हैं। यह एक राजनीतिक निद्रा थी।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** माननीय सदस्य को अपने कार्य कर्त्ताओं द्वारा दी गई कहानियों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति हैं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या यह सच है कि श्री गोबिन्द नारायण सिंह ने राज्यपाल को यह सलाह दी थी कि वह उनके उत्तराधिकारि को बुलाएं, यदि हां, तो राज्यपाल ने उस सलाह को स्वीकार करने से क्यों इन्कार कर दिया और सत्रावसान सम्बन्धी वैकल्पिक सलाह को क्यों स्वीकार किया ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** श्री गोविन्द नारायण सिंह जब राज्यपाल के पास अपना त्यागपत्र देने गये, तो उन्होंने नये नेता के बारे में नहीं बताया। किन्तु तथ्य यह है कि राज्यपाल ने उस पर कोई निर्णय नहीं किया। और बिना निर्णय किये वह कैसे कोई कार्य-वाही कर सकते थे।

**श्री बलराज मधोक :** उन्होंने श्री डी० पी० मिश्र को राजनीतिक सौदे बाजी के लिये दो दिन दे दिये।

**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** जब उन्होंने निर्णय ही नहीं लिया तो वह कार्यवाही कैसे कर सकते थे। हो सकता है मामले का अध्ययन करने के लिये वह कुछ समय चाहते थे। इसमें क्या गलत बात है। आपको यह मानना होगा कि उस मामले में राज्यपाल के कोई

राजनीतिक विचार नहीं थे। और जब उन्होंने संयुक्त विधायक दल के मुख्य मंत्री के परामर्श को स्वीकार किया है तो इसमें राजनीतिक उद्देश्य हो भी क्या सकता है ?

**श्री उमानाथ** (पुदूकोटै) : राज्यपाल ने पहली सलाह को स्वीकार क्यों किया और दूसरी को क्यों स्वीकार किया ?

**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : उन्होंने उस सलाह को भी स्वीकार किया है। यह तथ्य है कि राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री के परामर्श को स्वीकार किया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल पहले ही दूसरे नेता को बुला चुके हैं और सरकार का बहुमत है या नहीं इसका फैसला आखिर सभा में ही होगा। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव का कोई औचित्य है।

जहां तक सत्रावसान का सम्बन्ध है, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि राज्यपाल के दिमाग में कोई राजनीतिक विचार नहीं थे। उन्होंने पिछली बार की तरह तर्कसंगत तरीके से कार्यवाही की है।

**श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** (विशाखापतनम) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं नहीं।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* }

**श्री तेन्नेटी विश्वनाथम** : मुख्य मन्त्री ने जब सत्रावसान का परामर्श दिया, तो राज्यपाल ने नये नेता की सलाह क्यों नहीं ली जिनका नाम पहले से ही उनके सामने था।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : On the night of the 10th the leaders of the S. V. D. went to see the Governor and they were told that the Governor was asleep. So they came back. But when Shri G, N. Singh tendered his resignation, the Governor promptly accepted the same. But the second advice of Shri G. N. Singh supported by all other leaders was not accepted by the Governor. Nor it is reported in the press to.day that Mr. Reddy, however, informed the leaders that he would like to make his own assessment before taking the next move.

Sir, I fail to understand what right the Governor has to make an assessment. He should have immediately called the new leader. He did not believe the oral word of the S. V. D. leaders. He was motivated by political considerations and thus he was acting against the Constitution.

Sir, the hon. Minister stated that when the House is sitting it should not be prorogued and that only the House should decide whether the Government has the support of the majority or not. But side by side he justified the decision of prorogation. We do not believe in double standards.

It was not proper on the part of the Governor to prorogue the Assembly on the advice of a Chief Minister whose resignation he had already accepted. So far as discretionary powers of the Governors are concerned, except under the Articles Nos. 200 and 356, they have no other discretionary powers. Hence he was not required to use his discretion in the case under discussion. In order to make things more clear, it would be in the fitness of things that a resolution about the appointments and powers of the Governors should be enacted by Parliament giving specific instructions to the Governors that except under Articles 2oo and 356, they have no other discretionary powers. This is necessary for the smooth functioning of the democracy.

Since the Government is not prepared even to consider our demand about the recall of the Governor, who has committed an unconstitutional act, the motion can not be withdrawn.

I accept the amendment of Shri Nath Pai beceuse the advice given by Shri Govind Narain Singh after his resignation had been accepted, was meaningless. A person who is not a Member of o Legislative Assembly should not be appointed as a Chief Minister or any other Minister. It was understandable if the S. V. D. Government had lost on the floor of the Assembly. But we are not ready to allow the democracy being murdered by a Governor after usurping the rights of an Assembly or the people.

I command my motion to the House with a note of warning to those who may be concerned that if a person tries to flout the Constitution or murder the democracy, I am quite sure in my mind that the people of India, the country of Mahatama Gandhi and Subhash Chandra Bose will throw him out and what is now happening in Pakisthan will be repeated here also.

**अध्यक्ष महोदय :** क्या श्री स० मो० बनर्जी अपने संशोधन पर आग्रह करते हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** मैं श्री नाथ पाई के सन्शोधन के पक्ष में अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

**सन्शोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The amendment was by leave withdrawn**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री लकप्पा :

**श्री क० लकप्पा (तुमकुर) :** मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

**संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The amendment was by leave, withdrawn**

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब श्री नाथ पाई का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं ।

**संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ**

**The amendment was put and negatived**

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The motion was put and negatived

---

## सामान्य आयव्ययक, 1969-70 सामान्य चर्चा (जारी)

## GENERAL BUDGET, 1969-70 GENERAL DISCUSSION (Contd.)

अध्यक्ष महोदय : अब हम सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा को पुनः आरम्भ करते हैं । कल श्री नवल किशोर शर्मा बोल रहे थे ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Speaker, Sir, yesterday I was saying that keeping in view the prevailing situation, the Finance Minister has presented the best possible budget for which he deserves congratulations. In fact when he took over charge of this portfolio, the country was passing through a serious economic crisis.

He has been able not only to tide over the crisis but also to bring about a lot of improvement in our dwindling economy. During the course of last year, there has been an increase in our production as well as export trade, prices have stabilised and imports have gone down. All this has given a new ray of hope and confidence to us. In the present budget, he has made an attempt to continue that trend I am sure that the proposals submitted by him will improve our foreign exchange position. I do agree that the middle income group in the country will be largely hit by the new proposals of taxation, but Keeping in view our requirements in regard to the Five Year Plan, there was no alternative but to put some burden on those people who could afford to pay something for the betterment of the people of the country even though they might have to face some difficulty in doing so. However the duty proposed to be imposed on fertilisers will definitely prove to bean impediment in the way of agricultural advancement. On the one hand the Finance Minister has empha-sised the necessity for increase in the agricultural production in Para 3 of the introductory part of his budget speech and on the other hand he has proposed duty on the very basic agricultural in put for which the Government has so far been gran ing subsidy. Our farmers cannot even afford to pay the present price of fertilisers which is very high and with the result in comparison to the farmers in other countries, they are using a very small quantity of fertilisers. According to the proposal. they will have to pay an additional amount of Rs. 8/-per bag of Urea and Rs. 5/- per bag of amonium sulphate It is a well known fact that most of the farmers of this country who are small farmers, are using 20 to 25 bags of fertilisers and for this also they have to borrow from co-operative societies. In the circustances it will be very difficult for them to spend and additional amout of Rs. 200/- to Rs. 250/- on this item alone. It is obvious that they will have to think whether at all to use the fertilisers or not. It is, therefore, in the fitness of things that the proposal relating to the duty on the fertilisers may be reconsidered.

Similarly, I oppose the proposed duty of 20 percent on the pumping sets as this will also hit the small farmers in the country. It seems that this is being done on the advice of those beaurocrats and economists, who are of the opinion that for the success of the Fourth Five Year Plan, it is necessary that the agricultural resources should be tapped but

the country has not yet reached a stage when the question of tapping the agrtcultural resources can be considered. Nothing special has been done for the farmers for which these duties are being imposed, on them. If facilities like power and irrigation have been made available to them, they are already paying for them. Even to-day we find that the condition of Indian villages is still very bad. There are no roads. Facilities like medical and drinking water have not so far been provided to them If we want to ensure economic growth and if we want to ameliorate the conditions of these farmers, we should not think of taxing the peasants at preesent when their annual income is even less than the minimum income of the people living in urban areas. The loss of amount of Rs 24 crores, which is proposed to be collected from the farmers by way of above mentioned duties can be met by cutting down administrative expenditure and thus the farmer can be saved from this burden.

In this connection I want to invite your attention to this fact that bureacracy in our country has grown very rapidly-during the last few years. The number of secretaries General, Joint Secretaries Special Secretaries and additional Secretaries has increased from 50 in 1961 to 64 in 1965 and that of Deputy Secretaries has increased from 193 in 1961 to 223 in 1965. Similarly the number of State Government's employees has increased from 28 lakhs and 37 thousands in 1960 to 37 lakhs and 66 thousands in 1965 and that of Cenral Government employees has increased from 17 lakhs and 92 thousands in 1956 to 25 lakhs and 36 thousands in 1963. The number of Ministers has also been increasing very rapidly. It is also worth nothing that these bureaucrats draw large salaries and do little work. Even with their increased number, there has been no improvement in their effiency. This trend of expansion in bureaucracy should be checked and the administrative expenditure reduced to the maximum limit possible

Similarly at present nearly 500 committees are functioning in the various Mintstries of the Government of India which are of little use. Much money can be saved by doing away with these committeess.

The State of Rajasthan has been the most backward area in the country due to the political background. Moreover it is hit by famine every year causing great economic difficulties there. It is, therefore very difficult for the State Government to meet the expenditure to be spent on the Rajasthan Canal Project and other development programmes. This vital project should, therefore be taken over by the Central Government. As regards the problem of recurring famines and other natural calamities in that State, some permanent solution should be found to this problem by setting up a Central fund or by way of other means.

**श्री द० ब० राजू (नरसापुर) :** देश की आर्थिक स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री ने आयव्ययक सम्बन्धी जिन प्रस्तावों को सभा में प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। भारत जैसे देश का आयव्ययक तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं है। निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिये जो छूट दी गई है उसके लिये मैं वित्त मन्त्री का आभारी हूं। पटसन, चाय तथा अभ्रक पर निर्यात शुल्क में जो कमी की जा रही है उसका भी स्वागत है क्योंकि इससे हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा। आयातित कारों के मूल्य में वृद्धि करने तथा कुछ वस्तुओं पर शुल्क की वर्तमान विशिष्ट दरों को मूल्य के अनुसार दरों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव का भी स्वागत है।

चीनी एक अत्यावश्यक वस्तु हैं और इस पर कर में वृद्धि करना उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की परेशानी दूर करने के लिये सरकार को उचित मात्रा में चीनी सप्लाई करने

चाहिये जिससे उनको चीनी उचित दामों पर मिल सके। तैयार-शुदा खाद्य पदार्थों तथा बिजली के घरेलू उपकरणों पर शुल्क की दरों में वृद्धि करने का भी कोई औचित्य नहीं है।

एक ओर तो वित्त मन्त्री ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है परन्तु दूसरी ओर उन्होंने कृषि साधनों पर उत्पादन-शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। यह दोनों बाते मेल नहीं खाती हैं। इससे निःसन्देह कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडेगा। उर्वरकों पर मूल्य के अनुसार 10 प्रतिशत कर लगा देने से उर्वरकों के मूल्य जो पहले ही बहुत अधिक है और बढ़ जायेंगे इससे अनाज की उत्पादन-लागत भी बढ़ जायेगी। इसी तरह विद्युत-चालित पम्पों पर मुल्य के अनुसार 20 प्रतिशत कर लगा देने से अनाज की उत्पादन लागत बढ़ जायेगी और इसके फलस्वरूप जीवन निर्वाह भी बढ़ जायेगा। इन शुल्कों का विशेषकर आंध्र प्रदेश के लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है और वहां पर तमिलनाडू को छोड़कर सबसे अधिक विद्युत-चालित पम्प हैं और वहां पर उर्वरकों की अत्यधिक खपत होती है। कृषि विकास के इस प्रक्रम में कृषि साधनों पर शुल्क लगाने से कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब तक कृषि-उत्पादन का स्तर काफी ऊंचा और स्थिर नहीं हो जाता तब तक ऐसे शुल्क नहीं लगाये जाने चाहिये।

कृषि योग्य भूमि तथा उस पर बने हुए मकानों पर धन कर लगाने का प्रस्ताव भी कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं है। ऐसी भूमि का मूल्यांकन करना तथा इसमें छूट देने के लिये वास्तविक किसानों का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य हैं। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा कर भी लगा सकती है।

सरकारी उपक्रमों पर जितना धन लगाया गया है उनसे आशातीत लाभ नहीं हो रहा है इनको लाभकारी बनाने के लिये उपाय किये जाने चाहिये। इसी प्रकार दूसरे खर्च में भी कमी की जानी चाहिये और अतिरिक्त कर लगाये बिना एक सतुलित आयव्ययक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कृषि सम्बन्धी धन कर के प्रस्ताव को वापस ले लिया जाना चाहिये।

देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है इसके फलस्वरूप माल व जान की बहुत हानि हो रही है। कभी भाषा के प्रश्न को लेकर, कभी सेनाओं के प्रश्न को लेकर और कभी सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति के प्रश्न को लेकर यहां पर आये दिन दगे-फसाद होते रहते हैं। कई मामलों में राजनितिज्ञ अथवा अन्य षडयंत्रकारी व्यक्ति विद्यार्थियों तथा अन्य युवकों को भड़का कर अवैध काम करवाते हैं और इस से माल व जान की हानि होती है। सरकार को ऐसे समाज-विरोधी तत्वों के साथ दृढ़ता का व्यवहार करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति देश के किसी भाग में न हो।

{ श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए<br>Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

हम सबको विधि तथा व्यवस्था को भंग करने वाले तत्वों को दबाना चाहिये तथा जनता और युवकों का सही मार्गदर्शन करना चाहिये जिससे संविधान तथा संसदीय प्रणाली का पालन होता रहे।

Shri Prakashvir Shastri (Hapur): Sir, during the last session, the Finance Minister in reply to a question stated that we had to pay Rs. 163 crores to foreign countries as interest. The Finance Ministry should arrange to publish in newspapers monthly or quarterly statements showing the total amount of foreign loans and the amount of interest thereon so that the people of the country might be kept apprised of the latest situation which would create a feeling among them to strive for achieving self-reliance and not to become so dependent on foreign assistance and loans.

I want to know whether the committee set up by the Administrative Reforms Commission some time back under the Chairmanship of Shri Mahavir Tyagi to suggest measures for the collection of direct taxes from the small tax payers has suggested that the Government should charge compound interest from such tax payers instead of putting up a heavy machinery for their collection and if so, whether the Government have taken a decision thereon.

Due to lack of adequate medical educational transport and other facilities in the villages, the rural population is being attracted by the alurements of the cities and they are pouring into the urban areas with the result that the rural economy is getting a set back. The Government should pay adequate attention to provide all these facilities in the rural areas with a view to check this exadus and to invigorate the rural economy. If done so, the trained doctors, engineers and other technicians would not hesitate to work in the villages as they do to-day.

As regards unemployment among engineers, the figure is very alarming. It is absolutely necessary to find out a solution. The scheme drawn up by the State Government of Gujrat to tackle this problem desereves commendations. Other States may also be asked to follow suit. It will be good if the Centre itself comes forward with a scheme in this regard.

So far as taxation is concerned, the Government need not levy any new tax provided the taxes already imposed the duly collected and the tax collecting machinery is streamlined. The tax collecting machinery indulges in corrupt practices and is always in league with the big tax payers resulting in a loss of crores of rupees to the Government. They take money from industrial establishments etc. and show them way to evasion and thus Government is deprived of its legitimate dues and is left with no alternative but to impose new additions. It is, therefore, absolutely necessary for the Government to streamline the tax-collecting machinery rather than taking recourse to new taxes.

The proposal to levy agricultural wealth tax cannot be supported through the Finance Minister has made out a plansible case for this new measure. It would adversely effect the climate prepared for augmenting agricultural production in the country. The new measure, the idea of which was mooted either by the planning Commission or by the Finance Minister, has created a fear in the minds of farmers that agricultural would also be taxed in near future. The Government should allay this fear if the case is otherwise. The proposed levy on fertilizers has confirmed this fear and it has thrown cold waters on the farmers. The tax on power driven pumps has worked as a disincentive for the farmers particularly in U. P. where they have gone in for these pumps and had stepped up their production. The tax on the cristal sugar has resulted in the fall in the sugarcane price. The Budget proposals have, thus, adversely effected the interets of the farmer and he has to suffer a lot.

I have some suggestions to make. The original producer of a commodity-say sugarcane or raw cotton-should be entitled to 2 percent of the value of his entire produce in the

shape of finished product for his personal use at mill rates so that he is saved of the trouble of going to the open-market for that particular item and that too at a much higher rate.

The Finance Minister may consider a proposal to impose tax on signboards in foreign language fixed by the shopkeepers as is done in Thailand and it would, if accepted, fetch a sizable amount to the exchequer. We may adopt this practice in India also.

The canvas cloth is manufactured both in the power loom factories and the large scale industries. The tax proposal on this cloth should be considered seriously by the Government. The Government might have intended to impose this tax only on milk manufacture. If inadvertently this tax is also realisded from the power loom industries, near about 250 such factories in a small town like Pilkhu in U. P. are likely to face a cl sure and as a result of which about 12,000 workers will be rendered jobless, the Government must apply its mind to the rationable of taxation so that the purpose thereof is not defeated.

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : The agricultural wealth tax proposal brought forward by the Finance Minister deserves commendations because affluent section of the agrarian sector, which emerged as a result of the agricultural development in the country during the last few years, is in a position to afford this tax,. They have gained much out of the development in the agricultural field and they can easily bear the burden of this proposal. The Finance Minister who has staked his popularity by taking this bold step deserves congratulations and support.

As regards levy on fertilizers, it may adversely affect the interests of the small farmers who have started using fertilizers and who are not in a position to bear this burden. So it is advisable to exempt small farmers from this tax so that it does not work as a disincentive for them. The Finance Minister should give a second thought to this matter.

The proposal levy tax on cristal sugar does also not deserve support as the effect of this levy falls on the poor who cannot afford further rise in the price of sugar.

The telephone service in our country is not so efficient as it is in other foreign countries. So it is not justifiable to make telephone enquiry No. 197 chargeable.

We have implemented our three Five Year Plans. But the result is that we have not been able to achieve our aims and fulfill our targets to invigorate our rural economy. The position is that the weak section of the rural area, which constitutes the majority of the population in the country has grown weaker They have not sufficient food to eat, not a house to live in and not clothes to wear. Unless this weaker section in the villages is uplifted, there cannot be any radical change in our agriculture. Our planners are not practical people. That is why the benefit of planning in the rural side has gone mostly to the well off farmers. It has not percolated to the lower level. The result of the faulty planning has benefitted only 10 to 20 percent people and has allowed wealth to concentrate in a few hands only There is a very wide and grouping disparity in society to-day. The Planners had not a practical knowledge of the rural economy and they did not consult the representatives of the genuine farmers. That is why we are passing throught a national and economic crisis to-day where the condition of the common man and low and fixed income groups is miserable. The Government should take immediate steps to re-invigorate the rural economy and to give relief to the commonman. If the present situation continues or aggravates further, no body knows where it will lead us.

The people in the rural areas are facing unemployment or under-employment. Industries are not set up there. The people are rushing towards cities. Decentralisation of industry is, therefore, necessary to check this exodus of rural population which is by and large responsible for creating the problem of stums in the cities as well.

The States of Bihar, Rajasthan and Gujrat are facing drought and famine conditions due to irrigational facilities. The Centre should implement the suggestions of the Finance Commission and take steps to give more assistance to such States as promise to carry out land reforms and social reforms. The Government should adopt a uniform policy towards States keeping the national interest in view. Some schemes should also be drawn up to cultivate the cultivable land in the States which is lying unutilised due to lack of irrigational facilities etc. If Narmada project had been taken up two years back, there would have had additional production of foodgrains in huge quantities. But that was not done. Similarly there are also questions that of Mithapur project, setting up of petro-chemical industries and off-shore drilling. These are all national schemes which should be viewed in national prospective. It is a matter of regret that drinking water schemes have not found any place in the budget proposals and no concrete steps have been proposed to remove frustration among the people in the country.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : वर्तमान वित्त मन्त्री निरन्तर कर बढ़ाते चले जा रहे हैं जिससे देश पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। आकड़ों के आधार पर विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां करों का सबसे अधिक बोझ है।

वित्त मन्त्री ने किसानों के प्रति कठोर नीति अपनायी है। उन्होंने उर्वरकों पर कर लगाया है। देश में उर्वरक कारखाने स्थापित नहीं करने दिये जाते, उनका अब भी आयात किया जा रहा है। हमें 17 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें से हम केवल 5 लाख 5 हजार टन उर्वरक तैयार करते हैं। यही स्थिति अन्य उर्वरकों के बारे में भी है, फिर भी उर्वरकों में आत्म-निर्भर बनने के लिये कोई ठोस उपाय नहीं किये गये हैं। प्रस्तुत बजट समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ता। यह बजट व्यापार-प्रधान है और इससे निर्यात तथा बड़े–बड़े व्यापार गृहों को प्रोत्साहन मिलता है, यही कारण है कि आज स्वतः कांग्रेस पार्टी के अन्दर-उद्योगपतियों तथा एकाधिकारी वर्गों के बीच शीत युद्ध चल रहा है और वित्त मन्त्री की स्थिति डमाडोल है।

अनुच्छेद 263 में राज्यों तथा केन्द्र के बीच समन्वय के बारे में कहा गया है। किन्तु दक्षिण भारत के राज्यों की उपेक्षा की गई है। मैसूर राज्य में सिंचाई सुविधाएं राजस्थान से भी अधिक गई–गुजरी हैं। सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के मामले में वर्ष 1951-52 से 1967-68 तक की अवधि में 2400 करोड़ रुपये की पूंजी लगायी गई है किन्तु मैसूर राज्य के हिस्से में केवल 48 करोड़ रुपये आये हैं। इसी प्रकार आई० टी० आई तथा बी० ई० एल० के मामले में भी उसकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है। कृष्णा-गोदावरी विवाद न्यायाधिकरण को सौंप दिये गये हैं। मंगलौर उर्वरक कारखाना योजना को स्वीकृति मिलने से पूर्व राजनीति बीच में घुस आयी है। इसलिये हम देश में सभी पिछड़े राज्यों के विकास के सम्बन्ध में सभी वित्तीय नियतनों तथा संसाधनों के बारे में न्यायपूर्ण व्यवहार के लिये एक स्थायी आयोग चाहते हैं। राज्यों के लिये वित्तीय नियतन जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिये एक स्वतंत्र आयोग की जरूरत है। श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त

वित्त आयोग पर्याप्त नहीं है। राज्यों द्वारा दिये गये सभी सुझावों से वह सहमत नहीं हुए हैं।

महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा-विवादों के सम्बन्ध में कई समस्याएं हैं महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के लिये कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक होने वाली थी और उसने श्री चह्वाण के, जो सभी असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, अधीन गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा, जो देश का एक जहरीला फणधर सांप है, अपनायी गई चालों के सामने झुककर हमेशा धोखा-धड़ी की है। (अन्तर्बाधाएं)

यह मामला लम्बे समय से लटक रहा है। क्या इस देश में ऐसी धारणा पैदा करायी जाती है कि हमें हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा? क्योंकि गृह-कार्य मन्त्री शिव सेना का, जिसने उनकी आड़ में दक्षिण भारतीयों को लूटा है, उनकी सम्पत्तियां जलायी हैं तथा उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, पोषण कर रहे हैं। इसलिये मैं उन्हें ** कहता हूं। (अन्तर्बाधाएं)

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाइये, यह आरोप गृह कार्य मंत्री के विरुद्ध पहले भी दो बार लगाया जा चुका है जिसका कई-बार खण्डन किया गया है। आप आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? आप बार-बार ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। इसलिये इसे सभा की वृतान्त-कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**श्री राजशेखरन (कनकपुरा)** : वित्त मंत्री सन्तुलित तथा सुव्यवस्थित आय व्ययक पेश करने के लिये बधाई के पात्र हैं। किन्तु उन्होंने किसानों के प्रति बड़ी कठोरता दिखायी है। वित्त मंत्री जो कुछ संसाधन जुटा पाये हैं, वे अनुत्पादक श्रमिकों को और अधिक मजूरियां देने तथा अकुशल सरकारी कर्मचारियों को और अधिक महगाई भत्ता देने में ही उड़ जाते हैं।

सभा में यह बताया गया था कि भिलाई और बोकारों में 10 लाख टन इस्पात के उत्पादन के लिए हम 18000 से 20000 व्यक्तियों को काम पर रख रहे हैं जबकि जापान में इस कार्य के लिए केवल 2,000 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, हमने सरकारी क्षेत्र में 24,00 करोड रुपया नियोजित किया हुआ हैं। वास्तव में इस समय हम अनुत्पादक कार्यों में बहुत पूंजी लगा रहे हैं, लगभग 80 करोड़ रुपया प्रबन्धकों के लिए भव्य भवनों के निर्माण में लगाया गया है।

हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कुशल प्रबन्धकों का अभाव है, दुर्भाग्यवश हमने प्रशासकों पर अधिक भरोसा रखा है और तकनीकी जानकारी वालों पर कम वर्तमान प्रशासनीय पद्धति हमारे देश के अनुकूल नहीं है। यह उत्पादनन्मुखी नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए।

निर्णय लेने में भी बहुत देरी की जाती है। फलस्वरूप हमारा परियोजना व्यय बढ़ता जा रहा है। लोगों को 1 रुपये का लाभ देने के लिए हम इसके प्रशासन में 4 रुपये व्यय कर देते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए।

**सभापति महोदय के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही-वृतान्त से निकाला गया।

कृषि की ओर सरकार ने कोई उचित ध्यान नहीं दिया है। योजनाओं में कृषि को प्रमुखता नहीं दी गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि पर केवल 20.6 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है जबकि उद्योगों को 24.8 प्रतिशत दिया गया है। राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से आता है। निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में इसका दो-तिहाई भाग है, परन्तु इसके बावजूद इसको उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण जनता बहुत दयनीय अवस्था में रह रही है, उनके पास अच्छी सड़के, अच्छे मकान पर्याप्त पेय जल आदि उपलब्ध नहीं हैं, मेरे विचार में किसान की औसत आय 50 पैसे प्रति दिन की है, परन्तु फिर भी सरकार उन पर कर लगा रही है। उर्वरकों पर लगा देने से क्या किसान उनका प्रयोग कर सकेगा ? भूमि पर 1 टन खाद डालने से 2 टन का खाद्यान होता है अतएव मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री महोदय उर्वरकों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर पुर्नविचार करे।

मैं कृषि पर कर लगाने के प्रस्ताव के बारे में कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ व्यक्ति अपने काले धन को कृषि में लगा रहे हैं इसलिए यह कर लगाया है। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए एक अलग विधान बनाना चाहिए, क्यों लाखों किसानों के लिए इसके लिए दण्डित किया जा रहा है जो कि देश के उत्पादन में अपना योगदान देते हैं ?

कृषि में अद्वितीय क्रातिकारी परिवर्तन होने के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। जो इसके बारे में बोलते रहते है वे यह नहीं जानते कि एक पौधे का विकास किस भांति होता है, पौधे को धूप, हवा पानी की मार को सहना पड़ता है और उसमें कई बीमारियों के लगने का भी डर रहता है। इसके बाद फसल अच्छी उत्पन्न होने पर भी किसान को उचित कीमत नहीं मिल पाती। दुर्भाग्यवश सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया है कि किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले। कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा० अशोक मिश्र ने अक्तूबर 14 और 15 के 'दि स्टेसमैन' में लिखा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद भी अभी हम इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए है, हमने कृषि कार्यक्रमों को अभी लागू किया है और अभी इसके परिणाम नहीं निकले हैं। अतएव मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि कम से कम दस से बीस वर्षों तक के लिए कृषि क्षेत्र को करों से पूर्ण मुक्ति देनी चाहिए। हम औद्योगिक क्षेत्र को विकास दर दे रहे है तथा अन्य कई रियायतें भी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कृषि क्षेत्र में भी ऐसा कर सकते हैं।

अगर किसानों के जेबों में धन जायेगा तो वे हमारे औद्योगिक उत्पादन का अधिक से अधिक उपभोग कर सकेंगे, जापान में औद्योगिक उत्पादन का 80 प्रतिशत वहां के किसान अपने उपभोग में लाते हैं। अतएव हमारी ग्रामीण जनता औद्योगिक उत्पादन के लिए एक बड़ी मन्डी बन सकती है। अतएव सरकार को इस देश में कृषि पर आधारित उद्योगों की ओर ध्यान देना चाहिए।

सरकार को यह देखना चाहिए कि किसानों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले। दुर्भाग्यवश हमारा किसान परिश्रम करके अच्छा उत्पादन करता है परन्तु उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता क्योंकि वह दलालों की कृपा पर निर्भर है यह पद्धति समाप्त हो जानी चाहिए।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को यह याद दिला देना चाहता हूं कि कृषि विकास बहुत सीमा तक अनुसंधान पर निर्भर रहता है, परन्तु हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है। हम मुश्किल से ही कृषि अनुसंधान पर विज्ञान बजट का 10 प्रतिशत लगा रहे हैं जबकि आस्ट्रे-लिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य देश अपने विज्ञान बजट का 45 प्रतिशत कृषि अनुसंधान पर व्यय कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उचित धन राशि कृषि अनुसंधान पर व्यय की जाये।

मैं प्रादेशिक विषमाताओं के बारे में कहना चाहता हूं। हमने वर्ष 1951–52 से 1967–68 तक सरकारी क्षेत्र में 2,400 करोड़ रुपया लगाया है, इसमें से मैसूर को कितना भाग मिला है? वैसे सरकार यह कहती रहती है कि पिछड़े हुए राज्यों को उचित आबंटन दिया जाये परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं किया जाता।

सरकार का विचार भारत इलेक्ट्रिकल्स और इण्डियन टेलीफोन उद्योग का दूसरा एकक स्थापित करने का है। तकनीकी विशेषज्ञों की धारणा है कि इसको किसी दक्षिणी राज्यों में स्थापित किया जाये क्योंकि वहां का वातावरण इसके अनुकूल होगा। तकनीकी समिति ने कहा है कि इसको वहीं स्थापित किया जाये जहां यह कार्य कर रहा है। अतएव सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

**श्री म० सुन्दरम (नरसारावपर)** : सभापति महोदय, हमारे जैसे किसी विकासशील देश के आय-व्ययक का उस देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं, अब सभा आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करेगी।

---

## अमरीका की जनरल मोटर्स कारपोरेशन **

## GENERAL MOTORS CORPORATION OF U. S.

**श्री सु० कु० तापड़िया (पाली)** : यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि इस सरकार का भाग्य बहुत अच्छा रहा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है हांलाकि इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में मंदी की स्थिति व्याप्त हो गई थी परन्तु सरकार के कोई प्रयास से इसमें अपने आप सुधार हो गया है परन्तु इससे सरकार को निश्चित नही हो जाना चाहिए।

इंजीनियरींग माल के निर्यात में अगर हम दृष्टि डालें तो यह पायेंगे कि जो विश्व निर्यात 1,200 हजार करोड़ का हुआ है उसमें हमारा भाग इस वर्ष केवल लगभग 85 करोड़

---

** आधे घंटे की चर्चा

Half an hour discussion

है। यह हमारे इंजीनियरिंग माल के निर्यात का 2 प्रतिशत है अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो इंजीनियरिंग माल के निर्यात में काफी वृद्धि की जा सकती है।

मैं अब मोटर गाड़ियों के पुर्जे ओर मोटरगाड़ी के सहायक उद्योगों के उत्पाद के निर्यात के विषय में कहूंगा, इंजीनियरिंग माल के कुल निर्यात में, जिसका मूल्य 85 करोड़ था, हमारे मोटरगाड़ियों के पुर्जों का निर्यात लगभग 1.5 करोड़ रुपये था, इससे यह पता चलता है कि मोटरगाड़ी के सामान के निर्यात करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके बारे में जो हमारे योजनाकारों, सरकार और व्यापारियों का ध्यान नहीं गया वहां एक विदेशी संस्था जनरल मोटर ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया।

जनरल मोटर के प्रबन्धकों को अपने व्यापार के बारे में अच्छा ज्ञान है। हमारे मंत्रियों को यह मालूम होना चाहिए कि उस कारपोरेशन की वार्षिक बिक्री भारत सरकार के कुल बजट के बराबर है। समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के अनुसार जनरल मोटर के प्रतिनिधियों ने कहा था कि जनरल मोटर्स बाहर के निर्माताओं से 10 बिलीयन डालर के पुर्जों को क्रय करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वे अपनी कुल आवश्यकताओं में से 1 प्रतिशत भी भारत से खरीदें तो इसका तात्पर्य होगा कि वार्षिक 100 मिलीयन डालर के माल का निर्यात किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि एक ही वर्ष में हमारा निर्यात 75 करोड़ बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि इंजीनियरिंग माल के उत्पादन में शत प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

जैसा कि कहा गया है कि यह समाचार पत्र की सूचना है। इसलिए यह चर्चा यहां चलाई गई है ताकि मंत्री महोदय इसके बारे में अधिक प्रकाश डाल सकें। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अपनी आंखे खोले, अन्य विकासशील देशों ने यह दिखा दिया है कि मोटरगाड़ी उद्योग किसी भी विकासशील देश के इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा दे सकता है। मेरे विचार में जब यह दल विभिन्न सहायक उद्योगों और उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद दिल्ली में अधिकारियों से मिलाने गया तो उसी समय वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह ने दल के साथ भेंट को रद्द करके लखनऊ कांग्रेस दल की बैठक में उपस्थित होने के लिए चले गए।

अगर सरकार निर्यात को बढ़ावा दे तो इससे उद्योग को बड़ी मदद मिलेगी, इस प्रकार वर्तमान क्षमता का पूर्ण उपयोग भी किया जा सकेगा और रोजगारों मे भी वृद्धि होगी।

मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और आशा करता हूं कि वे इसका उत्तर देकर हमारे भ्रम को दूर करेगें।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि सरकार का सहयोग-समझौता के प्रति क्या नीति है. हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत में हम जो तीन मोटर गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं वे अन्य देशों में पुरानी हो चुकी हैं। अगर पुर्जों का हमने निर्यात करना है तो वे उन माडलों के होने चाहिए जो विभिन्न उन्नतिशील देशों में बन रहे हैं। और फिर माडल भी बदलते रहते हैं। अगर सहयोग समझौता नहीं होगा तो वे इतनी शीघ्रता से परिवर्त्तन न ला सकेंगे जितने शीघ्र माडल बदलते हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न विदेशी इंजीनियर और तकनीशन के बारे में है जिनको यहां बुलाया जायेगा। चूंकि यह निर्यात उन देशों को किया जायेगा जो हजारों मील दूर हैं अतएव इसमें एक कठिनाई उत्पन्न होगी। अगर कोई माल खराब किस्म का है और खरीदने और बेचने वाले यहां है तो वे आपस में सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। परन्तु अगर निर्यात किए हुए माल को अमरीका और इंगलैंड में अस्वीकार कर दिया जाये तो फिर क्या होगा ? अतएव यहां इंजीनियर और तकनीशन की आवश्यकता है जो यह देखे कि माल उनके आवश्यकतानुसार बन रहा है या नहीं।

मेरा तीसरा प्रश्न पुर्जों को बनाने के लिए मशीनरी के आयात करने के सम्बन्ध में है। अगर कोई विशेष मशीन की आवश्यकता होगी तो उसके सम्बन्ध में वे क्या करेंगे ?

मेरा चौथा प्रश्न औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में सरकार की नीति से है पुर्जों को बनाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है और वे यह भी कह सकते हैं कि बहुत से पुर्जों के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह भ्रामक है, एक उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया जा सकता है परन्तु फिर भी सहयोग-समझौता, विदेशी मुद्रा आदि के लिए सरकार के मंत्रालय के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं, इसलिए इस बारे में नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

ऐसे भी कई मामले हुए हैं जहां उन देशों में श्रमिकों की कमी के कारण वहां के निर्माता यह चाहते हैं कि पूर्ण पुर्जे यहां बने और तब वे उन्हें आयात करें। अतएव सरकार का उत्पादन बढ़ाने और इसका आधुनिकरण करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है। मंत्री महोदय उन पुर्जों आदि का क्या करेंगे जो कि देश में निर्माण तो होते हैं परन्तु उनका प्रयोग नहीं होता है। क्या वे लोग इसके किस्म तथा कार्य करने की क्षमता पर विश्वास करेंगे, अतएव आवश्यकता इस बात की है कि यहां नए माडल बनाए जाएं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को जानना चाहता हूं।

अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इसके और आगे विस्तार करने के सम्बन्ध में क्या नीति है। हमने जापान की इस क्षेत्र में प्रगति को देखा हुआ है जापान ने कुछ ही वर्षों में मोटरगाडी के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। आज विश्व में उसका दूसरा स्थान है और दक्षिण-पूर्वी एशिया की मंडी में उनका प्रभुत्व है, जनरल मोटर ने यह कहा है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में 3 लाख कारों के निर्यात करने की सभावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके साथ क्या प्रस्ताव किया गया और उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय के साथ क्या बातचीत की है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दल ने क्या प्रस्ताव किया है।

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह)** : मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि निर्यात में वृद्धि हुई है और कृषि-उत्पादन भी अच्छा हुआ है मैं चाहता हूं कि वे 21 वर्ष पहले के निर्यात को देखे तो यह पायेंगे कि आज निर्यात कितना बढ़ गया है, इस मामले में देश ने निश्चय ही प्रगति की है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** हम इस प्रकार का वाद-विवाद नहीं चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार कहें कि 21 वर्ष में इतना निर्यात बढ़ा है तो जनता इससे संतुष्ट नहीं होगी।

**श्री भानु प्रकाश सिंह :** माननीय सदस्य का कहना है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों का निर्यात किया जाये, मैं स्वीकार करता हूं नि पुर्जों का निर्यात करना चाहिए परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि मोटर गाड़ियों के पुर्जे किस किस्म के हैं, आप लोग देखते ही हैं कि फिएट, हेराल्ड, हिन्दुस्तान जैसी कारों के सम्बन्ध में आलोचना सुनने को मिलती है। क्या आपके पुर्जे निर्यात के योग्य हैं ? सबसे पहले इन कम्पनियों को अच्छे पुर्जे बनाने चाहिए और फिर हम उनको निर्यात करने के बारे में विचार करेंगे अगर हम उनका निर्यात करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हम कारों का निर्यात भी नहीं करते।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** आप गलती पर हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये के मूल्य के कार का निर्यात हुआ।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** यह निर्यात नेपाल को हुआ था।

**श्री भानु प्रकाश सिंह :** यह हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह है कि विदेशों के कार के लिए कोई बाजार नहीं है। अतएव मेरा अनुरोध है कि इन कारों की किस्म को सुधारा जाये।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** मंत्री महोदय यह बतायें कि निर्यात न होने के क्या कारण हैं और इसके लिए बाजार क्यों नहीं है। क्या यह ऊंची कीमत का अथवा कम उत्पादन अथवा ऊंचे कारों के कारण है।

**श्री भानु प्रकाश सिंह :** यह उनके विचार करने का विषय है, पहले वे मेरे उत्तर को सुनें।

जनवरी 1969 को जनरल मोटर का एक दल आया था। उनकी वाणिज्य मंत्रालय के साथ बातचीत हुई थी। वाक्सहाल मोटर के दो प्रतिनिधि थे। एक प्रतिनिधि जनरल मोटर्स के समुद्रपाटीय डिवीजन का था और दूसरा जनरल मोटर के ओयल डिवीजन का था और बातचीत के समय हिन्दुतान मोटर के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसमें औद्योगिक विकास के मंत्रालय का कोई व्यक्ति नहीं था। प्रतिनिधियों की औद्योगिक विकास के मंत्री से कोई बात चीत नहीं है।

उन्होंने कहा था कि मोटरगाड़ियों के भारतीय पुर्जों आदि के लिए वहां अच्छा बाजार है और उनका निर्यात किया जा सकता है, उन्होंने हिन्दुस्तान मोटर से इन पुर्जों को खरीदने के लिए प्रस्ताव किया है। वाणिज्य मंत्रालय के साथ इसकी बातचीत हुई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने इन प्रतिनिधियों को ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। परन्तु अभी तक सरकार को यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव अभी इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। भारत सरकार हिन्दुस्तान मोटर से विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही है।

जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स का सम्बन्ध है, उनका इंगलैंड के मैसर्स मोरिस लिमिटेड से सहयोग समझौता था जो 1966 को समाप्त हो गया और उनका मैसर्स वैक्सहाल मोटर और जनरल मोटर से ट्रकों के बारे में सहयोग समझौता है।

जहां तक नीति का सम्बन्ध है वह माननीय सदस्य को विदित ही है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं।

**श्री भानु प्रकाश सिंह :** मामलों पर स्वतन्त्र रूप से उनके गुण दोषों को देखते हुए विचार किया जायेगा। भारत सरकार ने इन प्रतिनिधियों को कहा है कि उनकी नीति निर्यातोन्मुख उद्योगों और सहायक उद्योगों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की है। निर्यात बढ़ाने के लिए केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है कि अमुक इसमें विशेषज्ञ है और निर्यात आदि के लिए पर्याप्त बाजार हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जब भी सरकार को इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव मिलेगा तो वे इस पर विचार करेंगे।

**Shri Beni Shankar Sharma** (Banka) : If a seller does not praise his goods then how can the buyer purchase it. The Hon. Minister has just stated that motion components, which are manufactured in our country, are not of high quality. Who is responsible for this ? I cannot blame the business men and workers I am in favour of the interests of the workers. But I want that the workers and technicians Should work honestly and diligently. The Government is responsible for this. I want to know whether the Gnvernment are thinking to create such machinery so that our qualitjes of goods may improve and there may be demand for it in foreign countries.

Industrial development is essential for us There should be increase in export also, These can only happen when the quality of goods is high. I want to know whether the Government are thinking to create such machinery which may look into the quality of the goods so that we may not to suffer humiliation outside.

**Shri Bhami Prakash Singh :** There is a democracy in our country and our is a mixed economy There are Private and Public Sectors. Where goods are manufactured. The Government do efforts to improve the quality, The Government are implementing the recommendation of quality Control Committee in this respect. But all these things depend on menufacturer. He should give consideration in this matter so that high quality goods may be available to the Public,

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** (सम्बलपुर)– यद्यपि हम प्रतिवर्ष 22,000 यात्री कारों का निर्माण करते हैं फिर भी हम आन्तरिक माग को पूरा करने में असमर्थ हैं। अतएव अगर हम इन पुर्जों का निर्यात करें तो क्या मांग को पूरा करने में और अधिक देरी नहीं हो जाएगी। और कारों का मूल्य नहीं बढ़जायेगा। यह मेरी शंकाएं हैं और मन्त्री महोदय इनका समाधान करें।

**श्री भानुप्रकाश सिंह :** हम माननीय सदस्य की शंकाओं पर विचार करके उनको सूचित करेंगे।

**Shrs Shiv Chandra • Jha** (Madhubani) : My questions are (1) whether the team came from America of its own or whether the Government had invited them (2) whether the report regarding the export of components will be received by the Government in duecourse and whether the Government have made any assessment of export on the basis of the talks and how much foreign exchange will the Government get from it. And what will be the price of components offered by the in comparison to other countries ? (3) whether political strings are being attached to it with the result that there is no progress in talks. (4) As for as the quality is concerned, whether everyone is of the opinion that the quality is not good, and so our export of automobiles is not going ahead. I think that mostly all these defects are due to the fact that this industry is in Private Sector. So whether the Government are going to nationalize the automobile industry to bring improvement to this respect and we may earn more foreign exchange ?

**Shri Bhanu Prakash Singh :** (1) this team did not come here on Governments' invitation. (2) Unless the detailed report is received, we cannot say anything about the quantity of export and the foreign exchange earned through it. Only when the statement comes, then there can be thinking on the investment, export, foreign collaboration etc.

(3) The question of politics does not come in it. As they have not sent the report So no further talks could take place. (4) There is no proposal of Nationalization under consideration.

**Shri Sive Chandra Jha** : What is the price offered by them in comparison to other countries ?

**Shri Bhanu Prakash Singh** : The report has yet not received. So nothing is under consideration. As soon as the report is received, then we will consider on it.

**इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 13 मार्च, 1969/22 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, March 13 1969/ Phalguna 22, 1890 (Saka),**